

कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 13 अप्रैल, 2026 को अपलोड किया जाए



फाइल सं. HQ-RHQS015/1/2026/गो.-4

भारत सरकार

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग

कर्मचारी चयन आयोग

(वेबसाइट: <https://ssc.gov.in>)

विज्ञापन संख्या:चरण-XIV/2026/चयन पद

ऑनलाइन आवेदनों के प्रस्तुतीकरण की तारीख	13.04.2026 से 04.05.2026
ऑनलाइन आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय	04.05.2026 (23:00 बजे तक)
ऑनलाइन शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि एवं समय	05.05.2026 (23:00 बजे तक)
ऑनलाइन भुगतान सहित 'आवेदन पत्र में संशोधन करने हेतु विंडो' की तिथियां	11.05.2026 से 13.05.2026 (23:00 बजे तक)
कंप्यूटर आधारित परीक्षा की तिथियां	जून, 2026 (अनंतिम)
आवेदनपत्र भरने में कठिनाई होने पर टोल फ्री हेल्प लाइन नम्बर	1800 309 3063

"सरकार एक ऐसा कार्यबल बनाने का प्रयास करती है जिसमें लिंग संतुलन प्रतिबिम्बित होता है तथा महिला अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।"

1. इस विज्ञप्ति के अनुबंध-III में उल्लिखित चयन पदों के लिए पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। दर्शाई गई रिक्तियां अनंतिम हैं और आयोग आवश्यकता होने पर किसी भी समय किसी रिक्ति या सभी रिक्तियों में परिवर्तन करने / उन्हें रद्द करने / वापस करने / विलय करने का अधिकार है। अभ्यर्थियों को पद (पदों) के लिए आवेदन करने से पूर्व इस भर्ती विज्ञप्ति को सावधानीपूर्वक पढ़ लेना चाहिए तथा यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे इस विज्ञप्ति में यथा-उल्लिखित समस्त पात्रता शर्तों जैसे आयु सीमा / अनिवार्य योग्यता (अ.यो.) / अनुभव / श्रेणी इत्यादि को पूरा करते हैं। कंप्यूटर आधारित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को दस्तावेजों के सत्यापन के लिए पोर्टल पर सभी प्रासंगिक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। ऐसा न करने की स्थिति में अभ्यर्थिता को सरसरी तौर पर निरस्त

कर दिया जाएगा। आयोग किसी भी पद के लिए आवेदन करते समय अभ्यर्थियों द्वारा भरे गए विवरणों की जांच नहीं करता है। आवेदन अनंतिम रूप से स्वीकार किए जाते हैं और कंप्यूटर आधारित परीक्षा के परिणाम की घोषणा के बाद संबंधित प्रयोक्ता विभाग (विभागों) द्वारा आवेदन और दस्तावेजों की विस्तृत जांच की जाएगी। जो अभ्यर्थी निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा नहीं कर रहे हैं, उनकी अभ्यर्थिता को बिना कोई सूचना दिए भर्ती प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर रद्द किया जा सकता है। आवेदकों की अभ्यर्थिता, भर्ती प्रक्रिया के सभी स्तरों पर पूर्णतः अनंतिम होगी। सीबीई में सफल अभ्यर्थियों द्वारा पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड करने के बाद, दस्तावेजों की जांच, दस्तावेज सत्यापन आदि के संबंध में आगे की कार्यवाही प्रयोक्ता विभागों द्वारा आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 03.03.2026 को प्रकाशित 'चयन पद परीक्षा: प्रयोक्ता विभाग द्वारा दस्तावेजों की जांच और दस्तावेज सत्यापन (डीवी) के संचालन की प्रक्रिया में संशोधन' शीर्षक वाली विज्ञप्ति में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी।

- 1.1 इस भर्ती से संबंधित सभी जानकारी, आवेदन की प्रस्तुति से लेकर संबंधित प्रयोक्ता विभागों में चयनित अभ्यर्थियों के नामांकन होने तक, [जिसमें अनंतिम रूप से पात्र अभ्यर्थियों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र भेजना भी शामिल है], कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट अर्थात <https://ssc.gov.in> और / या आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय (कार्यालयों) / संबंधित प्रयोक्ता विभागों की वेबसाइटों पर उपलब्ध होगी। उपरोक्त के अतिरिक्त, अभ्यर्थी को दिनांक 03.03.2026 के विज्ञप्ति में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार, डीवी के संचालन आदि के संबंध में प्रयोक्ता विभाग से बुलावा पत्र/ अन्य पत्राचार प्राप्त हो सकता है।
- 1.2 अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे संबद्ध क्षेत्र से संबंधित पदों की विभिन्न श्रेणियों और भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों के संबंध में नवीनतम / अद्यतित जानकारी के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइटों का अवलोकन करते रहें।
2. विभिन्न प्रकार के पदों के ब्यौरे / विवरण इस परीक्षा विज्ञप्ति के अनुबंध-III में दिए गए हैं। पद से संबंधित ब्यौरे वेब लिंक: <https://ssc.gov.in/rhq-selection-post/rhq-post-details> पर क्लिक करके और तत्पश्चात परीक्षा का नाम Phase-XIV/2026/Selection Posts चयन करके और जिस क्षेत्रीय कार्यालय से ये पद संबंधित हैं, उस क्षेत्रीय कार्यालय का चयन करके देखे जा सकते हैं।
 - 2.1 इन रिक्तियों को संबंधित मंत्रालयों/विभागों / कार्यालयों द्वारा भेजी गई मांग के अनुसार ही कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित किया गया है। मांगकर्ता प्रयोक्ता मंत्रालयों / विभागों / कार्यालयों द्वारा रिक्तियां वापस लेने / रिक्तियों में परिवर्तन के लिए कर्मचारी चयन आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः, आयोग को भर्ती के दौरान किसी भी समय किसी रिक्ति या सभी रिक्तियों में परिवर्तन करने / उन्हें रद्द करने / वापस करने / विलय करने का अधिकार है। विज्ञप्ति में दशाई गई रिक्तियां अनंतिम ही हैं।
 - 2.2 वे अभ्यर्थी, जो एक से अधिक पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें पद की प्रत्येक पद- श्रेणी के लिए अलग-अलग आवेदन करना चाहिए।

2.3 कर्मचारी चयन आयोग प्रयोक्ता मंत्रालयों/विभागों/संगठनों द्वारा सूचित रिक्तियों के अनुसार कार्मिकों की भर्ती करता है। मंत्रालय/विभाग/संगठन में होने वाली कुल रिक्तियों (ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज), बैकलॉग रिक्तियों, विभिन्न आरक्षित श्रेणियों के तहत रिक्तियों के अलग-अलग निर्धारण और सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों के निर्धारण में आयोग की कोई भूमिका नहीं है। परीक्षा के अंतिम परिणाम/ पद श्रेणी की चयन सूची की घोषणा के बाद केवल चयनित अभ्यर्थियों के डोजियर ही प्रयोक्ता मंत्रालयों/ विभागों/ संगठनों को भेजे जाएंगे और उन्हें अनिवार्य रूप से प्रयोक्ता मंत्रालय/विभाग/संगठन द्वारा स्वीकार किया जाएगा। कोई भी प्रयोक्ता मंत्रालय/विभाग/संगठन चयनित अभ्यर्थियों के डोजियर (डोजियरों) को क्षैतिज रिक्तियों की अनुपलब्धता के आधार पर अथवा इस आधार पर नहीं लौटाएगा कि क्षैतिज रिक्ति मौजूद है लेकिन उस श्रेणी का डोजियर आयोग द्वारा प्रदान नहीं किया गया है।

2.4. कर्मचारी चयन आयोग संबंधित प्रयोक्ता मंत्रालयों/ विभाग/ संगठनों से रिक्तियों का संग्रहण करता है। किसी पद श्रेणी का अंतिम परिणाम/ चयन सूची की घोषणा कर दी जाती है और नामांकन/सिफारिशें केवल ऐसी विज्ञापित रिक्तियों के लिए ही की जाती हैं। इसलिए, प्रयोक्ता मंत्रालय/विभाग/संगठन किए गए नामांकनों और उन्हें भेजे गए दस्तावेजों को स्वीकार करेंगे। यदि कोई मंत्रालय/विभाग/संगठन समाप्त कर दिया जाता है, पुनर्गठित किया जाता है, या किसी अन्य मंत्रालय/विभाग/संगठन के प्रशासनिक नियंत्रण में स्थानांतरित किया जाता है, उसका परवर्ती / प्रशासनिक मंत्रालय/ विभाग डोजियरों को स्वीकार करेगा। यदि मंत्रालय स्तर तक संगठनों का संपूर्ण पदानुक्रम समाप्त हो जाता है, तो जिस मंत्रालय/ विभाग को उसका काम स्थानांतरित किया गया है, तो वह डोजियरों को स्वीकार करेगा। इस स्थिति में कि मंत्रालय/विभाग/संगठन का कार्य किसी अन्य मंत्रालय/ विभाग को हस्तांतरित नहीं किया गया है, तो जिस मंत्रालय/विभाग का कार्य पूर्ववर्ती के कार्य से निकटता से संबंधित है, वह डोजियर स्वीकार करेगा। इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

3. शुल्क में रियायत, आयु में छूट तथा आरक्षण इत्यादि की मांग के लिए शर्तें:

3.1. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए : शुल्क में रियायत, आयु में छूट तथा आरक्षण इत्यादि की मांग कर रहे अजा / अजजा आवेदकों को, कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीई) के आयोजन के बाद या तदनंतर किसी भी स्तर पर, संबंधित आयोग/ प्रयोक्ता मंत्रालय/विभाग द्वारा, जब कभी भी मांगे जाने पर, प्रारूप (अनुबंध-VI) के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त (इस विज्ञप्ति का परिशिष्ट-I) अपेक्षित प्रमाणपत्र निरपवाद रूप से संलग्न करना होगा, जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि उनकी जाति / उप-जातियां / समुदाय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित अजा और अजजा श्रेणी के अधीन हैं, अन्यथा शुल्क में रियायत, आयु में छूट और आरक्षण इत्यादि के उनके दावों पर विचार नहीं किया जाएगा।

3.2. अन्य पिछड़े वर्ग के आवेदकों के लिए : अन्य पिछड़े वर्ग के आवेदक जो भारत सरकार के समय-समय पर यथा-संशोधित स्थायी अनुदेशों के अनुसार क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं आते हैं और आयु में छूट तथा आरक्षण इत्यादि की मांग कर रहे हैं, उन्हें अपने आवेदन प्रपत्र के प्रिंट आउट के साथ प्रारूप (अनुबंध-VII) के अनुसार अपेक्षित प्रमाणपत्र निरपवाद रूप से संलग्न करना होगा। अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण के आधार पर नियुक्ति की मांग कर रहे व्यक्ति को यह अवश्य सुनिश्चित करना

चाहिए कि उसके पास जाति / समुदाय संबंधी प्रमाण पत्र है तथा वह निर्णायक तिथि को **क्रीमी लेयर में नहीं आता / आती** है। इस प्रयोजन के लिए निर्णायक तिथि, आवेदन पत्रों को प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्थात् दिनांक **04.05.2026** होगी। ऐसे अभ्यर्थी, उपरोक्त के संबंध में यह भी नोट करें कि उनकी अभ्यर्थिता तब तक अनंतिम रहेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संबंधित दस्तावेज के सत्यापन की पुष्टि नहीं कर ली जाती।

नोट: आयोग अभ्यर्थियों से निर्णायक / कट ऑफ तिथि के भीतर जारी अपिव प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं करेगा। अपिव अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसके दावे का सत्यापन किए जाने तक अनंतिम रहेगी।

3.3 आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (आकव) के आवेदक : आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के रूप में आरक्षण प्राप्त करने के लाभ का दावा करने हेतु जब कभी आयोग द्वारा मांगा जाए उन्हें अपने आवेदन प्रपत्र के प्रिंट आउट के साथ सक्षम प्राधिकारी (इस विज्ञप्ति का **परिशिष्ट-1**) से प्रारूप (**अनुबंध-XI**) के अनुसार अपेक्षित प्रमाणपत्र, निरपवाद रूप से प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा आरक्षण के लिए उनके दावों पर विचार नहीं किया जाएगा। वह व्यक्ति, जो ईडब्ल्यूएस श्रेणी में आरक्षण के आधार पर नियुक्ति पाना चाहता है, उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके पास **वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए वैध आय और संपत्ति प्रमाण पत्र** हो, जो वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आधार पर जारी किया गया हो। अभ्यर्थी उपरोक्त के संबंध में यह भी ध्यान दें कि, उनकी अभ्यर्थिता तब तक अनंतिम रहेगी, जब तक कि संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नहीं किया जाता है।

3.4 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग /आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/ बेंचमार्क दिव्यांगजन / भूतपूर्व सैनिक की स्थिति, शुल्क में रियायत एवं आरक्षण, जहां अन्यथा निर्दिष्ट न हो, का दावा करने के लिए निर्णायक तिथि, दिनांक 04.05.2026 होगी। निर्णायक तिथि का अर्थ यह नहीं है कि प्रमाणपत्र (पत्रों) की तिथि आवेदन के अंतिम तिथि से पहले होनी चाहिए, बल्कि इसका अर्थ है कि निर्णायक तिथि को अभ्यर्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग /आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/ बेंचमार्क दिव्यांगजन / भूतपूर्व सैनिक श्रेणी में आते हो, जैसा भी लागू हो।

3.5 केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारी (सीजीसीई) आवेदकों के लिए

3.5.1 केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों, जिन्होंने दिनांक **04.05.2026** तक नियमित आधार (और तदर्थ आधार पर न हो) पर **कम से कम 03 वर्ष की** निरन्तर सेवा प्रदान की हो और उसे भारत सरकार के किसी विभाग / कार्यालय में सिविल पद धारण करते हुए केन्द्रीय सरकार की सेवा में तब तक बने रहे हों, जब तक कि अभ्यर्थी को उस प्रयोक्ता विभाग/ कार्यालय से नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त नहीं हो जाता, जहां अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए अंतिम रूप से संस्तुति की गई है।

3.5.2 आयु में छूट प्राप्त करने के लाभ का दावा करने के लिए, सीजीसीई अभ्यर्थी को अपने आवेदन प्रपत्र के प्रिंट आउट के साथ सक्षम प्राधिकारी (इस विज्ञप्ति का **परिशिष्ट-1**) से प्रारूप (**अनुबंध-X**) के अनुसार अपेक्षित प्रमाणपत्र, निरपवाद रूप से संलग्न करना होगा तथा **अनुबंध-X (क)** के अनुसार एक घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा आयु में

छूट प्राप्त करने के उनके दावों पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, दस्तावेजों के सत्यापन के समय उन्हें अपने नियोक्ता से "अनापत्ति प्रमाणपत्र" प्रस्तुत करना होगा, ऐसा न करने पर उनकी अभ्यर्थिता को भर्ती प्रक्रिया के उसी स्तर पर ही अथवा किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है।

3.5.3 कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा. सं.15012/2/2010-स्था.(घ) दिनांक 27.03.2012 में निहित अनुदेशों के अनुसार, समूह 'ख' पदों के लिए आवेदन करने वाले केंद्रीय सरकार के सिविल कर्मचारी (सीजीसीई) पर आयु में छूट लागू नहीं है।

नोट :- यदि आयोग को परीक्षा में शामिल होने /आवेदन कर रहे अभ्यर्थियों की अनुमति रोकने के संबंध में उनके नियोक्ता से कोई सूचना प्राप्त होती है, तो उनके आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा तथा उनकी अभ्यर्थिता को निरस्त कर दिया जाएगा।

4. बेंचमार्क दिव्यांग (बे. दि.) / (अस्थि दिव्यांग / श्रवण दिव्यांग / दृष्टि दिव्यांग / अन्य) आवेदकों के लिए:

4.1 बेंचमार्क दिव्यांगजनों (बे. दि.) के लिए पदों की उपयुक्तता तथा दिव्यांगता की स्वीकार्य प्रकृति का उल्लेख अनुबंध-III में पद की प्रत्येक श्रेणी के सामने किया गया है।

टिप्पणी-1 : दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिनांक 04.01.2021 को जारी अधिसूचना सं. 38-16/2020-डीडीIII में उल्लिखित, समय-समय पर संशोधित, “...दिनांक 04.01.2021 को अधिसूचित बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्त पद” से संबंधित प्रावधान, जहां कहीं भी लागू होंगे, अनुबंध-III में दर्शाए गए पदों पर लागू होंगे। इसलिए, ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपनी दिव्यांगता का विवरण देते हुए भी आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, उनका चयन इन श्रेणियों के लिए उपयुक्त पदों की पहचान के साथ-साथ प्रयोक्ता विभागों द्वारा सूचित की गई रक्तियों के अधीन होगा। इसके अतिरिक्त, अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि किसी भी पद के लिए आवेदन करने से पहले, वे दिनांक 04.01.2021 की अधिसूचना सं.38-16/2020-डीडी III में उल्लिखित पदों के ब्यौरों के अनुसार अपनी पात्रता की जांच कर लें।

अधिसूचना सं. 38-16/2020-डीडीIII दिनांक 04.01.2021 का अवलोकन करने के लिए वेब लिंक निम्नलिखित है :-

<https://disabilityaffairs.gov.in/content/page/notifications.php>

टिप्पणी-II : सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारिता विभाग की (दिनांक 04.01.2021 की अधिसूचना सं. 38-16/2020-डीडी III में संशोधन करने के लिए) अधिसूचना सं. 30-12/2022-डीडीIII, दिनांक 24.08.2022 के तहत एक अलग उप श्रेणी (अर्थात रीढ़ की विरूपता (री.वि.) और संबद्ध न्यूरोलोजिकल / अंग निष्क्रियता के बिना रीढ़ की चोट (री.चो.) को ए.बा., ए.पै., दो.बा., दो.पै., ए.बा.पै. दो.बां.ए.पै. और दो.बां.ए.पै के साथ-साथ चालन संबंधी दिव्यांगता में शामिल किया जाएगा। इसलिए, चालन संबंधी दिव्यांगता के अंतर्गत रीढ़ की विरूपता (री.वि.) और

संबद्ध न्यूरोलोजिकल / अंग निष्क्रियता के बिना रीढ़ की चोट (री.चो.), से पीड़ित व्यक्ति के लिए इस सूची में चिन्हित सभी पद उपयुक्त हैं।

- 4.2. केवल वे बेंचमार्क दिव्यांगजन (बें.दि.), जिन्हें **बेंचमार्क दिव्यांगता** है, यथा प्रयोज्य शुल्क में रियायत, आयु में छूट, आरक्षण इत्यादि के लिए पात्र हैं।
- 4.3. ऐसे अभ्यर्थियों को, जब कभी आयोग द्वारा मांगा जाए अपने आवेदन प्रपत्र के प्रिंट-आउट के साथ, प्रारूप **[अनुबंध-VIII]** (प्रपत्र-V) / (प्रपत्र-VI) के अनुसार अपेक्षित प्रमाणपत्र निरपवाद रूप से प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा बेंचमार्क दिव्यांग प्रस्थिति के उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। “**दिव्यांगजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का 1)**” के अन्तर्गत जारी दिव्यांगता का प्रमाण पत्र भी मान्य होगा।
- 4.4. **बेंचमार्क दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए विशेष अनुदेश :-** चूंकि "दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016" दिनांक 19.04.2017 से लागू हो चुका है तथा अस्थि दिव्यांग, श्रवण दिव्यांग तथा दृष्टि दिव्यांग श्रेणियों के अलावा, इसमें दिव्यांगता की नई श्रेणियों जैसे ऑटिज्म, बौनापन, तेजाब हमले के पीड़ित, मांसपेशीय दुर्विकास, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट अभिगम दिव्यांगता, मानसिक रूग्णता एवं बहु-दिव्यांगता इत्यादि को शामिल किया गया है। इस प्रकार, ऐसी दिव्यांगताओं से पीड़ित अभ्यर्थी भी ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में अपनी दिव्यांगताओं का ब्यौरा देते हुए आवेदन कर सकते हैं। तथापि, उनका चयन इन श्रेणियों के लिए उपयुक्त पदों की पहचान और मांगकर्ता प्रयोक्ता विभागों द्वारा रिक्तियों की सूचना देने के अध्यक्षीन होगा। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 15.01.2018 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36035/02/2017-स्था.(आरक्षण)(पैरा 2.2 में संदर्भित) के तहत यथा-निर्धारित विभिन्न दिव्यांगताओं से पीड़ित अभ्यर्थी ऑनलाइन पंजीकरण / आवेदन प्रपत्र में निम्नलिखित दिव्यांगजन श्रेणियों को चुन सकते हैं :

क्रम संख्या	दिव्यांगता का प्रकार	पंजीकरण / आवेदन प्रपत्र में चयनित की जाने वाली दिव्यांगता की श्रेणी
(क)	दृष्टिहीनता एवं अल्प दृष्टि	दृष्टि दिव्यांग
(ख)	बधिर एवं कम सुनने वाला	श्रवण दिव्यांग
(ग)	प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, अभिसाधित कुष्ठ, बौनापन, तेजाब हमले से पीड़ित, तथा मांसपेशीय दुर्विकास सहित चालन संबंधी दिव्यांगता। रीढ़ की विरूपता (री.वि.) और संबद्ध न्यूरोलोजिकल / अंग निष्क्रियता के बिना रीढ़ की चोट (री.चो.),	अस्थि दिव्यांग
(घ)	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट अभिगम दिव्यांगता और मानसिक रूग्णता।	अन्य

(ड)	बधिर- दृष्टिहीनता सहित (क) से (घ) खंडो के अन्तर्गत पीड़ित व्यक्तियों को एक-साथ बहु-दिव्यांगताएं	
-----	---	--

5. राष्ट्रीयता/नागरिकता:

5.1 अभ्यर्थी या तो :

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) नेपाल की प्रजा हो, या

(ग) भूटान की प्रजा हो, या

(घ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से बसने की इच्छा से 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत में आ गया हो, या

(ड) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों केन्या, यूगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व टंगानिका व जंजीबार), जाम्बिया, मालावी, जायरे, इथोपिया और वियतनाम से प्रवर्जन किया हो।

5.2 बशर्ते कि उपरोक्त (ख), (ग), (घ) तथा (ड) श्रेणियों का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया गया हो।

5.3 ऐसे अभ्यर्थी, जिनके मामले में पात्रता का प्रमाणपत्र आवश्यक है, उसे परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है, परन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाणपत्र जारी करने के बाद ही उसे दिया जाएगा।

6. आयु-सीमा (01.01.2026 तक की स्थिति के अनुसार) :

6.1 पद (पदों) की विशिष्ट श्रेणी के लिए आयु-सीमा का अनुबंध-III में पद की प्रत्येक श्रेणी के सामने उल्लेख किया गया है। विभिन्न पदों के लिए आयु संबंधी आवश्यकताएं निम्नानुसार हैं:

क्र. सं	आयु सीमा	टिप्पणी
(i)	जिन पदों के लिए आयु सीमा 18-25 वर्ष है	अभ्यर्थी का जन्म 02-01-2001 से पहले और 01-01-2008 के बाद का न हो।
(ii)	जिन पदों के लिए आयु सीमा 18-27 वर्ष है	अभ्यर्थी का जन्म 02-01-1999 से पहले और 01-01-2008 के बाद का न हो।
(iii)	जिन पदों के लिए आयु सीमा 18-28 वर्ष है	अभ्यर्थी का जन्म 02-01-1998 से पहले और 01-01-2008 के बाद का न हो।
(iv)	जिन पदों के लिए आयु सीमा 18-30 वर्ष है	अभ्यर्थी का जन्म 02-01-1996 से पहले और 01-01-2008 के बाद का न हो।
(v)	जिन पदों के लिए आयु सीमा	अभ्यर्थी का जन्म 02-01-1991 से पहले और

	18-35 वर्ष है	01-01-2008 के बाद का न हो।
(vi)	जिन पदों के लिए आयु सीमा 20-25 वर्ष है	अभ्यर्थी का जन्म 02-01-2001 से पहले और 01-01-2006 के बाद का न हो।
(vii)	जिन पदों के लिए आयु सीमा 20-30 वर्ष है	अभ्यर्थी का जन्म 02-01-1996 से पहले और 01-01-2006 के बाद का न हो।
(viii)	जिन पदों के लिए आयु सीमा 21-27 वर्ष है	अभ्यर्थी का जन्म 02-01-1999 से पहले और 01-01-2005 के बाद का न हो।
(ix)	जिन पदों के लिए आयु सीमा 21-28 वर्ष है	अभ्यर्थी का जन्म 02-01-1998 से पहले और 01-01-2005 के बाद का न हो।
(x)	जिन पदों के लिए आयु सीमा 22-28 वर्ष है	अभ्यर्थी का जन्म 02-01-1998 से पहले और 01-01-2004 के बाद का न हो।
(xi)	जिन पदों के लिए आयु सीमा 23-28 वर्ष है	अभ्यर्थी का जन्म 02-01-1998 से पहले और 01-01-2003 के बाद का न हो।

6.2 **जन्म तिथि का प्रमाण:** आयोग द्वारा आयु पात्रता के निर्धारण के लिए मैट्रिक/माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र अथवा समकक्ष प्रमाणपत्र में अंकित जन्मतिथि ही स्वीकार की जाएगी तथा बाद में इसमें किसी परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा और न ही इसकी अनुमति दी जाएगी।

6.3 **ऊपरी आयु-सीमा में छूट:** आवेदकों की पात्र श्रेणियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में स्वीकार्य छूट नीचे दी गई है :

श्रेणी कोड	श्रेणी	ऊपरी आयु सीमा के अतिरिक्त आयु में स्वीकार्य (अनुज्ञेय) छूट
01.	अजा/अजजा	05 वर्ष
02.	अपिव	03 वर्ष
03.	बेचमार्क दिव्यांगजन	10 वर्ष
04.	बेचमार्क दिव्यांगजन (अपिव)	13 वर्ष
05.	बेचमार्क दिव्यांगजन (अजा/अजजा)	15 वर्ष
06.	भूतपूर्व सैनिक(भूपूसै)	वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की अवधि घटाने के बाद 03 वर्ष
08.	किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा किसी उपद्रवग्रस्त इलाके में फौजी कार्रवाई के दौरान अशक्त हुए और उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त हुए रक्षा कार्मिक	03 वर्ष
09.	किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा किसी उपद्रवग्रस्त इलाके में फौजी कार्रवाई के दौरान अशक्त हुए और उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त हुए रक्षा कार्मिक	08 वर्ष

	(अजा/अजजा)	
समूह 'ग' पदों के लिए आयु सीमा में अतिरिक्त अनुमत्य छूट		
10.	दिनांक 04.05.2026 को केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी जिन्होंने आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो	40 वर्ष की आयु तक
11.	दिनांक 04.05.2026 को केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी (अजा/अजजा) जिन्होंने आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो	45 वर्ष की आयु तक
12.	विधवाएं/तलाकशुदा महिलाएं तथा अपने पति से न्यायिक विच्छेद प्राप्त महिलाएं जिन्होंने पुनः विवाह न किया हो	35 वर्ष की आयु तक
13.	विधवाएं/तलाकशुदा महिलाएं तथा अपने पति से न्यायिक विच्छेद प्राप्त महिलाएं जिन्होंने पुनः विवाह न किया हो (अजा/अजजा)	40 वर्ष की आयु तक

टिप्पणी 1 - आरक्षित श्रेणी के आवेदकों के लिए आयु में छूट केवल ऐसी श्रेणी के लिए आरक्षित रिक्तियों के मामले में ही स्वीकार्य है। आरक्षित श्रेणी के आवेदक, जो अनारक्षित श्रेणी के पद के लिए आवेदन करते हैं, उन्हें उसी सीमा तक आयु में छूट प्राप्त होगी, जो कि अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध है।

टिप्पणी 2 - ऊपरी आयु सीमा में छूट प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थियों को अपनी पात्रता की सावधानीपूर्वक जांच करनी होगी। यदि वे पात्र हैं तो उन्हें उनके लिए यथा-लागू सही आयु छूट कोड को भरना अपेक्षित होगा।

टिप्पणी 3 - आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा भरी गई जन्मतिथि और आयु पात्रता के निर्धारण के लिए मैट्रिक/माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही स्वीकार की जाएगी तथा बाद में इसमें किसी परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा और न ही इसकी अनुमति दी जाएगी।

7. भूतपूर्व सैनिक(भूपूसै) आवेदकों के लिए विशेष अनुदेश :-

- 7.1 शुल्क में रियायत, आयु में छूट और आरक्षण इत्यादि की मांग करने वाले भूतपूर्व सैनिक आवेदकों को आयोग/ प्रयोक्ता विभाग द्वारा, जब कभी भी मांगने पर अथवा दस्तावेज सत्यापन के समय, सक्षम प्राधिकारी (इस विज्ञप्ति का परिशिष्ट-1) से प्राप्त प्रारूप अनुबंध-IX के अनुसार अपेक्षित प्रमाणपत्र निरपवाद रूप से जमा करना होगा और प्रारूप अनुबंध-IX(क) के अनुसार एक घोषणापत्र भी प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा शुल्क में रियायत, आयु में छूट और आरक्षण इत्यादि के उनके दावों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 7.2 वर्तमान सरकारी आदेशों / अनुदेशों के अनुसार **भूतपूर्व सैनिकों** के लिए **केवल समूह 'ग' पदों** की रिक्तियां ही आरक्षित हैं।
- 7.3 सशस्त्र सेनाओं में एक भूतपूर्व सैनिक की "काल अप सर्विस" की अवधि आयु में छूट प्राप्त करने के उद्देश्य से नियमानुसार सशस्त्र सेनाओं में प्रदत्त सेवा के रूप में भी मानी जाएगी।

- 7.4 भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने पुनर्नियोजन के लिए भूतपूर्व सैनिकों को दिए गए आरक्षण का लाभ उठाते हुए केंद्र सरकार के सिविल सेवाओं में नियमित रूप से समूह 'ग' और 'घ' पदों पर रोजगार हासिल कर लिया गया है, वे भूतपूर्व सैनिक श्रेणी में आरक्षण और शुल्क में छूट के पात्र नहीं हैं। तथापि, यदि उसने सिविल रोजगार प्राप्त करने के तत्काल बाद संबंधित नियोक्ता को विभिन्न रिक्तियों के लिए किए गए आवेदनों के दिनांक-वार ब्यौरे, जिनके लिए उसने शुरूआती रोजगार प्राप्त करने से पहले आवेदन किया था, के बारे में स्वयं घोषणा करता है / वचनबंध करता है, तो वह कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 14 अगस्त 2014 को जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या 36034/1/2014-स्थापना(आरक्षण) में यथा उल्लिखितानुसार, अनुवर्ती रोजगार के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठा सकता है।
- 7.5 एक मैट्रिकुलेट भूतपूर्व सैनिक (जिसमें वह भूतपूर्व सैनिक भी शामिल है, जिसने नौसेना या वायु सेना में भारतीय सेना के विशेष प्रमाण पत्र अथवा पत्राचार प्रमाण पत्र प्राप्त किया है), जिन्होंने संघ के सशस्त्र बलों में आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि दिनांक **04.05.2026** तक कम से कम 15 वर्ष की सेवा की है, उन्हें केवल भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित पदों हेतु समूह 'ग' के उन पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र समझा जाएगा, जिनके लिए न्यूनतम अनिवार्य योग्यता 'स्नातक' होगी, बशर्ते की वह उस पद के लिए निर्धारित अन्य पात्रता शर्तों को पूरी करता हो। इस प्रकार, वे मैट्रिकुलेट भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने दिनांक **04.05.2026** को 15 वर्ष की सेवा पूरी नहीं की है, वे इन पदों के लिए **पात्र नहीं हैं।**
- 7.6 भूपूँस के पुत्र-पुत्रियों और आश्रितों को आयु में छूट, शुल्क में रियायत, और आरक्षण स्वीकार्य नहीं है। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को अपनी श्रेणी भूतपूर्व सैनिक के रूप में नहीं दर्शानी चाहिए।
- 7.7 आरक्षण इत्यादि के लाभों को प्राप्त करने के प्रयोजन से भूतपूर्व सैनिक माने जाने के लिए संघ की तीनों सशस्त्र सेनाओं के किसी भी सैनिक के लिए आवश्यक है कि उसने इस पद / सेवा के लिए आवेदन पत्र भेजने के संगत समय पर भूतपूर्व सैनिक का दर्जा पहले ही हासिल कर लिया हो; अथवा उसे सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त दस्तावेजी सबूतों के द्वारा अपनी इस अर्जित हकदारी को सिद्ध करने की स्थिति में होना चाहिए कि वह दिनांक **04.05.2026** से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर सशस्त्र सेनाओं की विनिर्दिष्ट सेवा की अवधि पूरी कर लेगा। ऐसे अभ्यर्थियों को दिनांक **04.05.2026** से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर भूतपूर्व सैनिक का दर्जा अवश्य प्राप्त कर लेना चाहिए।
- 7.8 **भूतपूर्व सैनिक (ईएसएम) :** 'भूतपूर्व सैनिक' से आशय उस व्यक्ति से है:
- 7.8.1 जिसने भारतीय संघ की नियमित थल सेना, नौ सेना या वायु सेना में लड़ाकू सैनिक अथवा गैर लड़ाकू सैनिक के रूप में किसी भी पद पर सेवा की हो, तथा
- 7.8.2 जो ऐसी सेवा से या तो अपने अनुरोध पर कार्यमुक्त/सेवा निवृत्त हुआ हो या अपनी पेंशन लेने के बाद नियोक्ता द्वारा कार्यमुक्त किया गया हो, या

7.8.3 जिसे सैनिक सेवा/अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण ऐसी सेवा से चिकित्सा आधार पर कार्यमुक्त किया गया हो तथा जिसे चिकित्सा अथवा अन्य निःशक्तता पेंशन दी गई हो; या

7.8.4 जिसे कर्मचारियों में कटौती के परिणामस्वरूप उस सेवा से कार्यमुक्त किया गया हो;

अथवा

7.8.5 जिसे सेवा की विशिष्ट अवधि को पूरा करने के बाद, अपने अनुरोध अथवा दुराचरण अथवा अकुशलता के कारण सेवामुक्त या बर्खास्त न करके किसी अन्य कारण से सेवामुक्त किया गया हो तथा जिसे सेवा उपदान दिया गया हो और इसमें प्रादेशिक सेना के कार्मिक शामिल हैं, नामतः निरंतर मूर्त सेवा अथवा अलग-अलग अवधियों में की गई अर्हक सेवा वाले पेंशनधारी ;

अथवा

7.8.6 सैन्य डाक सेवा के कार्मिक जो कि नियमित सेना के अंग हैं और जो अपनी मूल सेवा में प्रत्यावर्तित हुए बिना सैन्य डाक सेवा से पेंशन सहित सेवा निवृत्त हुए हैं अथवा अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण अथवा सैन्य सेवा के कारण चिकित्सा आधार पर अक्षम होकर सैन्य डाक सेवा से कार्यमुक्त हुए हैं और उन्हें चिकित्सा अथवा अन्य निःशक्तता पेंशन मिली हुई है;

अथवा

7.8.7 ऐसे कार्मिक जो 14 अप्रैल, 1987 से पूर्व सैन्य डाक सेवा में 06 माह से अधिक अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर थे;

अथवा

7.8.8 प्रांतीय सेना के कार्मिक सहित सशस्त्र सेनाओं के वीरता पुरस्कार विजेता ;

अथवा

7.8.9 भर्ती हुए भूतपूर्व सैनिक जिन्हें चिकित्सा आधार पर निकाला गया है अथवा कार्यमुक्त किया गया है और जिन्हें चिकित्सा निःशक्तता पेंशन दी गई है।

8. प्रमाणन की प्रक्रिया एवं प्रमाण पत्रों का प्रारूप:

8.1 जो अभ्यर्थी आरक्षित रिक्तियों हेतु विचार किए जाने अथवा आयु में छूट पाने के इच्छुक हैं, उन्हें दस्तावेज सत्यापन के दौरान मांगकर्ता विभागों / संगठनों द्वारा मांगे जाने पर अथवा किसी अन्य समय पर आयोग / प्रयोक्ता विभागों द्वारा मांगे जाने पर निर्धारित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त इन प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा, अजा/अजजा/अपिव/ आकव/बे.दि./ भूपूसै श्रेणी के उनके दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा उनकी अभ्यर्थिता को, यदि वे अनारक्षित श्रेणी के लिए पात्रता शर्तों को पूरा करते

हैं तो अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत माना जाएगा। प्रमाणपत्रों के प्रारूप इस परीक्षा की विज्ञप्ति के साथ संलग्न हैं। दिव्यांगता (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा और संपूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) के अंतर्गत जारी दिव्यांगता प्रमाणपत्र भी वैध होगा। किसी अन्य प्रारूप में प्राप्त किए गए प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

8.2 अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वे आवेदन पत्र में भरी गई श्रेणी से संबंधित हैं और संबंधित मांगकर्ता विभागों / संगठनों द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय इस तरह के प्रमाणपत्र मांगे जाने पर वे सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त अपेक्षित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करके इसे साबित करने में सक्षम हैं जिसमें विफल होने पर उनकी अभ्यर्थिता अनारक्षित श्रेणी में मानी जाएगी, यदि वह अनारक्षित श्रेणी की पात्रता शर्तों को पूरा करता है। यदि किसी अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता को आवेदनपत्र में भरी गई श्रेणी के समर्थन में अपेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के लिए मांगकर्ता विभाग / संगठन द्वारा खारिज कर दिया जाता है, तो इसके लिए अभ्यर्थी पूरी तरह से उत्तरदायी होगा और इस संबंध में आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इस संबंध में डाक, फैक्स, ईमेल, दस्ती आदि किसी भी रूप में प्राप्त किसी भी शिकायत पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा और इसे सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा। उदाहरण के लिए, अभ्यर्थी X ने अपने आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी अ.जा. भरी है। तथापि, मांगकर्ता विभाग/संगठन द्वारा दस्तावेज सत्यापन के दौरान, वह वैध अ.जा. प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है। ऐसी स्थिति में, यदि वह अनारक्षित श्रेणी के लिए निर्धारित सभी पात्रता शर्तों को पूरा करता है तो X की अभ्यर्थिता अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत मानी जाएगी।

8.3 अजा/अजजा/अपिव/आकव/बे.दि./भू.पू.सै स्थिति के दावे या किसी अन्य लाभ नामतः शुल्क में छूट, आरक्षण, आयु में छूट आदि की निर्णायक तिथि, जहां पर अन्यथा निर्दिष्ट नहीं है, ऑनलाइन आवेदन पत्रों को प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्थात् 04.05.2026 होगी। निर्णायक तिथि का अर्थ यह नहीं है कि प्रमाणपत्र (पत्रों) की तिथि आवेदन के अंतिम तिथि से पहले होनी चाहिए, बल्कि इसका अर्थ है कि निर्णायक तिथि को अभ्यर्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग /आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/ बेंचमार्क दिव्यांगजन / भूतपूर्व सैनिक श्रेणी में आते हो, जैसा भी लागू हो।

8.4 अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण के आधार पर नियुक्ति की अपेक्षा करने वाले व्यक्ति को अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके पास जाति/समुदाय का प्रमाण पत्र है तथा वह निर्णायक तिथि को क्रीमी लेयर में नहीं आता/आती है।

8.5 यदि कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी के लिए आरक्षण के आधार पर नियुक्ति चाहता है तो उसे सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उसके पास दिनांक 31.01.2019 के का.ज्ञा. सं. 36039/1/2019-स्था. (आ.) के अनुसार वित्त वर्ष 2025-2026 की आय के आधार पर जारी वित्त वर्ष 2026-2027 के लिए वैध आय और परिसंपत्ति प्रमाणपत्र होना चाहिए।

8.6 अभ्यर्थी यह भी नोट करें कि उपर्युक्त के होते हुए भी उनकी अभ्यर्थिता तब तक अनंतिम रहेगी, जब तक कि नियुक्ति अधिकारी द्वारा संबंधित दस्तावेज की यथातथ्यता की पुष्टि नहीं कर ली जाती। अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है कि यदि वे कपटपूर्वक अजा/अजजा/अपिव/आकव/बे.दि./भू.पू.सै श्रेणी का दावा करते हैं या कोई अन्य लाभ प्राप्त करते हैं तो आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा से उन्हें वारित कर दिया जाएगा।

8.7 बेंचमार्क दिव्यांग (पीडब्ल्यूबीडी) अभ्यर्थी ध्यान दें कि आवेदन पत्र भरते समय उन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र के अनुसार उपयुक्त बेंचमार्क दिव्यांग उप-श्रेणी अर्थात् अ.दि / श्र.दि. / दृ.दि. / बें.दि. - अन्य का चयन करना होगा। किसी भी परिस्थिति में बेंचमार्क दिव्यांग उप-श्रेणी में बाद में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को दस्तावेज़ सत्यापन के समय मांगकर्ता विभाग / संगठनों द्वारा ऐसे प्रमाण पत्र मांगे जाने पर सक्षम प्राधिकारी से अपेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जैसा कि आवेदनपत्र में घोषित किया गया है और ऐसा न करने पर उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 38-16/2020-डीडी-III, दिनांकित 04.01.2021 में निर्दिष्ट दिव्यांगता / दिव्यांगताओं के प्रकार (जैसे एक बांह, एक पैर, दोनो पैर, बौनापन, मानसिक रूग्णता, विशिष्ट अभिगम दिव्यांगता आदि) के संबंध में प्रमाण पत्र जारी करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा इनका उल्लेख स्पष्ट रूप से किया जाना चाहिए। यदि किसी अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में भरी गई बेंचमार्क दिव्यांग उप-श्रेणी के समर्थन में अपेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के कारण मांगकर्ता विभाग/संगठन द्वारा निरस्त कर दिया जाता है, तो अभ्यर्थी इसके लिए पूरी तरह से उत्तरदायी होगा और आयोग की इस संबंध में कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इस मामले पर किसी भी रूप में जैसे डाक, ईमेल, दस्ती आदि प्राप्त किसी भी शिकायत पर आयोग द्वारा कार्रवाई नहीं की जाएगी और इसे सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

9. अतिरिक्त समय तथा प्रलिपिक की सहायता लेने का प्रावधान:

- 9.1 दृष्टिहीनता, चालन संबंधी दिव्यांगता (दोनों बांह प्रभावित-दो.बां.) और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात की श्रेणी में बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के मामले में, प्रलिपिक की सुविधा प्रदान की जाएगी, बशर्ते कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय आयोग से इसका अनुरोध किया गया हो, **आवेदन पत्र भरते समय अपेक्षित प्रमाणपत्र (विज्ञप्ति का अनुबंध - VIII / दिव्यांगता प्रमाणपत्र) अपलोड** किया गया हो और वे पद दिव्यांगता की इन श्रेणियों के लिए उपयुक्त पाए गए हों।
- 9.2 बेंचमार्क दिव्यांगजनों की शेष श्रेणियों के मामले में, **अनुबंध-Iक** पर दिए प्रोफार्मा के अनुसार सरकारी स्वास्थ्य देखरेख संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक से इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर प्रलिपिक की सुविधा प्रदान की जाएगी कि संबंधित व्यक्ति की लेखन संबंधी शारीरिक सीमाएं हैं और उसकी ओर से परीक्षा में लिखने के लिए प्रलिपिक अत्यावश्यक है। **साथ ही, आवेदनपत्र भरते समय अपेक्षित प्रमाणपत्र (अनुबंध I क / दिव्यांगता प्रमाणपत्र) भी अपलोड करना होगा।** अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुबंध- Iक के अनुसार दिए गए बेंचमार्क दिव्यांग प्रमाणपत्र की आयोग द्वारा किसी भी स्तर पर जांच की जा सकती है।
- 9.3 अभ्यर्थी को अपने प्रलिपिक अथवा आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रलिपिक की सुविधा में से किसी एक को चुनने का अधिकार होगा। अभ्यर्थी को इस संबंध में ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में उपयुक्त विकल्प देना होगा।

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन सं. 29-6/2019-DD-III, दिनांक 10.08.2022 के अनुपालन में 40 प्रतिशत

से कम दिव्यांगता होने और लिखने में कठिनाई का अनुभव करने वाले को भी प्रलिपिक की सुविधा प्रदान की जाएगी। यह सुविधा अनुबंध-॥क और अनुबंध-॥ख के अनुसार प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर ही दी जाएगी। आवेदनपत्र भरते समय अपेक्षित प्रमाणपत्र (अनुबंध-॥क और अनुबंध-॥ख / दिव्यांगता प्रमाणपत्र) भी अपलोड करना होगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुबंध-॥क और अनुबंध-॥ख के अनुसार दिए गए बेंचमार्क दिव्यांग प्रमाणपत्र की आयोग द्वारा किसी भी स्तर पर जांच की जा सकती है।

9.4 यदि बेंचमार्क दिव्यांगजन / दिव्यांग अभ्यर्थी अपने ही प्रलिपिक का विकल्प देता है तो निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दिया जाए :-

क) किसी व्यक्ति को आयोग की वेबसाइट पर अपना एकबारगी पंजीकरण (ओटीआर) और आधार प्रमाणीकरण पूरा करने के बाद ही प्रलिपिक के रूप में काम करने की अनुमति दी जाएगी। यदि अभ्यर्थी का प्रलिपिक आधार प्रमाणित नहीं है, तो आयोग अभ्यर्थी को प्रलिपिक उपलब्ध कराएगा।

ख) कोई भी प्रलिपिक एक ही परीक्षा में एक से अधिक अभ्यर्थियों को सहायता प्रदान नहीं करेगा।

ग) परीक्षा के लिए आवेदन करने वाला अभ्यर्थी उसी परीक्षा में किसी अन्य अभ्यर्थी के लिए प्रलिपिक के रूप में कार्य नहीं करेगा।

घ) प्रलिपिक की योग्यता परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी की योग्यता से एक स्तर नीचे होगी।

ड) अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि प्रलिपिक के बारे में दी गई जानकारी सही है। यदि परीक्षा के दौरान या उसके बाद किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि किसी अभ्यर्थी (बें.दि. / दि.) ने प्रलिपिक की सुविधा का लाभ उठाया है और वह प्रलिपिक किसी दूसरे की नकल करता हुआ पाया गया है और/अथवा प्रलिपिक या अभ्यर्थी द्वारा दी गई कोई भी जानकारी झूठी/गलत पाई जाती है, तो अभ्यर्थी को इसके लिए उत्तरदायी माना जाएगा और ऐसे अभ्यर्थी (बें.दि. / दि.) की अभ्यर्थिता तत्काल रद्द कर दी जाएगी।

च) अभ्यर्थियों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनके द्वारा लिए गए प्रलिपिक आयोग की वेबसाइट (<https://ssc.gov.in>) पर दिए गए वारित व्यक्तियों की सूची में शामिल नहीं हैं। इसलिए, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आयोग/क्षेत्रीय कार्यालय (कार्यालयों) की वेबसाइट पर दिए गए वारित व्यक्तियों की सूची को ध्यान से देखें।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। अभ्यर्थी के साथ-साथ प्रलिपिक को भी मौजूदा नियमों के अनुसार वारित कर दिया जाएगा। प्रलिपिक के खिलाफ प्रासंगिक कार्रवाई की जाएगी और यदि आवश्यक हुआ तो आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी।

9.5 प्रलिपिक के पंजीकरण और उसके लिए विकल्प देने की प्रक्रिया नीचे दी गई है:

(क) अभ्यर्थी द्वारा प्रलिपिक के रूप में कार्य करने के लिए किसी व्यक्ति को चुनने से पहले, उस व्यक्ति (प्रलिपिक) के लिए आयोग की वेबसाइट पर **एकबारगी पंजीकरण (ओटीआर)** पूरा करना होगा और उसे **आधार प्रमाणित** होना चाहिए। पंजीकरण के दौरान प्रलिपिक के मोबाइल नंबर पर जनरेट किए गए ओटीआर नंबर को अभ्यर्थी द्वारा भरना होगा ताकि वह उस व्यक्ति को अपना प्रलिपिक चुन सके।

(ख) जब प्रवेश प्रमाणपत्र लाइव हो जाता है, तो अभ्यर्थी को आयोग की वेबसाइट पर संपर्क करना होगा और प्रलिपिक का ओटीआर नंबर देना होगा। एकबारगी पासवर्ड जनरेट किया जाएगा और प्रलिपिक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। अभ्यर्थी को प्रलिपिक से ओटीपी प्राप्त करना होगा और पोर्टल पर उपयुक्त फ़ील्ड में उसे भरना होगा। अभ्यर्थी और प्रलिपिक द्वारा अपेक्षित व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि प्रवेश प्रमाणपत्र जनरेट करते समय अपना स्वयं का प्रलिपिक चुनने की प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हो सके।

(ग) प्रक्रिया पूरी करने के बाद, अभ्यर्थी का प्रवेश प्रमाण-पत्र तथा प्रलिपिक का प्रवेश पास तैयार हो जाएगा, जिसे अभ्यर्थी डाउनलोड कर सकता है।

(घ) यदि प्रवेश प्रमाण-पत्र तैयार करते समय अभ्यर्थी आवेदन-पत्र में प्रलिपिक का विकल्प चुनने के बावजूद स्वयं प्रलिपिक नहीं लेना चाहता है, तो अभ्यर्थी आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रलिपिक की सहायता का विकल्प ले सकता है। ऐसा विकल्प चुनने के बाद अभ्यर्थी प्रवेश प्रमाण-पत्र डाउनलोड कर सकता है। आयोग द्वारा अभ्यर्थी को परीक्षा के समय प्रलिपिक की सुविधा प्रदान की जाएगी।

(ङ) यदि अभ्यर्थी द्वारा चुना गया प्रलिपिक, जिसका प्रवेश पास भी तैयार हो चुका है, किसी कारण अभ्यर्थी की सहायता के लिए परीक्षा के समय नहीं आता है, तो आयोग परीक्षा के समय प्रलिपिक उपलब्ध कराएगा।

9.6 बेंचमार्क दिव्यांग अभ्यर्थी जो स्वयं के प्रलिपिक का विकल्प चुनते हैं, उन्हें आयोग की वेबसाइट पर परीक्षा तिथि, शहर और स्थान की सूचना लाइव होने की अवधि के दौरान स्वयं के प्रलिपिक का विवरण प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा, प्रलिपिक को परीक्षा के समय मूल रूप में एक वैध पहचान प्रमाण (**पैरा-16.8** में दी गई सूची के अनुसार) प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थी और प्रलिपिक द्वारा हस्ताक्षरित प्रलिपिक के पहचान प्रमाण की एक फोटोकॉपी **अनुबंध-1ख** पर दिए गए प्रपत्र के साथ प्रस्तुत की जाएगी। यदि बाद में यह पाया जाता है कि प्रलिपिक की योग्यता अभ्यर्थी द्वारा घोषित योग्यता के अनुसार नहीं है, तो अभ्यर्थी को पद और उससे संबंधित दावा करने का अधिकार नहीं रहेगा।

9.7 किसी अभ्यर्थी का प्रलिपिक इस **परीक्षा का अभ्यर्थी नहीं होना चाहिए**। अगर कोई अभ्यर्थी किसी अन्य दिव्यांग / बेंचमार्क दिव्यांग अभ्यर्थी की इस परीक्षा में प्रलिपिक के रूप में सहायता करते पकड़ा गया तो, उन दोनों अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी।

- 9.8 ऐसे व्यक्तियों, जिन्हें उपरोक्त पैरा 9.1, 9.2 और 9.3 में यथा-वर्णित उपबंधों के अनुसार प्रलिपिक की सहायता लेने की अनुमति दी गई है, उन्हें परीक्षा में प्रति घंटा 20 मिनट का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा।
- 9.9 उपरोक्त पैरा 9.1, 9.2 और 9.3 में संदर्भित अभ्यर्थी, जिन्हें प्रलिपिक की सहायता लेने की अनुमति दी गई है, लेकिन वे प्रलिपिक की सुविधा का लाभ नहीं ले रहे हैं, तो उन्हें भी परीक्षा में प्रतिघंटा 20 मिनट का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा।
- 9.10 दिव्यांग/ बेंचमार्क दिव्यांग अभ्यर्थी जिन्होंने प्रलिपिक / पाठ वाचक (पैसेज रीडर) और / या प्रतिपूरक समय की सुविधा का लाभ उठाया है, उन्हें कम्प्यूटर आधारित परीक्षा समाप्त होने के बाद आयोग द्वारा मांगे जाने पर या दस्तावेज सत्यापन के समय प्रलिपिक / प्रतिपूरक समय की पात्रता के लिए प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। ऐसे सहायक दस्तावेजों को प्रस्तुत न करने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी।
- 9.11 परीक्षा हॉल के अन्दर पात्र अभ्यर्थियों के साथ प्रलिपिक के अलावा किसी अन्य परिचर को आने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- 9.12 एक आँख वाले और आंशिक रूप से दृष्टिहीन अभ्यर्थी जो आवर्धक लैन्स (मैग्नीफाइंग ग्लास) से अथवा बिना आवर्धक लैन्स (मैग्नीफाइंग ग्लास) के सामान्य प्रश्नपत्र पढ़ने में सक्षम हैं और आवर्धक लैन्स (मैग्नीफाइंग ग्लास) की सहायता से उत्तर लिखना / दर्शाना चाहते हैं, उन्हें परीक्षा भवन में आवर्धक लैन्स (मैग्नीफाइंग ग्लास) का प्रयोग करने की अनुमति दी जाएगी तथा वे किसी प्रलिपिक की सेवाओं के हकदार नहीं होंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा भवन में स्वयं अपना आवर्धक लैन्स (मैग्नीफाइंग ग्लास) लाना होगा।

10. अनिवार्य योग्यता (अ.यो.) और आयु सीमा के लिए निर्णायक तिथि :

- 10.1 संबंधित प्रयोक्ता विभागों / मंत्रालयों की आवश्यकता के अनुसार, प्रत्येक पद के लिए अनिवार्य योग्यता (अ.यो.) और आयु सीमा के बारे में इस विज्ञप्ति के अनुबंध-III में दिए गए पद (पदों) के ब्यौरे / विवरण में उल्लेख किया गया है।
- 10.2 आयु सीमा का निर्धारण करने के लिए निर्णायक तिथि **01-01-2026** होगी और अनिवार्य योग्यता (अ.यो.) / अनुभव के लिए अंतिम तिथि अर्थात् **04.0.5.2026** होगी।
- 10.3 पद (पदों) के लिए आवेदन करने से पूर्व, अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि उनके पास अनुभव सहित अनिवार्य योग्यता है जहां कहीं इसे अनिवार्य योग्यता के रूप में विहित किया गया है और साथ ही वे ऊपर पैरा 10.2 में उल्लिखित निर्णायक तिथि को आयु सीमा में भी आते हैं।

- 10.4 जिन पदों के लिए अनुभव की आवश्यकता है, ऐसा अनुभव अभ्यर्थियों द्वारा संबंधित पद के लिए विनिर्दिष्ट **शैक्षिक योग्यता पूरी करने के बाद** ही होना चाहिए। इसके अलावा, शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने के दौरान प्राप्त किया गया इंटरनशिप, प्रशिक्षण, अनुसंधान अनुभव, आदि **चाहे वह शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने के बाद भी प्राप्त भी किया गया हो**, अनुभव के रूप में नहीं गिना जाएगा।
- 10.5 उन पदों के लिए जहां एक विशिष्ट अवधि के लिए किसी विशेष क्षेत्र / विधा में **अनुभव** का एक **अनिवार्य योग्यता** के रूप में उल्लेख किया गया है, आवेदकों को ऑनलाइन आवेदनपत्र के संगत कॉलम में इसे भरना चाहिए और साथ ही, कम्प्यूटर आधारित परीक्षा होने के बाद अथवा दस्तावेज सत्यापन के दौरान संगत क्षेत्र / विधा में अनुभव रखने के दावे के समर्थन में **सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त, आयोग / प्रयोक्ता विभाग द्वारा मांगे जाने पर, प्रमाणपत्र की स्व-प्रमाणित प्रति भी अपलोड करनी चाहिए, ऐसा न करने पर उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।**
- 10.6 चयन केवल पद से संबंधित भर्ती नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार ही होगा। यह भी ध्यान दिया जाए कि विज्ञप्ति में उल्लिखित किसी श्रेणी के पद हेतु विहित अनिवार्य योग्यता (अ.यो.) के संबंध में समकक्षता का उल्लेख नहीं किया गया है तो ऐसे मामलों में समकक्षता को स्वीकृति नहीं दी जाएगी। यदि भर्ती नियमों में समतुल्यता की अनुमति दी जाती है, तो समतुल्य योग्यता के समर्थन में भारत सरकार/राज्य सरकार अथवा उस संस्थान के सक्षम प्राधिकारी जहां से उन्होंने शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की थी, द्वारा जारी आवश्यक दस्तावेज / प्रमाणपत्र (संख्या और दिनांक सहित आदेश / पत्र), जैसा विज्ञप्ति में उस विशेष श्रेणी के पद के समक्ष पद के विवरण में उल्लिखित किया गया हो, को प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व अभ्यर्थियों का है, ऐसा न करने पर उनके आवेदन को सरसरी तौर पर रद्द कर दिया जाएगा।
- 10.7 ऐसे पद (पदों) के संबंध में, जहां अनिवार्य योग्यता के रूप में विशिष्ट भाषा में प्रवीणता अपेक्षित है, अभ्यर्थी ने उस भाषा का मैट्रिक स्तर तक अवश्य अध्ययन किया हो और, यदि संगत भाषा मैट्रिक में एक विषय के रूप में नहीं पढ़ाई जाती है, तो उक्त भाषा, आवेदक की मातृभाषा अवश्य होनी चाहिए।
- 10.8 मानव संसाधन विकास मंत्रालय की दिनांक 10.06.2015 की अधिसूचना के अनुसार, संसद अथवा राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत विश्वविद्यालयवत संस्थाओं और संसद के किसी अधिनियम के अंतर्गत घोषित राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं द्वारा मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षण पद्धति के माध्यम से प्रदान की गई समस्त डिप्लोमा / डिग्रियां / प्रमाणपत्र केंद्र सरकार के अंतर्गत पदों और सेवाओं में नियोजन के प्रयोजन से स्वतः ही मान्यता प्राप्त हैं बशर्ते, उनको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुमोदन हो। तदनुसार, यदि ऐसी डिग्रियां उस संगत अवधि के लिए मान्यताप्राप्त नहीं है जिस अवधि में अभ्यर्थी ने उसे हासिल किया था, तो उन्हें शैक्षिक योग्यता के प्रयोजनार्थ स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि अभ्यर्थी ने ऐसी डिग्री / डिप्लोमा / प्रमाणपत्र शिक्षा के मुक्त और दूरस्थ अभिगम माध्यम से प्राप्त किया है तो उसे दस्तावेज सत्यापन के दौरा उस संगत अवधि के लिए दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो और /

अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उस संबंधित विश्वविद्यालय को दिया गया अनुमोदन भी प्रस्तुत करेगा।

10.9 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा) विनियम 2017 (शासकीय राजपत्र के भाग-III (8)(v) के तहत दिनांक 23.06.2017 को प्रकाशित) के अनुसार, मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षण पद्धति के तहत किए गए अभियांत्रिकी, चिकित्सा, दंत, नर्सिंग, फार्मसी, वास्तुकला और फिजियोथेरेपी आदि के पाठ्यक्रम मान्य नहीं हैं। तथापि, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय ओपन विश्वविद्यालय(इग्नू) द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2009-10 में नामांकित छात्रों को प्रदान की गई अभियांत्रिकी में बी.टेक डिग्री / डिप्लोमा यथा-प्रयोज्य वैध माना जाएगा।

10.10 दस्तावेजों के सत्यापन हेतु बुलाए जाने वाले सभी अभ्यर्थियों को कट ऑफ तिथि पर या उससे पहले न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के प्रमाण के रूप में स्नातक के सभी वर्षों / सेमेस्टर्स की मार्कशीट / प्रोविजनल सर्टिफिकेट / स्नातक की डिग्री जैसे संगत प्रमाणपत्र मूल रूप में जमा करने होंगे, ऐसा न करने पर आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी। जो अभ्यर्थी दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा यह साबित करने में सक्षम हैं कि अर्हता परीक्षा का परिणाम कट ऑफ तिथि पर या उससे पहले घोषित किया गया था और उन्हें उत्तीर्ण घोषित किया गया था उन्हें शैक्षणिक योग्यता पूरी करने वाला माना जाएगा। यह पुनः बताया जाता है कि अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता का परिणाम संस्थान / विश्वविद्यालय द्वारा निर्दिष्ट तिथि तक अवश्य घोषित किया जाना चाहिए। कट ऑफ तिथि तक विश्वविद्यालय / संस्थान द्वारा परिणाम को तैयार करने मात्र से अर्हक योग्यता की मांग पूरी नहीं होती है।

11. आवेदन कैसे करें :

11.1 अभ्यर्थियों को पद की प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग-अलग आवेदन करना होगा और प्रत्येक श्रेणी के लिए शुल्क का भुगतान भी करना होगा।

11.2 आवेदनों को कर्मचारी चयन आयोग मुख्यालय की आधिकारिक वेबसाइट अर्थात् <http://ssc.gov.in> पर केवल ऑनलाइन माध्यम से अथवा mySSC मोबाइल एप (जोकि गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है) के माध्यम से ही प्रस्तुत करना अपेक्षित है। विस्तृत अनुदेशों के लिए, कृपया इस विज्ञप्ति के अनुबंध-IV और अनुबंध-V और साथ ही, आयोग वेबसाइट पर उपलब्ध मोबाइल एप से संबंधित दिनांक 02.06.2025 की विज्ञप्ति का अवलोकन करें।

11.3 ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि **04.05.2026 (23.00 बजे)** है।

11.4 अभ्यर्थियों को उनके अपने हित में सलाह दी जाती है कि आवेदन प्रस्तुत करने के अंतिम दिनों के दौरान वेबसाइट पर अत्यधिक दबाव होने के कारण कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट पर लॉग-इन करते समय विसंबंधन/असमर्थता अथवा असफलता

की संभावना से बचने के लिए अंतिम तिथि तक प्रतीक्षा न करें तथा अंतिम तिथि से पर्याप्त समय पहले ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दें।

- 11.5 वे सभी अभ्यर्थी जो इस विज्ञप्ति के प्रत्युत्तर में आवेदन करना चाहते हैं और जिन्होंने आयोग की नई वेबसाइट (<https://ssc.gov.in>) पर अपना एकबारगी पंजीकरण (ओटीआर) नहीं किया है, उन्हें नई वेबसाइट पर अपना एकबारगी पंजीकरण (ओटीआर) करना होगा क्योंकि पुरानी वेबसाइट (<https://ssc.nic.in>) पर किया गया एकबारगी पंजीकरण (ओटीआर) नई साइट के लिए कार्य नहीं करेगा। एकबारगी पंजीकरण (ओटीआर) करने के बाद, अभ्यर्थी परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। एक बार नई वेबसाइट पर एकबारगी पंजीकरण (ओटीआर) करने के बाद यह नई वेबसाइट पर आवेदन की जाने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वैध बना रहेगा। ओटीआर के लिए विस्तृत निर्देश इस विज्ञप्ति के अनुबंध-IV में दिए गए हैं।
- 11.6 अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित आधार नीति के अनुसार अपनी ओटीआर प्रक्रिया पूरी करते समय आधार आधारित प्रमाणीकरण का विकल्प चुनें। आधार प्रमाणीकरण का विकल्प चुनने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन इस आधार पर अस्वीकार नहीं किए जाएंगे कि अभ्यर्थी द्वारा अपलोड की गई फोटो और/या हस्ताक्षर निर्धारित मानकों के अनुसार नहीं हैं। ऐसे अभ्यर्थियों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा के समय परीक्षा स्थल में प्रवेश हेतु हाल ही में खींची गई रंगीन फोटो, मूल रूप में वैध फोटो-पहचान प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- 11.7 आवेदन करने हेतु, अभ्यर्थी को उसके पहले से खींचे गए फोटो की आवश्यकता नहीं है। आवेदन मॉड्यूल को आवेदनपत्र भरने वाले अभ्यर्थी की रियल-टाइम फोटो लेने के लिए डिजाइन किया गया है। इस प्रयोजनार्थ अभ्यर्थी को मॉड्यूल द्वारा संकेत दिए जाने पर कैमरे के सामने खड़े होना/ बैठना होगा और फोटो खींचते समय निम्नलिखित निर्देशों का पालन करना होगा।
- (क) अच्छी रोशनी और सादी पृष्ठभूमि वाला स्थान चुनें।
 - (ख) फोटो लेने से पहले सुनिश्चित करें कि कैमरा आंखों के स्तर पर है।
 - (ग) अपने आप को कैमरे के सामने रखें और सीधे सामने देखें।
 - (घ) यह सुनिश्चित करें कि चेहरा कैमरे में निर्धारित आयताकार स्थान के अंदर पूरी तरह समाहित हो और यह न तो बहुत करीब हो और न ही बहुत दूर हो। यह इस स्थान को पूरी तरह कवर करे और चेहरे का कोई भी भाग इस आयताकार स्थान से बाहर नहीं होना चाहिए।
 - (ङ.) अभ्यर्थियों को फोटो लेते समय टोपी, मास्क या धूप का चश्मा/नज़र का चश्मा नहीं पहनना चाहिए।
- 11.8 परीक्षा में शामिल होने के दौरान अभ्यर्थी को वैसा ही दिखना चाहिए जैसा कि आवेदनपत्र में उसकी फोटो लगाई गई है। अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ली गई फोटो साफ हो, टोपी या चश्मा न हो और सामने से चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे। ऐसे फोटोयुक्त आवेदनों को निरस्त कर दिया जाएगा जिनमें फोटो निर्देशों के अनुसार नहीं ली गई है। किसी भी स्थिति में अभ्यर्थी को अपनी अपनी पहले

- से मौजूद तस्वीर की फोटो नहीं खींचनी चाहिए। ऐसे सभी आवेदन जिनमें उनकी पहले से मौजूद तस्वीर की फोटो खींची गई है, उन्हें सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिया जाएगा। तथापि, अभ्यर्थियों के आधार आधारित प्रमाणीकरण प्रक्रिया के माध्यम से प्रस्तुत आवेदन को उपरोक्त आधार पर अस्वीकार नहीं किए जाएंगे।
- 11.9 आवेदन पत्र जमा करने से पहले, अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि फोटो दिए गए निर्देशों के अनुसार अपलोड किया गया है। यदि अभ्यर्थी द्वारा वांछित प्रारूप/साइज़ में फोटोग्राफ अपलोड नहीं किया जाता है, तो ऐसे आवेदन/ अभ्यर्थिता को अस्वीकृत या रद्द कर दिया जाएगा। तथापि, जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन करने के लिए आधार आधारित प्रमाणीकरण की प्रक्रिया अपनायी है, उनका आवेदन उपरोक्त आधार पर निरस्त नहीं किया जाएगा।
- 11.10 अभ्यर्थी को जेपीईजी/ जेपीजी प्रारूप (10 से 20 केबी) में स्कैन किए गए अपने हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे। हस्ताक्षर की छवि का आयाम लगभग 6.0 सेमी (चौड़ाई) X 2.0 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। अनुपयुक्त फोटो और धुंधले/लघु हस्ताक्षर वाले आवेदनों और उपर्युक्त आवश्यकताओं को पूरा न करने वाले आवेदनों को सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा। तथापि, अभ्यर्थियों के आधार आधारित प्रमाणीकरण प्रक्रिया के माध्यम से प्रस्तुत आवेदन को उपरोक्त आधार पर अस्वीकार नहीं किए जाएंगे।
- 11.11 यदि अभ्यर्थी पूर्वोक्त कारणों अथवा आयोग के नियंत्रण से परे किसी अन्य कारण से अपने आवेदन अंतिम तिथि के भीतर प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो इसके लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा।
- 11.12 ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले, अभ्यर्थियों को प्रीव्यू विकल्प के माध्यम से यह जांच कर लेनी चाहिए कि उन्होंने आवेदनपत्र के प्रत्येक स्थान में सही विवरण भरा है। उन्हें यह जांच भी कर लेनी चाहिए कि फोटो और हस्ताक्षर उपर्युक्त सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन (आवेदनों) की एक प्रति अपने पास रखें।
- 11.13 अभ्यर्थियों को एक पद की श्रेणी के लिए केवल एक बार ही आवेदन करना चाहिए।
- 11.14 अभ्यर्थियों द्वारा उनके आवेदन (आवेदनों) में दी गई जानकारी को प्रयोक्ता विभाग / आयोग द्वारा दस्तावेज सत्यापन के दौरान मूल दस्तावेजों के साथ सत्यापित किया जाएगा। दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान, यदि यह पाया जाता है कि ऑनलाइन आवेदनों में अभ्यर्थी द्वारा दी गई कोई सूचना गलत है तो उसकी अभ्यर्थिता को तत्काल रद्द कर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उन्होंने आवेदन पत्र में सही सूचना भरी है।

12. आवेदन शुल्क:

- 12.1 देय शुल्क रु. 100/- (एक सौ रुपये मात्र)।

- 12.2 शुल्क का भुगतान भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग अथवा वीसा, मास्टर, मैस्ट्रो कार्ड, अथवा रूपे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का उपयोग करके केवल ऑनलाइन किया जा सकता है।
- 12.3 सभी महिला अभ्यर्थियों और अनुसूचित जाति (अ.जा.), अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.), बेंचमार्क दिव्यांग श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थियों (बें.दि.) एवं आरक्षण के पात्र भूतपूर्व सैनिकों (भूपू.सै.) को आवेदन शुल्क का भुगतान करने से छूट प्रदान की गई है।
- 12.4 अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन शुल्क का भुगतान दिनांक **05.05.2026 (23.00 बजे तक)** कर सकते हैं।
- 12.5 निर्धारित शुल्क भुगतान किए बिना प्राप्त आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा और उन्हें सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा। इस तरह के अस्वीकरण के संबंध में कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। **एक बार भुगतान किए गए शुल्क को किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा** और न ही इसे किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए समायोजित किया जाएगा।
- 12.6 जिन अभ्यर्थियों को शुल्क भुगतान से छूट नहीं मिली है, उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका शुल्क कर्मचारी चयन आयोग / आयोग को प्राप्त हो गया है। यदि शुल्क एसएससी को प्राप्त नहीं होता है, तो आवेदन पत्र की स्थिति '**अपूर्ण**' दर्शाई जाएगी और यह जानकारी ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंटआउट के शीर्ष पर छपी होगी। इसके अलावा, शुल्क भुगतान की स्थिति को अभ्यर्थी के लॉग इन स्क्रीन में दिए गए "**भुगतान की स्थिति**" लिंक पर सत्यापित किया जा सकता है। ऐसे आवेदन जो **शुल्क न मिलने** के कारण अपूर्ण रह जाते हैं, उन्हें **सरसरी तौर पर निरस्त** कर दिया जाएगा और परीक्षा विज्ञप्ति में निर्दिष्ट अवधि के बाद ऐसे आवेदनों पर विचार करने और शुल्क भुगतान करने का कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- 12.7 **एक बार भुगतान किया गया शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापिस नहीं किया जाएगा** और न ही उसका समायोजन किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए किया जाएगा। **आवेदन किए गए पद की प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग से शुल्क का भुगतान किया जाना चाहिए।**
- 12.8 पद (पदों) के रद्द होने की स्थिति में, रद्द किए गए पद के लिए भुगतान किए गए शुल्क को वापस नहीं किया जाएगा अथवा न ही एसएससी द्वारा आयोजित किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए समायोजित किया जाएगा।
13. आवेदन पत्र में संशोधन करने के लिए विंडो [11.05.2026 से 13.05.2026 (23:00 बजे तक)]
- 13.1 आयोग ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद, ऑनलाइन आवेदन संबंधी मापदंडों को ठीक / संशोधित करने के लिए अभ्यर्थियों को **3 दिनों की अवधि** प्रदान करेगा, जिसमें अभ्यर्थियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार ऑनलाइन आवेदन डाटा में अपेक्षित सुधार/संशोधन/ परिवर्तन करने के बाद आवेदन फिर से जमा करने की अनुमति दी जाएगी।

- 13.2 किसी भी अभ्यर्थी को 'आवेदनपत्र में संशोधन करने के लिए विंडो' के दौरान अपने आवेदन को संशोधित करने और संशोधित आवेदन को फिर से जमा करने के लिए **दो बार** अनुमति दी जाएगी, अर्थात् यदि उसने अपने अद्यतित आवेदन में भी गलती की है, तो उसे अपेक्षित सुधार/संशोधन करने के बाद एक बार फिर से सही आवेदन जमा करने की अनुमति दी जाएगी। किसी भी परिस्थिति में आवेदन पत्र में किसी और संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- 13.3 केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में संशोधन करने की अनुमति दी जाएगी, जिनके सभी प्रकार से पूरे ऑनलाइन आवेदन अपेक्षित शुल्क के भुगतान के साथ, आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त किए गए हैं।
- 13.4 केवल नवीनतम संशोधित आवेदन को वैध माना जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा जमा किए गए पिछले आवेदन (आवेदनों) को नजरअंदाज कर दिया जाएगा।
- 13.5 आयोग पहली बार आवेदन पत्र में संशोधन करने और संशोधित/ सही आवेदन को जमा करने के लिए ₹ 200/- (दो सौ रूपए मात्र) की एक समान सुधार राशि, और तत्पश्चात, दूसरी बार संशोधन करने और संशोधित/सही आवेदन को जमा करने के लिए ₹ 500/- (पांच सौ रूपए मात्र) की सुधार राशि लगाएगा। सुधार राशि सभी अभ्यर्थियों पर लागू होगी चाहे उनका लिंग/श्रेणी कुछ भी हो।
- 13.6 सुधार राशि का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग या वीजा, मास्टरकार्ड, मेस्ट्रोकार्ड, रुपे क्रेडिट या डेबिट कार्ड का उपयोग करके किया जा सकता है।
- 13.7 एक बार भुगतान की गई सुधार राशि को किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही इसे किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए समायोजित किया जाएगा।
- 13.8 संशोधित आवेदन जमा करने से पहले अभ्यर्थी यह जांच कर लें कि उन्होंने फार्म के प्रत्येक स्थान में सही विवरण भरा है। 'आवेदनपत्र में संशोधन करने के लिए विंडो' की अवधि के समाप्त होने के पश्चात किसी भी परिस्थिति में किसी भी परिवर्तन / सुधार / संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में डाक, फैक्स, ईमेल, दस्ती आदि किसी भी माध्यम से प्राप्त अनुरोधों पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

14. कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीई) के केंद्र:

- 14.1 कर्मचारी चयन आयोग के नौ क्षेत्रीय कार्यालयों और उनके क्षेत्राधिकार में स्थित परीक्षा केंद्रों (अनंतिम) का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	परीक्षा केंद्र (केंद्रों) का नाम तथा केंद्र कोड	कर्मचारी चयन आयोग का क्षेत्रीय कार्यालय और उसके क्षेत्राधिकार के	क्षेत्रीय कार्यालयों और उनकी वेबसाइट का पता
----------	---	--	---

		अंतर्गत आने वाले राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	
1.	भागलपुर (3201), गया (3203), मुजफ्फरपुर (3205), पटना (3206), आगरा (3001), प्रयागराज (3003), बरेली (3005), गोरखपुर (3007), झांसी (3008), कानपुर (3009), लखनऊ (3010), मेरठ (3011), वाराणसी (3013), दरभंगा (3202),), छपरा (3208) पूर्णिया (3209),), सहरसा (3210), मुंगेर (3211)	मध्य क्षेत्र (म.क्षे.)/ बिहार तथा उत्तर प्रदेश	क्षेत्रीय कार्यालय (म.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, 34-ए, महात्मा गांधी मार्ग सिविल लाइन्स, केंद्रीय सदन प्रयागराज, उत्तर प्रदेश -211001 http://ssccr.gov.in
2.	श्री विजयपुरम (4802), रांची (4205), धनबाद (4206), जमशेदपुर (4207), सिउड़ी (4416), बर्दवान (4422), दुर्गापुर (4426), बालासोर (4601), बेहरामपुर (4602), भुवनेश्वर (4604), कटक (4605), सम्बलपुर (4609), राऊरकेला (4610), धेनकनाल (4611), गंगटोक (4001), कोलकाता (4410), सिलीगुड़ी (4415), कल्याणी (4419)	पूर्वी क्षेत्र (पू.क्षे.)/ अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल	क्षेत्रीय कार्यालय (पू.क्षे.) कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम एमएसओ भवन, (आठवां तल), 234/4, आचार्य जगदीश चन्द्र बोस रोड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल- 700020 www.sscer.org
3.	बेगलूरु (9001), बेलगवी (9002), कलबूर्गी/गुलबर्गा (9005), मंगलुरु (9008), मैसूरु (9009), शिवमोगा (9010), हुबली (9011), उडूपी (9012), कन्नूर (9202), कोट्टयम (9205), कोझिकोड (9206), तिरुवनंतपुरम (9211), एरनाकुलम (9213), कोल्लम (9210), त्रिशूर (9212), कावारत्ती (9401), अलाप्पुझा (9201), मलप्पुरम (9207)	कर्नाटक, केरल क्षेत्र (क.के.क्षे.) / लक्षद्वीप, कर्नाटक और केरल	क्षेत्रीय निदेशक (क.के.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम तल, “ई” विंग, केन्द्रीय सदन, कोरमंगला, बेंगलूरु, कर्नाटक- 560034 www.sscckr.kar.nic.in

4.	भोपाल (6001), ग्वालियर (6005), इंदौर (6006), जबलपुर (6007), सतना (6014), सागर (6015), उज्जैन (6016), बिलासपुर (6202), रायपुर (6204), दुर्ग-भिलाई (6205)	मध्य प्रदेश क्षेत्र (म.प्र.क्षे.) / छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश	क्षेत्रीय निदेशक (म.प्र.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, 5वां तल, इनवेस्टमेंट बिल्डिंग, एलआईसी कैंपस-2, पंडरी, रायपुर, छत्तीसगढ़-492004 (www.sscmpr.org)
5.	इटानगर (5001), गुवाहाटी (दिसपुर) (5105), डिब्रूगढ़ (5201), इम्फाल (5501), शिलांग (5401), आइजोल (5701), कोहिमा (5302), अगरतला (5601), चुराचांदपुर (5502), उखरूल (5503), जोरहाट (5107), दिमापुर (5301)	पूर्वोत्तर क्षेत्र (पूर्वो.क्षे.) / अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा।	क्षेत्रीय निदेशक (पूर्वो.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, हाउसफेड कॉम्प्लेक्स, लास्टगेट, बेलटोला बशिष्ठ रोड, डाकघर असम सचिवालय, दिसपुर, गुवाहाटी, असम- 781006 (www.sscner.org.in)
6.	दिल्ली (2201), बीकानेर (2404), जयपुर (2405), उदयपुर (2409), सीकर (2411), देहरादून (2002), हल्द्वानी (2003), रुड़की (2006)	उत्तरी क्षेत्र (उ.क्षे.) / दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड	क्षेत्रीय निदेशक (उ.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, ब्लॉक संख्या 12, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003 (www.sscnr.nic.in)
7.	चण्डीगढ़ / मोहाली (1601), हमीरपुर (1202), शिमला (1203), जम्मू (1004), सांबा (1010), श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर) (1007), बठिंडा (1401), अमृतसर (1404), जालंधर (1402), पटियाला (1403), लुधियाना (1405)	पश्चिमोत्तर क्षेत्र (पश्चिमो.क्षे.) / चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और पंजाब	क्षेत्रीय निदेशक (पश्चिमो.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, ब्लॉक संख्या- 3, भूतल, केन्द्रीय सदन, सेक्टर- 9, चंडीगढ़-160009 (www.sscnwr.org)
8.	गुंटूर (8001), काकीनाडा (8009), कर्नूल (8003), नेल्लोर (8010), ओंगोल (8014) राजामुन्द्री (8004), तिरुपति (8006), विजयवाड़ा (8008), विशाखापत्तनम (8007), पुडुचेरी (8401), चेन्नई (8201), कोयंबटूर (8202), मदुरै (8204), सलेम (8205), तिरुचिरापल्ली (8206)	दक्षिणी क्षेत्र (द.क्षे.) / आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना।	क्षेत्रीय निदेशक (द.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, दूसरा तल, ईवीके संपत बिल्डिंग, डीपीआई कैंपस, कॉलेज रोड, चेन्नई, तमिलनाडु -600006 (www.sscsr.gov.in)

	तिरुनेलवेली (8207) वेल््लोर (8208), हैदराबाद (8601), करीमनगर (8604), वारांगल (8603), कृष्णगिरी (8209), श्रीकाकुलम (8015), एलुरु (8016), थेनी (8211), सिद्दीपेट (8605)		
9.	अहमदाबाद (7001), वडोदरा (7002), राजकोट (7006), सूरत (7007), मेहसाना (7013), अमरावती (7201), कोल्हापुर (7203), छत्रपती सांभाजी नगर (7202), मुंबई (7204), नागपुर (7205), नासिक (7207), पुणे (7208), पणजी (7801), जलगांव (7214), नांदेड (7206)	पश्चिमी क्षेत्र (प. क्षेत्र) / दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र	क्षेत्रीय निदेशक (प.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम तल, दक्षिण विंग, प्रतिष्ठा भवन, 101, महर्षि कर्वे रोड, मुंबई, महाराष्ट्र- 400020 www.sscwr.net

14.2 अभ्यर्थी के पास कंप्यूटर आधारित परीक्षा में बैठने के लिए, प्राथमिकता के क्रम में, **तीन केंद्रों (देश में कहीं भी)** को चुनने का विकल्प है। किसी भी परिस्थिति में केंद्र के परिवर्तन के लिए, किसी भी अनुरोध पर, बाद में विचार नहीं किया जाएगा। अतः, अभ्यर्थियों को केंद्रों का चयन सावधानीपूर्वक करना चाहिए और अपने ऑनलाइन आवेदन में इसे ठीक से इंगित करना चाहिए।

14.3 अभ्यर्थी ध्यानपूर्वक यह नोट कर लें कि किसी भी श्रेणी के पद के लिए सर्वप्रथम ऑनलाइन आवेदन पत्र में एक बार चयनित 'परीक्षा केंद्र की वरीयता' विकल्प को सभी क्षेत्रों हेतु अनुवर्ती आवेदनों के लिए अंतिम रूप दे दिया जाएगा, चाहे पद (पदों) का स्तर कुछ भी हो।

14.4 अभ्यर्थी यह भी ध्यान रखें कि यदि सुधार विंडो के दौरान किसी भी पद श्रेणी के आवेदन में 'परीक्षा केंद्र की वरीयता' बदल दी जाती है, तो यह स्वचालित रूप से अन्य श्रेणियों के पदों के लिए सभी आवेदनों पर समान रूप से लागू हो जाएगी, और किसी भी परिस्थिति में केंद्र के परिवर्तन के लिए किसी भी अनुरोध पर बाद में विचार नहीं किया जाएगा।

14.5 आयोग सभी अभ्यर्थियों को उनके द्वारा चुने गए केंद्र पर समायोजित करने (बैठाने) का प्रयास करेगा। तथापि, आयोग को अधिकार है कि वह उपरोक्त पैरा 14.1 में दी गई परीक्षा केंद्रों की सूची के अतिरिक्त नए परीक्षा केंद्र को जोड़ दे या किसी भी केंद्र को रद्द कर दे और उस केंद्र के अभ्यर्थियों को किसी अन्य केंद्र से परीक्षा में बैठने के लिए कहे। आयोग किसी भी केंद्र के अभ्यर्थियों को किसी अन्य केंद्र पर भेजने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

15. परीक्षा की रूपरेखा:

15.1. जिन पदों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मैट्रिकुलेशन, उच्च माध्यमिक (10+2) स्तर, तथा स्नातक और उससे ऊपर के स्तर की है, उनके लिए **तीन** अलग-अलग कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं (सीबीई)

आयोजित की जाएंगी जिनमें **वस्तुनिष्ठ बहु-विकल्पीय प्रश्न** होंगे। विषयों के ब्यौरे, अंकों और प्रश्नों की संख्या (विषय-वार) का ब्यौरा निम्नलिखित है :-

भाग	विषय का नाम	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	परीक्षा की कुल अवधि
क	सामान्य बुद्धिमत्ता	25	50	60 मिनट (प्रत्येक भाग के लिए 15 मिनट के सेक्शनल टाइमर सहित)
ख	सामान्य जानकारी	25	50	
ग	परिमाणात्मक अभिरूचि (प्रारंभिक अंकगणित कौशल)	25	50	[पैरा 9.1, 9.2 और 9.3 के अनुसार प्रलिपिक के लिए पात्र अभ्यर्थियों के लिए 80 मिनट मिनट (प्रत्येक भाग के लिए 15+15= 20 मिनट के सेक्शनल टाइमर सहित)]
घ	अंग्रेजी भाषा (प्रारंभिक ज्ञान)	25	50	

- 15.2. प्रत्येक गलत उत्तर के लिए **0.50 अंक काटे जाएंगे**।
- 15.3. कंप्यूटर आधारित परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंक, यदि बहु-पालियों में आयोजित किया जाता है तो आयोग द्वारा **दिनांक 02.06.2025 को विज्ञप्ति संख्या HQ-PP001/6/2024-PP** के माध्यम से सूत्र का उपयोग करके सामान्यकृत किए जाएंगे और ऐसे सामान्यीकृत अंकों का उपयोग अंतिम मेरिट और कट-ऑफ अंक निर्धारित करने के लिए किया जाएगा।
- 15.4. कंप्यूटर आधारित परीक्षा केवल हिंदी और अंग्रेजी में आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीई) के लिए अपने माध्यम (भाषा) का चयन, आवेदन के चरण में, आवेदन पत्र के क्रम सं. 23 पर करना होगा। अभ्यर्थियों के उत्तर केवल उनके द्वारा आवेदन पत्र में चयनित भाषा में ही दर्ज किए जाएंगे। इसलिए, सभी अभ्यर्थियों को सीबीई का माध्यम सावधानीपूर्वक चुनने की सलाह दी जाती है।
- 15.5. टंकण / डेटा एंट्री / कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा आदि जैसी कौशल परीक्षाएं, जिन्हें अनिवार्य योग्यता में निर्धारित किया गया है, आयोजित की जाएंगी, जो अर्हक प्रकृति की होंगी जब तक कि आयोग द्वारा अपलोड किए गए पद-विवरण और अनुशेष/शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, में निर्दिष्ट न किया गया हो।
- 15.6. आयोग को अन्य बातों के साथ-साथ श्रेणी-वार रिक्तियों और अभ्यर्थियों की श्रेणी वार संख्या को ध्यान में रखते हुए कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीई) के प्रत्येक घटक के लिए विभिन्न न्यूनतम अर्हक मानक निर्धारित करने का विवेकाधिकार होगा।

- 15.7. कंप्यूटर आधारित परीक्षा के आयोजन के उपरान्त आयोग की वेबसाइट पर अनंतिम उत्तर कुंजियां प्रस्तुत की जाएंगी। अभ्यर्थी अपने अनंतिम उत्तर कुंजियों को देख सकते हैं और आयोग द्वारा दी गई समय-सीमा के भीतर अपनी आपत्तियां, यदि कोई है, तो 50/-रु. प्रति प्रश्न के भुगतान पर केवल ऑनलाइन माध्यम से ही दे सकते हैं। उत्तर कुंजियों को अपलोड करने के दौरान, उत्तर कुंजियों को अंतिम रूप देने से पूर्व आयोग द्वारा निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर प्राप्त उत्तर कुंजियों के लिए प्राप्त अभ्यावेदन की जांच की जाएगी और इस पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा। इसके पश्चात उत्तर कुंजियों के लिए कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अंतिम उत्तर कुंजियों का उपयोग कंप्यूटर आधारित परीक्षा के परिणाम को संसाधित करने के लिए किया जाएगा और इसे कंप्यूटर आधारित परीक्षा के परिणाम की घोषणा के बाद आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।
- 15.8. आयोग ने दिनांक 10.04.2026 की विज्ञप्ति के माध्यम से अपनी वेबसाइट पर 'दावे/ आपत्ति प्रबंधन प्रणाली के संबंध में दिशानिर्देश' प्रकाशित किए हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे इन दिशानिर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, क्योंकि ये इस परीक्षा के लिए लागू होंगे।

15.9. कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीई) के लिए सांकेतिक पाठ्यक्रम :

15.9.1 मैट्रिकुलेशन स्तर

(क)सामान्य बुद्धिमत्ता : परीक्षा पत्र (टेस्ट पेपर) में गैर-शाब्दिक प्रकार के प्रश्न शामिल होंगे। इस परीक्षा में समानताओं तथा अंतरों, स्थानिक कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, अनुमान, निर्णय लेना, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, आंकड़े वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, गैर-शाब्दिक श्रृंखला से संबंधित प्रश्न शामिल होंगे। इसमें अमूर्त विचारों और प्रतीक तथा उनके संबंध, अंकगणितीय संगणना और अन्य विश्लेषण क्रियाओं के संबंध में अभ्यर्थी की योग्यता की जांच करने के लिए तैयार किए गए प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे।

(ख)सामान्य जानकारी : इस घटक के प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के परिवेश की सामान्य जानकारी और समाज में उनके अनुप्रयोग की जांच करना होगा। सामयिक घटनाओं और दिन प्रतिदिन के अवलोकन के ऐसे मामलों के ज्ञान एवं उनके वैज्ञानिक पहलू संबंधी अनुभव की जांच करने हेतु प्रश्न भी पूछे जाएंगे, जिसकी जानकारी की अपेक्षा किसी शिक्षित व्यक्ति से की जा सकती है। इस परीक्षा में भारतीय संविधान व वैज्ञानिक अनुसंधान इत्यादि सहित और भारत व उसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेषकर इतिहास, संस्कृति, भूगोल, खेल, आर्थिक परिदृश्य, सामान्य राज्य-व्यवस्था से संबंधित प्रश्न भी शामिल होंगे। प्रश्न इस प्रकार के होंगे कि उनके लिए किसी विषय के विशेष अध्ययन की आवश्यकता नहीं है।

(ग)परिमाणात्मक अभिरूचि : इस प्रश्नपत्र में संख्या प्रणाली से संबंधित समस्याओं, पूर्णांकों का अभिकलन, दशमलव और भिन्न तथा संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएं, प्रतिशतता, अनुपात और समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ-हानि, छूट, सारणियों और ग्राफ का प्रयोग, क्षेत्रमिति, समय और दूरी, अनुपात और समय, समय और कार्य, आदि से संबंधित प्रश्न शामिल किए जाएंगे।

(घ) अंग्रेजी भाषा : परीक्षा पत्र (टेस्ट पेपर) में ऐसे प्रश्न शामिल होंगे जिनसे अभ्यर्थियों की अंग्रेजी भाषा के प्रारम्भिक ज्ञान, शब्दावली, व्याकरण, वाक्य संरचना, पर्यायवाची, विलोम और इनके सही प्रयोग आदि की समझ और उसकी लेखन योग्यता की भी जांच की जाएगी।

15.9.2. 10+2(उच्चतर माध्यमिक) स्तर :

(क) सामान्य बुद्धिमत्ता : परीक्षा पत्र (टेस्ट पेपर) में शाब्दिक और गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न शामिल होंगे। इस परीक्षा में वर्णबोध सादृश्य, प्रतीकात्मक संक्रियाएं, प्रतीकात्मक/अंक सादृश्य, प्रवृत्तियां, अंकीय/आकृतिक सादृश्य, अर्थगत वर्गीकरण, वेन आरेख, स्पेस आरिएन्टेशन, प्रतीकात्मक/अंक वर्गीकरण, अनुमान लगाना, अंकीय/ आकृतिक वर्गीकरण, पंचहोल/पैटर्न फोल्डिंग एवं अनफोल्डिंग, अर्थगत श्रृंखला, आकृतिक प्रतिरूप-फोल्डिंग एवं कंप्लीशन, अंक श्रृंखला, अन्तः स्थापित आंकड़ें, अंकीय/आकृतिक श्रृंखला, शब्दनिर्माण, आलोचनात्मक सोच, समस्या समाधान, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, सामाजिक बुद्धिमत्ता, कोडबद्ध करना एवं विकोडन करना, संख्यात्मक संक्रियाएं, अन्य उप-विषय यदि कोई हों।

(ख) सामान्य जानकारी : परीक्षा पत्र (टेस्ट पेपर) में अभ्यर्थी के आसपास के परिवेश की सामान्य जानकारी और समाज में उनके अनुप्रयोग की जांच करने के लिए प्रश्न शामिल होंगे। सामयिक घटनाओं और दिन प्रतिदिन के अवलोकन के ऐसे मामलों के ज्ञान एवं उनके वैज्ञानिक पहलू संबंधी अनुभव की जांच करने हेतु भी प्रश्न तैयार किए जाएंगे, जिसकी जानकारी की अपेक्षा किसी शिक्षित व्यक्ति से की जा सकती है। इस परीक्षा में भारत और उसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेषकर इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, सामान्य राज्य-व्यवस्था और वैज्ञानिक अनुसंधान से संबंधित प्रश्न भी शामिल होंगे।

(ग) परिमाणात्मक अभिरुचि : परीक्षा पत्र (टेस्ट पेपर) में अंकगणित: संख्या प्रणाली पूर्णांक का अभिकलन, दशमलव एवं भिन्न, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएं, प्रतिशतता, अनुपात तथा समानुपात, वर्गमूल, औसत, ब्याज(साधारण एवं चक्रवृद्धि), लाभ एवं हानि, बट्टा, साझेदारी व्यवसाय, मिश्रण एवं बंधन की त्रिया, समय एवं दूरी, समय एवं कार्य। **बीजगणित:** स्कूली बीजगणित की आधारभूत बीजगणित संक्रियाएं और प्रारंभिक करणी (सरल निर्मेय) और रेखीय समीकरण के रेखाचित्र। **रेखागणित :** प्रारंभिक रेखागणितीय आँकड़े एवं वास्तविकताओं से परिचय; त्रिकोण एवं इसके विभिन्न प्रकार के केंद्र, त्रिकोणों की समशेषता एवं समरूपता, वृत्त एवं इसकी जीवा, स्पर्शरेखा, एक वृत्त जीवाओं द्वारा अंतरित कोण, दो या अधिक वृत्तों की सामान्य स्पर्शरेखा; **क्षेत्रमिति:** त्रिकोण, चतुर्भुज, नियत बहुभुज, वृत्त, सम प्रिज्म, सम वृत्तीय शंकु, सम वृत्तीय बेलन, गोला, अर्धगोला, आयातकार समान्तरषट्फलक, त्रिकोण अथवा वर्ग आधार वाला नियत सम पिरामिड। **त्रिकोणमिति :** त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति अनुपात, कोटिपूरक कोण, लंबाई व दूरी (केवल सरल निर्मेय) मानक सारूप्यता आदि। **सांख्यिकीय चार्ट :** तालिका एवं ग्राफ का प्रयोग, आयतचित्र, बारंबारता पॉलिजेन, दण्ड चित्र (बार-डाइग्राम), पाई-चार्ट आदि प्रश्न शामिल होंगे।

(घ) अंग्रेजी भाषा : परीक्षा पत्र (टेस्ट पेपर) में, त्रुटि का पता लगाना, खाली स्थान भरना, समानार्थक/भिन्नार्थक शब्द, विपरीतार्थक, वर्तनी/गलत वर्तनी वाले शब्दों का पता लगाना, मुहावरे एवं सूक्तियां, एक शब्द प्रतिस्थापन, वाक्यों में सुधार, क्रियाओं के कर्तृवाच्य/कर्मवाच्य, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष

कथन में रूपान्तरण, वाक्य के हिस्सों का फेरबदल, पाठ में वाक्यों का फेरबदल, पाठ में छूटे हुए शब्द का पता करना, परिज्ञान पाठ से संबंधित प्रश्न शामिल होंगे।

15.9.3. स्नातक एवं उससे ऊपर के स्तर :

(क) सामान्य बुद्धिमत्ता : परीक्षा पत्र (टेस्ट पेपर) में शाब्दिक और गैर-शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न शामिल होंगे। इस घटक में सादृश्यों, समानताओं तथा अंतरों, स्थानिक कल्पना, स्थानिक अभिविन्यास, समस्या समाधान, विश्लेषण, निर्णय, निर्णय लेना, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंकगणितीय तर्क एवं आकृति संबंधी वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, गैर-शाब्दिक श्रृंखला, कोडिंग एवं डिकोडिंग, विवरण निष्कर्ष, न्यायबद्ध तर्क आदि से संबंधित प्रश्न शामिल होंगे। इसमें शामिल विषय हैं : अर्थगत समानता, प्रतीकात्मक/अंक संबंधी समानता, आंकड़े संबंधी समानता, सीमेंटिक वर्गीकरण, प्रतीकात्मक/अंक संबंधी वर्गीकरण, आंकड़े संबंधी वर्गीकरण, अर्थगत श्रृंखला, अंक श्रृंखलाएं, आंकड़े संबंधी क्रम, समस्या समाधान, शब्द निर्माण, कोडिंग व डिकोडिंग, संख्यात्मक संक्रियाएं, प्रतीकात्मक संक्रिया, उपनति, अन्तराल अभिविन्यास, अन्तराल विज्यूलैजेशन, वेन आरेख, रेखाचित्र अनुमिति, पंचड होल/ पैटर्न-फोल्डिंग व अनफोल्डिंग, आकृति पैटर्न-फोल्डिंग एवं पूर्ण करना, सूचीकरण, पता मिलान, तिथि व शहर मिलान, केंद्र कोड/ अनुक्रमांक का वर्गीकरण, छोटे व बड़े अक्षर/ अंक कोडिंग/डिकोडिंग व वर्गीकरण, अंतः स्थापित आंकड़े, आलोचनात्मक विवेचन, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, सामाजिक बुद्धिमत्ता तथा यदि हों, तो अन्य उप विषय के प्रश्न शामिल होंगे।

(ख) सामान्य जानकारी : परीक्षा पत्र (टेस्ट पेपर) में पर्यावरण संबंधी सामान्य जानकारी और समाज में उनके अनुप्रयोग की जांच किए जाने के लिए प्रश्न शामिल होंगे। सामयिक घटनाओं और दिन प्रतिदिन के अवलोकन संबंधी मामलों की जानकारी एवं उनके वैज्ञानिक पहलू संबंधी अनुभव की जांच करने हेतु भी प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसकी जानकारी की अपेक्षा किसी शिक्षित व्यक्ति से की जा सकती है। इस परीक्षण में भारत और उसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेषकर इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, सामान्य नीति, वैज्ञानिक अनुसंधान इत्यादि से संबंधित प्रश्न भी शामिल होंगे।

(ग) परिमाणात्मक अभिरुचि : इन प्रश्नों को अभ्यर्थी द्वारा संख्याओं के उपयुक्त प्रयोग और संख्या के संबंध में उसके बोध की क्षमता की जांच के लिए तैयार किया जाएगा। इन प्रश्नों के दायरे में पूर्णांक संख्याएं, अभिकलन, दशमलव, भिन्नों और संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, प्रतिशतता, भागफल और अनुपात, वर्गमूल, औसत, ब्याज, लाभ एवं हानि, बट्टा, साझेदारी व्यापार, मिश्रण एवं सहसंबंधन, समय और दूरी, समय और कार्य, स्कूली बीजगणित एवं प्रारंभिक करणी के बीजगणितीय ज्ञान, रेखीय समीकरणों के ग्राफ, त्रिकोण और उनके विभिन्न प्रकार के केंद्र, त्रिकोणों की समरूपता और समानता, वृत्त और उसकी जीवा, स्पर्श रेखाएं, वृत्त की जीवाओं द्वारा अंतरित कोण, दो या अधिक वृत्तों की समान स्पर्श रेखाएं, त्रिकोण, चतुर्भुज, समभुज कोणीय बहुभुज, वृत्त, समप्रिज्म, सम गोलाकार शंकु, सम गोलाकार बेलन, गोला, गोलार्ध, आयताकार समान्तरषट्फलक, त्रिकोणीय अथवा वर्गाकार आधार वाला समभुज कोणीय सम पैरामिड, त्रिकोणमितीय अनुपात, डिग्री और रेडियन माप, मानक सहरूप्यता, अनुपूरक कोण, ऊर्चाई और दूरी, हिस्टोग्राम, आवृत्ति बहुभुज, बार आरेख और पाई-चार्ट आएंगे।

(घ) अंग्रेजी भाषा: परीक्षा पत्र (टेस्ट पेपर) के प्रश्न को में अभ्यर्थियों की अंग्रेजी भाषा की सही समझ, उसके मूल परिज्ञान और उनकी लेखन की योग्यता को जाँच करने के लिए बनाया जाएगा।

क,ख, और घ भागों के प्रश्नों का स्तर पद के लिए निर्धारित अनिवार्य योग्यता अर्थात स्नातक की डिग्री के अनुरूप होगा तथा भाग-ग के प्रश्न 10वीं कक्षा स्तर के होंगे।

16. परीक्षा में प्रवेश:

- 16.1 उन सभी अभ्यर्थियों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा में बैठने हेतु रोल नंबर दिया जाएगा और प्रवेश-प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, जो इस विज्ञापन के प्रत्युत्तर में अंतिम तारीख और समय तक अपना पंजीकरण कराते हैं और जिनके आवेदन सुव्यवस्थित पाए जाते हैं और आयोग द्वारा परीक्षा की इस विज्ञप्ति में दी गई शर्तों के अनुसार अनंतिम रूप से स्वीकार किए जाते हैं। तदनंतर, अर्हताप्राप्त अभ्यर्थियों को परीक्षा के अगले स्तर के लिए प्रवेश प्रमाण-पत्र/अनुदेश जारी किए जाएंगे।
- 16.2 आयोग आवेदन जमा करते समय और कंप्यूटर आधारित परीक्षा के समय पात्रता और अन्य पहलुओं के लिए आवेदनों की विस्तृत जांच नहीं करेगा और इसलिए, अभ्यर्थिता केवल अनंतिम रूप से स्वीकार की जाएगी। अभ्यर्थियों को शैक्षिक योग्यता, अनुभव, आयु, शारीरिक और चिकित्सा मानकों आदि की आवश्यकताओं के बारे में पढ़ने और उनके बारे में स्वयं को संतुष्ट करने की सलाह दी जाती है कि वे उक्त (पदों) के लिए पात्र हैं। पैरा 19 में उल्लिखित चयन प्रक्रिया के अनुसार संवीक्षा के उक्त चरण के लिए चुने गए अभ्यर्थियों से संवीक्षा चरण तथा दस्तावेज सत्यापन के समय समर्थनकारी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियां मांगी जाएंगी। दस्तावेजों की जांच के दौरान भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण पर जब दस्तावेजों की संवीक्षा की जाती है, तो आवेदन में किए गए किसी भी दावे की पुष्टि नहीं होने पर अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी और आयोग का निर्णय अंतिम होगा।
- 16.3 कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए प्रवेश प्रमाण पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध किए जाएंगे। अभ्यर्थियों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए प्रवेश प्रमाण पत्र डाक / ईमेल द्वारा जारी नहीं किए जाएंगे। इसलिए, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा की अद्यतन जानकारी के लिए नियमित रूप से कर्मचारी चयन आयोग (मुख्यालय) की वेबसाइट का अवलोकन करते रहें।
- 16.4 दस्तावेज सत्यापन के लिए, प्रवेश प्रमाण पत्र संबंधित (जिससे पद-श्रेणी संबंधित हैं) प्रयोक्ता विभाग द्वारा जारी/उपलब्ध किए जाएंगे। इसलिए, संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय की वेबसाइट का लगातार अवलोकन करने के अतिरिक्त, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे प्रयोक्ता विभाग से प्राप्त किसी भी पत्राचार को भी देखें।
- 16.5 कंप्यूटर आधारित परीक्षा के बारे में सूचनाएँ, जिसमें परीक्षा की समय-सारणी और परीक्षा के शहर/केंद्र की जानकारी होगी, परीक्षा की तारीख से लगभग 10 दिन पहले आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी को परीक्षा की तारीख से एक सप्ताह पूर्व तक आयोग की वेबसाइट पर अपने ब्यौरों की जानकारी प्राप्त नहीं होती है, तो उसे तत्काल आवेदन प्रस्तुत करने के अपने

- प्रमाण के साथ आयोग के टोल फ्री नंबर पर संपर्क करना चाहिए। ऐसा न करने पर वह परीक्षा में बैठने के अपने दावे पर विचार किए जाने से वंचित हो जाएगा।
- 16.6 अभ्यर्थी को आयोग के साथ कोई भी पत्राचार करते समय अपना पंजीकरण आईडी, रोल नं., पंजीकृत ईमेल आईडी, मोबाइल नम्बर के साथ-साथ अपना नाम, जन्म तिथि और परीक्षा का नाम अवश्य लिखना चाहिए। इन विवरणों के न दिए जाने पर अभ्यर्थी के पत्राचार पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
- 16.7 कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीई) से लगभग **2-3 दिन पहले** प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की सुविधा आयोग/मुख्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। **अभ्यर्थी को प्रवेश प्रमाण पत्र का प्रिंटआउट परीक्षा हॉल में लाना आवश्यक होगा।**
- 16.8 जिन अभ्यर्थियों ने **आधार आधारित प्रमाणीकरण नहीं कराया है**, उन्हें परीक्षा शुरू होने से दो **(02) घंटे पहले** परीक्षा केंद्र पर रिपोर्ट करना होगा। प्रवेश प्रमाण-पत्र के अलावा, कम से कम दो पासपोर्ट आकार के हाल ही की दो रंगीन फोटो, मूल वैध फोटो-आईडी साक्ष्य जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, जैसी कि प्रवेश प्रमाण पत्र में दी गई है, लाना अनिवार्य है, ऐसा न होने पर उन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी, जैसे:
- 16.8.1 आधार कार्ड / ई-आधार का प्रिंटआउट,
 - 16.8.2 मतदाता पहचान-पत्र,
 - 16.8.3 ड्राइविंग लाइसेंस,
 - 16.8.4 पैन कार्ड,
 - 16.8.5 पासपोर्ट,
 - 16.8.6 स्कूल / कॉलेज द्वारा जारी किया गया पहचान-पत्र,
 - 16.8.7 नियोक्ता (सरकारी/सार्वजनिक उपक्रम/निजी) आदि द्वारा जारी पहचान-पत्र
 - 16.8.8 रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी भूतपूर्व सैनिक सेवा निवृत्ति पंजिका।
 - 16.8.9 केंद्र/ राज्य सरकार द्वारा जारी फोटो लगा वैध कोई अन्य पहचान-पत्र।
- 16.9 यदि फोटो पहचान पत्र पर जन्म तिथि छपी (प्रिन्ट) नहीं है तो अभ्यर्थी को अपनी जन्म-तिथि के साक्ष्य के रूप में एक अतिरिक्त मूल प्रमाण-पत्र (जैसे- केवल सीबीईआई/आईसीआई/राज्य बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, मार्क शीट (अंक पत्र); जन्म प्रमाण पत्र, श्रेणी प्रमाण पत्र) अवश्य लाना होगा। प्रवेश प्रमाण-पत्र और जन्म-तिथि के प्रमाण के रूप में लाए गए फोटो पहचान-पत्र/ प्रमाण पत्र में विसंगति की स्थिति में अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। **तथापि, उपरोक्त आवश्यकताएं उन अभ्यर्थियों के लिए लागू नहीं होंगी जिन्होंने आधार आधारित प्रमाणीकरण करवाया है।**
- 16.10 उपर्युक्त पैरा 9.1, 9.2 और 9.3 के अनुसार दिव्यांग/ बेंचमार्क दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थी जो प्रलिपिक की सुविधा का उपयोग करेंगे, उन्हें **यथा-उल्लिखित मेडिकल सर्टिफिकेट/वचन-**

पत्र/प्रलिपिक के फोटो पहचान-पत्र की फोटोकॉपी भी साथ में लाना आवश्यक है। उपरोक्त दस्तावेजों के बिना अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

- 16.11 अभ्यर्थी परीक्षा में उपस्थित होने के दौरान प्रवेश प्रमाणपत्र में उल्लिखित कोई अन्य दस्तावेज भी ले जा सकता है।
- 16.12 धुंधले हस्ताक्षर वाले आवेदनपत्र सरसरी तौर पर खारिज कर दिए जाएंगे। एप्लिकेशन माड्यूल को आवेदक अभ्यर्थी की लाइव फोटो खींचने के लिए डिजाइन किया गया है। अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि ली गई फोटो स्पष्ट हो, टोपी और चश्मा पहने बिना हो और सामने का चेहरा पूरा दिखाई दे। अनुदेशों के अनुरूप न होने वाले फोटो युक्त आवेदनों को अस्वीकार किया जा सकता है। किसी भी स्थिति में अभ्यर्थी को अपनी पहले से मौजूद तस्वीर की फोटो नहीं खींचनी चाहिए। ऐसे सभी आवेदन जिनमें अभ्यर्थी की पहले से मौजूद तस्वीर ली गई हो, रद्द कर दिए जाएंगे। हालांकि, उपरोक्त कारणों से अस्वीकृत आवेदन, उन अभ्यर्थियों के लिए लागू नहीं होगी जिन्होंने आधार आधारित प्रमाणीकरण करवाया है।

17. दस्तावेजों का सत्यापन (डीवी):

- 17.1 दस्तावेज सत्यापन (डीवी) संबंधित प्रयोक्ता विभागों/संगठनों (जिससे पद-श्रेणी संबंधित हैं) द्वारा, कंप्यूटर आधारित परीक्षा और अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की जांच के आधार पर अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट करने के पश्चात आयोजित किया जाएगा।

संबंधित उपयोगकर्ता विभागों/संगठनों (जिनसे पद-श्रेणी संबंधित है) द्वारा कंप्यूटर आधारित परीक्षा और उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच के आधार पर उम्मीदवारों की सूची तैयार करने के बाद दस्तावेज सत्यापन (डीवी) आयोजित किया जाएगा।

- 17.2 दस्तावेज सत्यापन के लिए अर्हताप्राप्त सभी अभ्यर्थियों को उस प्रयोक्ता विभाग की अपेक्षाओं के अनुसार दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित होना अनिवार्य है, जिससे वह पद-श्रेणी संबंधित है। इसलिए, आयोग/ संबंधित प्रयोक्ता विभाग (विभागों) द्वारा दस्तावेज सत्यापन के स्थान परिवर्तन के लिए अभ्यर्थियों के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

- 17.2 दस्तावेज सत्यापन के लिए प्रवेश प्रमाण पत्र/ बुलावा पत्र/ पत्राचार संबंधी सूचना, संबंधित पद श्रेणी के प्रयोक्ता विभाग द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों से परामर्श करके जारी किया जाएगा। इसलिए, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से संबंधित प्रयोक्ता कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय की वेबसाइट का देखते/अवलोकन करते रहें।

- 17.3 दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित होने के दौरान अभ्यर्थियों को दो पासपोर्ट आकार की हाल की रंगीन फोटो और एक मूल फोटो पहचान-पत्र, पैरा 16.8 में किए गए उल्लेख अनुसार, लाना आवश्यक है।
- 17.4 दस्तावेज सत्यापन के समय अभ्यर्थियों को मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे जैसे:
- 17.4.1. मैट्रिक/माध्यमिक प्रमाण पत्र
- 17.4.2. आवेदित पद श्रेणी की आवश्यकता अनुसार शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र
- 17.4.3. यदि कोई अभ्यर्थी समकक्ष योग्यता के रूप में किसी विशेष योग्यता का दावा कर रहा है, तो दावा की गई समकक्ष शैक्षणिक योग्यता के संबंध में आदेश/पत्र (संख्या और दिनांक के साथ) जिसमें उस प्राधिकरण का उल्लेख हो, जिसके तहत अनिवार्य योग्यता में समकक्ष खण्ड के संबंध में उसे ऐसा माना गया हो।
- 17.4.4. यदि पद के लिए अपेक्षित है तो अनुभव प्रमाणपत्र।
- 17.4.5. यदि आरक्षित श्रेणियों के अंतर्गत आता है, तो जाति/श्रेणी प्रमाण-पत्र।
- 17.4.6. यदि लागू हो, तो अपेक्षित प्रारूप में दिव्यांगता प्रमाण पत्र। उपरोक्त पैरा 9.2 और 9.3 के अनुसार, प्रलिपिक और प्रतिपूरक-समय सुविधा का लाभ उठाने वाले अभ्यर्थियों को अनुबंध-Iक, अनुबंध-IIक एवं IIख, जो भी लागू हो, की फोटोकॉपी प्रस्तुत करनी होगी।
- 17.4.7. भूतपूर्व सैनिकों (भू.पू.सै.) के लिए अपेक्षित प्रमाण-पत्र:
- 17.4.7.1. यदि लागू हो, तो अनुबंध- IX के अनुसार सेवारत रक्षा कार्मिक प्रमाण पत्र।
- 17.4.7.2. अनुबंध- IX(क) के अनुसार वचनपत्र
- 17.4.7.3. यदि सशस्त्र बलों से सेवा मुक्त किया गया हो, तो सेवामुक्ति संबंधी प्रमाणपत्र
- 17.4.8. यदि आयु में कोई छूट चाहते हैं, तो संगत प्रमाण-पत्र।
- 17.4.9. यदि अभ्यर्थी केंद्रीय सरकार के सिविल कर्मचारी (सी.जी.सी.ई.) के रूप में आयु-छूट का लाभ उठा रहा है तो अनापत्ति प्रमाण पत्र।
- 17.4.10. ऐसे अभ्यर्थी के मामले में जो विवाह या पुनर्विवाह या तलाक आदि होने पर मैट्रिकुलेशन के बाद नाम बदलने का दावा करता है, उसे निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:
- 17.4.10.1. महिलाओं के **विवाह** के मामले में: पति के पासपोर्ट की फोटो कॉपी जिसमें पति/ पत्नी का नाम दर्शाया गया हो या विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह-प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति या पति और पत्नी के संयुक्त फोटो सहित पति व पत्नी द्वारा शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ ग्रहण संबंधी शपथ पत्र;

- 17.4.10.2. महिलाओं के **पुनर्विवाह** के मामले में: यथा-स्थिति, पहले पति से तलाक संबंधी विलेख/मृत्यु प्रमाण पत्र; और वर्तमान पति के पासपोर्ट की फोटोकॉपी जिसमें पति का नाम दर्शाया गया हो या विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह-प्रमाणपत्रकी सत्यापित प्रति या पति और पत्नी के संयुक्त फोटो सहित पति व पत्नी द्वारा शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ ग्रहण संबंधी शपथ पत्र;
- 17.4.10.3. महिलाओं के **तलाक** के मामले में: तलाक की डिक्री की प्रमाणित प्रति और शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ ग्रहण संबंधी एक पक्षीय अभिलेख/शपथपत्र;
- 17.4.10.4. **पुरुष और महिला** दोनों के लिए नाम बदलने की अन्य परिस्थितियों में: शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ ग्रहण संबंधी एक पक्षीय अभिलेख/शपथपत्र और मूल रूप से दो प्रमुख दैनिक समाचारपत्रों की पेपर कटिंग (एक दैनिक समाचारपत्र आवेदक के स्थायी और वर्तमान पते या आसपास के क्षेत्र का होना चाहिए) और राजपत्र अधिसूचना।
- 17.4.11. दस्तावेज सत्यापन के लिए प्रवेश पत्र में निर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज।

18. प्रयुक्त संक्षिप्तियाँ : अनुबंध-XIII के अनुसार

19. चयन प्रक्रिया : -

- 19.1 चयन पदों के लिए भर्ती कंप्यूटर आधारित प्रणाली में परीक्षा के जरिए की जाएगी, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहु विकल्पीय प्रश्न होंगे।
- 19.2 उन सभी अभ्यर्थियों को जो इस विज्ञापन के प्रत्युत्तर में अंतिम तारीख और समय में अपना पंजीकरण कराते हैं और जिनके आवेदन सुव्यवस्थित पाए जाते हैं और आयोग द्वारा परीक्षा की इस विज्ञप्ति में दी गई शर्तों के अनुसार अनंतिम या अस्थायी रूप से स्वीकार किए जाते हैं, उन्हें आयोग द्वारा कंप्यूटर आधारित परीक्षा में बैठने हेतु रोल नंबर दिया जाएगा और प्रवेश-प्रमाण पत्र दिया जाएगा।
- 19.3 धुंधले/ बिना हस्ताक्षर वाले /लघु हस्ताक्षर वाले, शुल्क प्राप्त न हुई हो /अपूर्ण आवेदन आदि वाले आवेदनपत्र सरसरी तौर पर खारिज कर दिए जाएंगे। एप्लिकेशन माड्यूल को आवेदक अभ्यर्थी की लाइव फोटो खींचने के लिए डिजाइन किया गया है। अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि ली गई फोटो स्पष्ट हो, टोपी और चश्मा पहने बिना हो और सामने का चेहरा पूरा दिखाई दे। स्वीकार्य / अस्वीकार्य फोटोग्राफ के नमूने अनुबंध-XII में दिए गए हैं। यदि खींची गई फोटो स्वीकार्य नमूने के अनुरूप नहीं है, तो अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे **फोटो पुनः खींच लें**। स्वीकार्य नमूने के अनुरूप न होने वाले फोटो युक्त आवेदनों को **अस्वीकार किया जा सकता है**। हालाँकि, जिन अभ्यर्थियों ने आधार आधारित प्रमाणीकरण पूरा कर लिया है, उनके आवेदन पत्र फोटो और हस्ताक्षर के आधार पर अस्वीकृत नहीं किए जाएंगे। परीक्षा में अभ्यर्थी उसी प्रकार दिखना चाहिए जैसे वह फोटो में दिखाई देता है।

- 19.4 जो अभ्यर्थी एक ही क्षेत्र में **एक से अधिक पदों** के लिए आवेदन करते हैं/ विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न पदों के लिए आवेदन करते हैं/ एक ही क्षेत्र या विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न स्तरों (मैट्रिकुलेशन, उच्चतर माध्यमिक (10+2), स्नातक और उच्चतर) के पदों के लिए आवेदन करते हैं, वे **‘सामान्य अभ्यर्थी’** कहलाते हैं।
- 19.5 ऐसे **‘सामान्य अभ्यर्थियों’** को अनिवार्य योग्यता के एक स्तर के लिए सिर्फ एक प्रवेश प्रमाणपत्र आयोग द्वारा जारी किया जाएगा। उदाहरणस्वरूप, एक अभ्यर्थी जिसने तीन अनिवार्य योग्यता स्तरों से संबंधित पदों की तीन या अधिक श्रेणियों (जैसे; मैट्रिकुलेशन, उच्च-माध्यमिक और स्नातक एवं उच्चतर) के लिए आवेदन किया है, उसे केवल तीन प्रवेश प्रमाण-पत्र जारी किए जाएंगे [अर्थात्, प्रत्येक अनिवार्य योग्यता स्तर के लिए एक प्रवेश प्रमाणपत्र]।
- 19.6 सामान्य अभ्यर्थियों को पद के एक स्तर के लिए केवल एक ही बार परीक्षा में बैठना होगा अन्यथा उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी ने दो स्तर अर्थात् मैट्रिकुलेशन और उच्चतर माध्यमिक (10+2) के पदों के लिए आवेदन किया है, तो उसे प्रत्येक स्तर की परीक्षा के लिए एक बार परीक्षा देनी होगी (एक बार मैट्रिक स्तर के पद - श्रेणी के लिए और एक बार उच्चतर माध्यमिक स्तर पद- श्रेणी के लिए)। ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को उनके द्वारा आवेदन की गई पद श्रेणियों हेतु संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा उस स्तर के पद (पदों) के लिए मेरिट-सूची तैयार करने के लिए प्रयोग किया जाएगा।
- 19.7 **नीचे दिए गए कट-ऑफ अंकों** से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के नाम पर भर्ती के अगले चरण में विचार नहीं किया जाएगा।
- | | | |
|-------------------|---|------|
| अनारक्षित (अ.ना.) | - | 30 % |
| अ.पि.व/ आकव | - | 25% |
| अन्य श्रेणियां | - | 20% |
- 19.8 किसी विशेष पद-श्रेणी की रिक्तियों की **संख्या** को ध्यान में रखते हुए, कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीई) में अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों व अर्हता के आधार पर निम्नलिखित अनुपात में अभ्यर्थियों को संवीक्षा के अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा :-
- (क) किसी भी पद- श्रेणी के लिए **05 तक की रिक्तियों** के लिए 1:30 के अनुपात में।
- (ख) किसी भी पद- श्रेणी के लिए **05 से अधिक**, न्यूनतम 150 के अध्यक्षीन, रिक्तियों के लिए 1:15 के अनुपात में।
- (ग) बेंचमार्क दिव्यांगजन / अन्य बेंचमार्क दिव्यांगजन / भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए, बेंचमार्क दिव्यांगजन / अन्य बेंचमार्क दिव्यांगजन / भूतपूर्व सैनिक श्रेणी से संबंधित उन सभी अभ्यर्थियों को जांच प्रक्रिया के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा जो न्यूनतम-कटऑफ मानदंड के साथ अर्हता प्राप्त करते हैं।

- 19.9 जिन अभ्यर्थियों को संवीक्षा के अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, उन्हें संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों/ प्रयोक्ता विभाग (विभागों) को जिससे कि वह पद-श्रेणी संबंधित है, अपनी शैक्षिक योग्यता (ईक्यू), अनुभव, श्रेणी, आयु, आयु में छूट आदि (यथा प्रयोज्य) सभी संबंधी सहायक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा के परिणाम के बाद आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। इसके अलावा उन दिव्यांग अभ्यर्थियों जिन्होंने पैरा 9.2 और 9.3 के अनुसार, प्रलिपिक और प्रतिपूरक-समय सुविधा का लाभ उठाया है उन्हें अनुबंध-Iक, अनुबंध-IIक एवं IIख जो भी लागू हो, की प्रतिअपलोड करनी होगी।
- 19.10 कर्मचारी चयन आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय (कार्यालयों) के परामर्श से उस प्रयोक्ता विभाग द्वारा दस्तावेजों की जांच/दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा, जिससे पद संबंधित है।
- 19.11 पद (पदों) की किसी श्रेणी के लिए कौशल परीक्षा, जहाँ कहीं भी निर्धारित की गयी हो, उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाएगी, जो प्रासंगिक दस्तावेज अपलोड करते हैं और उन्हें जांच के चरण में संबंधित प्रयोक्ता विभाग / आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा सही क्रम में पाया जाता है।
- 19.12 विशेष पद-श्रेणी के लिए जांच स्तर पर सही पाए जाने वाले सभी अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों को, संबंधित प्रयोक्ता विभाग द्वारा, जिससे कि वह पद-श्रेणी संबंधित है, दस्तावेज सत्यापन (डीवी) के लिए बुलाया जाएगा।
- 19.13 प्रयोक्ता विभाग/ आयोग द्वारा कंप्यूटर आधारित परीक्षा के पश्चात अभ्यर्थियों द्वारा उनके आवेदन में दी गयी सूचना का सत्यापन उनके मूल दस्तावेजों के साथ किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन के दौरान, यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन-प्रपत्र में दी गई सूचना गलत है, तो उसकी अभ्यर्थिता तत्काल निरस्त कर दी जाएगी। अभ्यर्थिता के ऐसे निरस्तीकरण के संबंध में किसी अपील या अभ्यावेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी सुनिश्चित करें कि उन्होंने आवेदन प्रपत्र में सही सूचना दी है।
- 19.14 विशेष पद-श्रेणी के अंतिम परिणामों की घोषणा के समय केवल संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय की वेबसाइट पर चयनित अभ्यर्थियों के कुल प्राप्तांक / अंक प्रदर्शित किए जाएंगे/ उपलब्ध कराए जाएंगे। किसी भी पद श्रेणी के लिए, कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीई) में भाग लेने वाले शेष अन्य सभी अभ्यर्थियों के अंक चरण-XIV/2026/चयन पद की इस विज्ञप्ति के तहत प्रकाशित सभी पद-श्रेणियों के अंतिम परिणाम की घोषणा के पश्चात आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे।
- 19.15 अजा, अजजा, अपिव, भूपूसै, आर्थिक रूप से कमजोर तथा बेंचमार्क दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थी, जिनका मानकों में छूट दिए बिना अपनी योग्यता से चयन होता है, को रक्तियों के आरक्षित कोटे में समायोजित नहीं किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को समग्र योग्यता सूची में उनकी स्थिति के अनुसार, जो भी उनके लिए लाभप्रद हो, अनारक्षित रक्तियों अथवा उनकी श्रेणी के लिए निर्धारित रक्ति में समायोजित किया जाएगा। आरक्षित रक्तियां पात्र अजा,

अजजा, अपिव, भूपूसै, आर्थिक रूप से कमजोर तथा दिव्यांगजन/ बेंचमार्क दिव्यांगजन अभ्यर्थियों में से अलग से भरी जाएगी।

- 19.16 अजा, अजजा, अपिव, भूतपूर्व सैनिक, आपिव और बेंचमार्क दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थी, जो नामतः आयु सीमा, अनुभव या योग्यता, परीक्षा में अनुमत्य अवसरों की संख्या, विचारार्थ विस्तृत क्षेत्र आदि जैसे मानकों में छूट के आधार पर अर्हता प्राप्त करता है, चाहे योग्यता सूची में उसका स्थान कुछ भी हो, उनको आरक्षित रिक्तियों में शामिल किया जाएगा न कि अनारक्षित रिक्तियों में। जहां तक भूपूसै के मामलों का संबंध है, आरक्षित या अनारक्षित पदों के लिए भूपूसै को सैन्य सेवा की अवधि के बराबर आयु में कटौती अनुमत्य है तथा इस छूट को आयु के संदर्भ में मानकों में छूट नहीं कहा जाएगा। इसी प्रकार, बेंचमार्क दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए, ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट को मानकों में छूट नहीं माना जाएगा।
- 19.17 बेंचमार्क दिव्यांगजन अभ्यर्थी, जो अपनी योग्यता के आधार पर चुना गया है, अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्त किया जा सकता है, बशर्ते कि वह पद संगत श्रेणी के बेंचमार्क दिव्यांगजन के लिए उपयुक्त हो।
- 19.18 सरकार यथावश्यक जांच के पश्चात जब तक इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा / पद पर नियुक्ति के लिए हर प्रकार से उपयुक्त है, तब तक परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के आधार पर अभ्यर्थी को नियुक्ति का अधिकार नहीं मिलेगा।
- 19.19 परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे इस परीक्षा में प्रवेश के लिए निर्धारित पात्रता की सभी शर्तें पूरी करते हैं। परीक्षा के सभी चरणों में उनका प्रवेश, पात्रता की निर्धारित शर्तें पूरी करने के अध्यधीन, पूर्णतया अनन्तिम होगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा से पहले अथवा बाद में जाँच करने पर यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि वे पात्रता की किसी शर्त को पूरा नहीं करते हैं तो उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी।
- 19.20 नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थियों को भारतवर्ष में कहीं भी सेवा करनी पड़ सकती है अर्थात् ये सभी पद अखिल भारतीय सेवा दायित्व (अ.भा.से.दा.) से संबंधित हैं।
- 19.21 अंतिम रूप से चयन किए जाने पर अभ्यर्थियों को संबंधित प्रयोक्ता मंत्रालय/विभाग/कार्यालय द्वारा कोई राज्य/केंद्र शासित प्रदेश/क्षेत्र आवंटित किया जा सकता है। ऐसे अभ्यर्थियों को संबंधित प्रयोक्ता मंत्रालय/ विभाग / कार्यालय द्वारा आवंटित पदों पर अभ्यर्थियों के स्थायीकरण (Confirmation) के लिए आवंटित राज्य / केंद्र शासित प्रदेश/क्षेत्र की स्थानीय भाषा में दक्षता हासिल करने की आवश्यकता हो सकती है।

20. बराबरी (टाई) मामलों का निपटान:

अभ्यर्थियों के कुल अंकों में बराबरी (टाई) होने की स्थिति में, निम्नलिखित मानदंडों को दिए गए अनुक्रम में क्रियान्वित करके, जब तक कि बराबरी (टाई) का मामला हल न हो जाए, ऐसे मामलों का निपटान किया जाएगा :

- (क) कंप्यूटर आधारित परीक्षा में कुल सामान्यीकृत अंक
- (ख) कंप्यूटर आधारित परीक्षा के भाग-क में अंक
- (ग) कंप्यूटर आधारित परीक्षा के भाग-ख में अंक
- (घ) कंप्यूटर आधारित परीक्षा के भाग-ग में अंक
- (ङ) जन्म तिथि के आधार पर अर्थात् अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को ऊपर रखा जाएगा।
- (च) वर्णानुक्रम, जिसमें अभ्यर्थियों के नाम प्रदर्शित होंगे।

21. आवेदन पत्र / अभ्यर्थिता को निरस्त / रद्द करने के कारण :

21.1 भर्ती प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर निम्नलिखित सभी या किसी भी स्थिति में आवेदकों के आवेदन-पत्र/अभ्यर्थिता निरस्त/रद्द की जा सकती है :-

- 21.1.1. आवेदन पत्र अपूर्ण होने की स्थिति में,
- 21.1.2. हस्ताक्षर में किसी भी प्रकार की भिन्नता होने पर,
- 21.1.3. आवेदन-पत्र में अनुबंध- XII में दिए गए नमूने के अनुरूप फोटो न होने पर और अस्पष्ट हस्ताक्षर होने की स्थिति में,
- 21.1.4. उन अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा शुल्क का भुगतान न करने की स्थिति में जिन्हें शुल्क भुगतान से छूट प्रदान नहीं की गई है।
- 21.1.5. भुगतान के मोड /अनुदेशानुसार परीक्षा शुल्क का भुगतान न करने पर।
- 21.1.6. कम/अधिक आयु वाले अभ्यर्थी
- 21.1.7. कंप्यूटर आधारित परीक्षा के उपरांत आयोग द्वारा मांगे जाने पर शैक्षिक योग्यताएं, अनुभव, प्राप्त अंकों का प्रतिशत, आयु प्रमाणपत्र, आदि के बारे में अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में दी गई सूचना के समर्थन में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए सभी संगत प्रमाणपत्र/दस्तावेजों की स्वयं सत्यापित सुपाठ्य प्रतियों को अपलोड न करने पर।
- 21.1.8. निर्णायक तिथि तक अनुभव, अपेक्षित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा में न होने की स्थिति में।
- 21.1.9. महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में गलत सूचना या मिथ्या विवरण देना या छिपाना।
- 21.1.10. बेंचमार्क दिव्यांगजन / दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए - यदि उसके स्वयं के प्रलिपिक का शैक्षिक स्तर गलत घोषित कर दिया जाता है अथवा अभ्यर्थी के स्वयं के शैक्षणिक स्तर के बराबर/उच्चतर पाया जाता है।
- 21.1.11. परीक्षा परिसर / हॉल में निषेधात्मक साधनों को ले जाने पर।
- 21.1.12. दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान मूल प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत न करना।

- 21.1.13. परीक्षा विज्ञप्ति के पैरा-22 में दिए गए कदाचारों में से किसी भी कदाचार में लिप्त पाए जाने पर।
- 21.1.14. शैक्षिक योग्यता (अर्थात मैट्रिकुलेशन, उच्चतर माध्यमिक और स्नातक एवं ऊपर के स्तर) के समान स्तर के अभ्यर्थियों द्वारा कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीई) में दो बार बैठना।
- 21.1.15. अभ्यर्थियों के परीक्षा भवन में नशे की हालत में पाए जाने पर।
- 21.1.16. कोई अन्य अनियमितता।

22. कदाचार के दोषी पाए गए अभ्यर्थियों को दंड देना / उन्हें परीक्षा से वारित करना:

- 22.1 आयोग परीक्षा प्रक्रिया की अखंडता/सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा के पश्चात व्यापक विश्लेषण करता है। इसमें लॉग विश्लेषण, फोटो और बायोमेट्रिक सत्यापन और सीसीटीवी फुटेज पुनर्विलोकन/समीक्षा के माध्यम से विस्तृत जांच शामिल है। आयोग की नीति के अनुसार, परीक्षा के किसी भी चरण के दौरान किसी भी प्रकार के कदाचार या अनुचित साधनों में संलिप्त पाए जाने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें उनकी अभ्यर्थिता निरस्त करना और भविष्य की परीक्षाओं से वंचित करना शामिल है।
- 22.2 परीक्षा के किसी भी स्तर के दौरान अभ्यर्थी निम्नलिखित में से किसी भी कदाचार के दोषी पाए जाते हैं तो इस परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी और आयोग के परीक्षाओं से उन्हें निम्नलिखित अवधि के लिए परीक्षा से वारित कर दिया जाएगा:

क्र.सं.	कदाचार का प्रकार	वारित अवधि
1	परीक्षा भवन से परीक्षा संबंधी सामग्री, जैसे- रफ शीट, प्रवेश पत्र की आयोग की प्रति लेकर बाहर जाना या परीक्षा के आयोजन के दौरान इन्हें किसी अनधिकृत व्यक्ति को देना।	01-02 वर्ष
2	निर्धारित प्रक्रिया पूरी किए बिना परीक्षा स्थल को छोड़ना।	01 वर्ष
3	परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों अर्थात पर्यवेक्षक, निरीक्षक, सुरक्षा गार्ड अथवा आयोग के किसी प्रतिनिधि आदि के साथ दुर्व्यवहार करना, उन्हें भयभीत करना या डराना-धमकाना।	02-03 वर्ष
4	परीक्षा के आयोजन में बाधा पहुंचाना / अन्य अभ्यर्थियों को परीक्षा न देने के लिए उकसाना।	03 वर्ष
5	जानबूझकर गलत अथवा झूठे वक्तव्य देना/ महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाना/जाली दस्तावेज प्रस्तुत करना।	01-03 वर्ष
6	अपनी अभ्यर्थिता के संबंध में किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लेना।	03 वर्ष
7	परीक्षा कक्ष में मोबाइल फोन, वायरलेस उपकरण, ब्लूटूथ उपकरण, स्पाई कैमरा और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अपने पास रखना।	03-05 वर्ष
8	नियमों का उल्लंघन करके एक ही परीक्षा में एक से अधिक बार बैठना/प्रयास करना।	02-05 वर्ष

9	कोई अभ्यर्थी जो उसी परीक्षा में परीक्षा अधिकारी के रूप में कार्यरत हो।	03 वर्ष
10	जानबूझकर परीक्षा से संबंधित अवसंरचना/उपकरणों को नुकसान पहुंचाना।	01-03 वर्ष
11	जाली प्रवेश-पत्र, पहचान-पत्र से परीक्षा देना।	03-05 वर्ष
12	परीक्षा के दौरान आग्नेय शस्त्रों/हथियारों को रखना अथवा आग्नेय शस्त्रों/हथियारों से परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों को डराना/धमकाना या परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों जैसे- पर्यवेक्षक, निरीक्षक, सुरक्षा गार्ड अथवा आयोग के किसी प्रतिनिधि आदि पर हमला करना, उन पर बल प्रयोग करना, किसी भी तरीके से उन्हें शारीरिक हानि पहुंचाना।	07 वर्ष
13	परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, जैसे-कागज या शारीरिक अंगों पर लिखित सामग्री जैसे अनधिकृत स्रोतों से नकल करना।	07 वर्ष
14	छद्मवेषन/किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप में कार्यसाधन कराना।	07 वर्ष
15	प्रश्नपत्रों या परीक्षा सामग्री, लैब आदि का स्नैपशॉट लेना, वीडियो बनाना आदि।	07 वर्ष
16	रिमोट डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर/एप/लेन/वैन इत्यादि के माध्यम से परीक्षा टर्मिनल को साझा करना।	07 वर्ष
17	परीक्षा से पहले, उसके दौरान या उसके बाद किसी भी समय परीक्षा सर्वरों, डाटा या परीक्षा प्रणाली को हैक करने या जोड़-तोड़ करने की कोशिश करना।	07 वर्ष
18	अभ्यर्थी जिसका एक ही परीक्षा में प्रलिपिक के रूप में बैठना अथवा प्रलिपिक के बारे में गलत जानकारी घोषित करना।	03-05 वर्ष
18 क	अभ्यर्थी/ प्रलिपिक का एक ही परीक्षा में 'स्वयं के प्रलिपिक' के रूप में एक से अधिक बार बैठना।	03 वर्ष
18 ख	अभ्यर्थी द्वारा ऐसे प्रलिपिक की सेवाएं लेना, जिसे भर्ती प्रक्रिया से वंचित कर दिया गया हो।	03 वर्ष
19	परीक्षा के दौरान, किसी भी स्तर पर, यदि यह पाया जाता है कि प्रलिपिक स्वतंत्र रूप से प्रश्नों का उत्तर दे रहा है या अभ्यर्थी को किसी प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष तरीके से उत्तर देने के लिए प्रेरित कर रहा है।	07 वर्ष
20	अभ्यर्थी द्वारा विभिन्न भर्तियों में पिता का नाम, जन्मतिथि आदि के साथ आवेदन करना अथवा इसके विपरीत।	01-05 वर्ष
21	प्रतिरूपणकर्ता (कर्मचारी चयन आयोग के रिकार्ड के अनुसार) अभ्यर्थी के लिए लेखक के रूप में उपस्थित होना।	07 वर्ष
22	कर्मचारी चयन आयोग की एक ही परीक्षा में एक से अधिक अभ्यर्थियों के लिए प्रलिपिक के रूप में उपस्थित होना अथवा ऐसे प्रलिपिक को नियुक्त करने वाला अभ्यर्थी।	05-07 वर्ष

22.3 आयोग इस मामले की सूचना पुलिस / जांच एजेंसियों को, जो भी उचित हो, भी दे सकता है। आयोग मामले की जांच संबंधित अधिकारियों/फॉरेंसिक विशेषज्ञों से करवाने के लिए उचित कार्रवाई भी कर सकता है।

23. आयोग का निर्णय अंतिम:

पात्रता, आवेदनों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने, मिथ्या जानकारी के लिए शास्ति, चयन के तरीके, परीक्षा(ओं) के आयोजन, परीक्षा केंद्रों के आबंटन तथा मेरिट लिस्ट तैयार करने एवं कोर्स आबंटन, कदाचारों में लिप्त होने पर परीक्षा से वारित करने संबंधी सभी मामलों में आयोग का निर्णय अंतिम होगा तथा अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगा एवं इस संबंध में कोई पूछताछ/पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगा।

24. न्यायालय / न्यायाधिकरण का क्षेत्राधिकार:

इस भर्ती से संबंधित कोई भी विवाद उस न्यायालय / न्यायाधिकरण के अधीन होगा जिसके न्याय क्षेत्र में कर्मचारी चयन आयोग का वह संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है, जहां से अभ्यर्थी ने परीक्षाएं दी हैं।

25. आयोग्यताएं/अपात्रताएं :

ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने (क) किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है जिसका/जिसकी पति/पत्नी जीवित है, या (ख) पति/पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह या विवाह करने का अनुबंध किया है, तो उसे सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा, बशर्ते कि केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष के लिए लागू वैयक्तिक कानून के अनुसार स्वीकार्य है और ऐसा करने के अन्य कारण भी हैं, तो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकती है।

26. अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश :

(क)	अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले परीक्षा की विज्ञप्ति में दिए गए अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। परीक्षा विज्ञप्ति अंग्रेजी और हिंदी दोनों में मुद्रित की गई है। किसी विवाद के उत्पन्न होने की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।
(ख)	अभ्यर्थी को अपना नाम और जन्म तिथि ठीक वैसी ही लिखनी चाहिए जैसा कि मेट्रिकुलेशन/सेकेंडरी प्रमाण पत्र में दर्ज है। यदि परीक्षा स्थल पर प्रवेश करते समय नाम और जन्म तिथि में कोई भिन्नता पाई जाती है तो उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, यदि दस्तावेजों के सत्यापन के समय नाम या जन्म तिथि में विभिन्नता पायी जाती है, तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।
(ग)	अभ्यर्थियों को उनके हित के लिए सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन अंतिम तारीख से काफी पहले जमा कर दें और अंतिम दिनों के दौरान वेबसाइट पर अत्यंत व्यस्तता के कारण कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट की विसंबंधनता/लॉगइन करने में असमर्थता या विफलता की संभावना से बचने के लिए अंतिम तारीख तक प्रतीक्षा न करें।
(घ)	वर्तमान परीक्षा के लिए आधार आधारित प्रमाणीकरण लागू किया गया है। परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरते समय, एक बारगी पंजीकरण करने पर सभी अभ्यर्थियों के पास स्वयं को प्रमाणित करने के लिए आधार नंबर का उपयोग करने का विकल्प होगा। वे अभ्यर्थी जो आधार आधारित प्रमाणीकरण द्वारा स्वयं को प्रमाणित नहीं कर सके, उन्हें अपने एक बारगी पंजीकरण (ओटीआर) को पूरा करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करने होंगे : (i) नाम के प्रमाण हेतु नामतः आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी पहचान

	पत्र, सरकारी सेवा पहचान पत्र, पेंशन दस्तावेज (ii) जन्म तिथि के प्रमाण हेतु नामतः जन्म प्रमाणपत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र, राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी जन्म तिथि का प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, (iii) पते के प्रमाण हेतु नामतः आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, आवेदक की सत्यापित फोटो के साथ बैंक स्टेटमेंट, रेंट ऐग्रीमेंट, आयकर असेसमेंट आदेश। (iv) फोटो। (v) लिंग के प्रमाण हेतु नामतः आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, जन्म प्रमाणपत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र।
(ड.)	कर्मचारी चयन आयोग कंप्यूटर आधारित परीक्षा के समय पात्रता एवं अन्य पहलुओं के लिए आवेदनों की विस्तृत संवीक्षा नहीं करेगा, इसलिए अभ्यर्थिता केवल अनंतिम रूप से स्वीकार की जाएगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पूर्व शैक्षिक योग्यता, आयु, शारीरिक व चिकित्सीय मापदण्ड इत्यादि की अपेक्षाओं को पढ़ लें और अपनी संतुष्टि कर लें कि वे पद (पदों) के लिए पात्र हैं। पैरा 19 में उल्लिखित चयन प्रक्रिया के अनुसार शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंट आउट सहित समर्थनकारी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियां संवीक्षा के उपर्युक्त चरण और दस्तावेज सत्यापन के समय मांगी जाएंगी। भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण पर संवीक्षा करने पर यदि यह पाया जाता है कि आवेदन में किया गया कोई दावा सही नहीं है, तो उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी तथा इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।
(च)	अजा/अजजा/अपिव/बे.दि/आकव/भूपूसै के लिए उपलब्ध आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि वे इस विज्ञप्ति में निर्धारित पात्रता के अनुसार ऐसे आरक्षण के हकदार हैं। उनके पास अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रपत्र में अपेक्षित प्रमाणपत्र भी होने चाहिए।
(छ)	केवल बैचमार्क दिव्यांग अभ्यर्थियों को ही दिव्यांग माना जाएगा और वे ही दिव्यांगजनों के लिए आयु छूट/आरक्षण के हकदार होंगे।
(ज)	प्रलिपिक का एक बारगी पंजीकरण (ओटीआर): किसी व्यक्ति को प्रलिपिक के रूप में बैठने की अनुमति केवल उसके एक बारगी पंजीकरण (ओटीआर) और आधार आधारित प्रमाणीकरण को पूरा करने के बाद दी जाएगी। प्रलिपिक की योग्यता को एक विशेष स्तर तक सुनिश्चित करने हेतु ओटीआर के माध्यम से विभिन्न जांच सुनिश्चित की जा सकती है। एक प्रलिपिक एक ही परीक्षा में एक से अधिक अभ्यर्थियों की सहायता नहीं करेगा। एक परीक्षा के लिए आवेदन करने वाला अभ्यर्थी उसी परीक्षा में किसी अन्य अभ्यर्थी हेतु प्रलिपिक के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। यदि किसी भी स्तर पर प्रलिपिक की कोई घोषणा गलत पाई जाती है, तो नियमानुसार प्रलिपिक के साथ-साथ अभ्यर्थी को भी परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि उनके द्वारा नियुक्त किए गए प्रलिपिक का नाम/विवरण आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध वारित किए गए व्यक्तियों की सूची में न हो। इसलिए अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वह आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध वारित व्यक्तियों की सूची को देखे।
(झ)	जब आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो जाएगा तो, उसे 'अनंतिम' रूप से स्वीकार किया जाएगा। अभ्यर्थियों को आवेदन-पत्र की एक प्रति प्रिंट करके अपने रिकार्ड के लिए रख लेनी चाहिए।
(ञ)	इस परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों द्वारा पद की एक श्रेणी के लिए केवल एक ही आवेदन, ऑनलाइन जमा कराया जाए। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन भरते समय सावधानी बरतें। एक श्रेणी पद के लिए अभ्यर्थी के एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने के मामले में आयोग द्वारा सभी आवेदन

	निरस्त कर दिए जाएंगे और पद संबंधी परीक्षा के लिए उसकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी। यदि एक अभ्यर्थी एक से अधिक आवेदन जमा करता है तथा परीक्षा में एक से अधिक बार बैठता है (किसी भी स्तर पर) तो उसकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी तथा नियमानुसार उसे आयोग की परीक्षाओं से वारित कर दिया जाएगा।
(ट)	अभ्यर्थियों को मैट्रिकुलेशन / माध्यमिक प्रमाणपत्र में उल्लेख के अनुसार ही पिता का नाम और माता का नाम लिखना चाहिए अन्यथा दस्तावेज सत्यापन के समय अथवा किसी भी समय आयोग के ध्यान में आने पर उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।
(ठ)	अनुपयुक्त फोटो या धुंधले/लघु हस्ताक्षर वाले आवेदनों, जो निर्देशानुसार न हों, को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। तथापि, आधार आधारित प्रमाणीकरण का विकल्प चुनने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन को इस आधार पर रद्द नहीं किया जाएगा।
(ड)	अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए अपने पहले से मौजूद फोटोग्राफ को रखने की आवश्यकता नहीं है। एप्लिकेशन माड्यूल को आवेदक अभ्यर्थी की लाइव फोटो खींचने के लिए डिजाइन किया गया है। अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि ली गई फोटो स्पष्ट हो, टोपी और चश्मा पहने बिना हो और सामने का चेहरा पूरा दिखाई दे। यदि खींची गई फोटो निर्देशों के अनुरूप नहीं है, तो अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे फोटो पुनः खींच लें। किसी भी परिस्थिति में अभ्यर्थियों को अपनी पहले से मौजूद तस्वीर की फोटो नहीं खींचनी चाहिए। ऐसे सभी आवेदन जहां अभ्यर्थी की पहले से मौजूद फोटोग्राफ के फोटो खींची गई हो, रद्द कर दिए जाएंगे। परीक्षा में अभ्यर्थी वैसा ही दिखना चाहिए जैसा कि आवेदनपत्र में उसका फोटो लगा है। स्वीकार्य / अस्वीकार्य फोटोग्राफ के नमूने अनुबंध-XII में दिए गए हैं। अपनी तस्वीर खींचने के लिए, अभ्यर्थी को एप्लीकेशन माड्यूल द्वारा संकेत दिए जाने पर कैमरे के सामने खड़ा होना/बैठना होगा तथा निम्नलिखित निर्देशों का पालन करना होगा: 1. अच्छी रोशनी और सादी पृष्ठभूमि वाला स्थान चुनें। 2. फोटो लेने से पहले सुनिश्चित करें कि कैमरा आंखों के स्तर पर है। 3. अपने आप को सीधे कैमरे के सामने रखें और सीधे सामने देखें। 4. यह सुनिश्चित करें कि चेहरा कैमरे द्वारा निरूपित लाल आयताकार घेरे के अंदर हो तथा न तो बहुत पास हो और न ही बहुत दूर हो। यह चेहरे को पूरी तरह से कवर करे और चेहरे का कोई भी भाग आयत के बाहर नहीं होना चाहिए। 5. अभ्यर्थियों को लाइव फोटो लेते समय टोपी, मास्क या धूप का चश्मा/नज़र का चश्मा नहीं पहनना चाहिए। 6. अभ्यर्थियों को जेपीईजी प्रारूप (10 से 20 केबी) में स्कैन किए गए हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे। हस्ताक्षर की छवि का आयाम लगभग 6.0 से मी (चौड़ाई) X 2.0 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। धुंधले हस्ताक्षर वाले आवेदनों को फौरन निरस्त कर दिया जाएगा। तथापि, आधार आधारित प्रमाणीकरण के विकल्प का चयन करने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन इस आधार पर रद्द नहीं किए जाएंगे।
(ढ)	एक बार जमा किए गए आवेदन पत्र के किसी भी विवरण में परिवर्तन/सुधार के अनुरोध पर आयोग द्वारा दिए गए 'आवेदन पत्र में संशोधन करने के लिए विंडो के विकल्प' की अवधि समाप्त होने बाद किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।
(ण)	ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद, आयोग अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन मापदंडों को सही / संशोधित करने के लिए 03 दिनों की अवधि प्रदान करेगा, जिसमें अभ्यर्थियों को आवश्यकतानुसार एक-

	बारगी पंजीकरण/ ऑनलाईन आवेदन डाटा में अपेक्षित सुधार/ परिवर्तन करने के बाद आवेदन को पुनः जमा करने की अनुमति दी जाएगी। परीक्षा की सूचना के पैरा-13 में दिए गए विवरण के अनुसार निर्धारित सुधार राशि का ऑनलाईन भुगतान कर इस सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। नवीनतम संशोधित आवेदन को वैध माना जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा के लिए जमा किए गए पिछले आवेदनों को अनदेखा कर दिया जाएगा।
(त)	संशोधित/अंतिम ऑनलाईन आवेदन जमा करने से पहले, जैसा भी स्थिति हो, अभ्यर्थियों को यह जांच करनी होगी कि उन्होंने फॉर्म के प्रत्येक क्षेत्र/फील्ड में सही विवरण भरा है। संशोधित/अंतिम ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करने या 'आवेदन पत्र सुधार के लिए विंडो' की अवधि समाप्त होने के बाद, किसी भी परिस्थिति में कोई परिवर्तन/सुधार/संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में किसी भी रूप में जैसे डाक, ईमेल, दस्ती, आदि द्वारा प्राप्त अनुरोधों पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।
(थ)	अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाईन आवेदन में अपना सही और सक्रिय ई-मेल पता तथा मोबाइल नंबर भरें, क्योंकि आयोग द्वारा ई-मेल/एसएमएस के माध्यम से पत्राचार किया जा सकता है। मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी बदलने के अनुरोध पर बाद में विचार नहीं किया जाएगा। यद्यपि आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को सूचना भेजने के प्रयास किए जाते हैं, फिर भी आयोग अभ्यर्थियों को एसएमएस/ई-मेल/पोस्ट आदि के माध्यम से भर्ती की विभिन्न प्रक्रियाओं / चरणों / तिथियों के बारे में व्यक्तिगत रूप से सूचित करने के लिए बाध्य नहीं है। आयोग की वेबसाइट अभ्यर्थियों के लिए सूचना का प्राथमिक स्रोत है और कोई भी अभ्यर्थी इस आधार पर राहत का दावा नहीं कर सकता है कि उसे किसी प्रक्रिया के बारे में ई-मेल / एसएमएस आदि के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से सूचित नहीं किया गया है। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती प्रक्रिया के बारे में अद्यतन जानकारी के लिए नियमित रूप से आयोग / क्षेत्रीय कार्यालयों/ संबंधित प्रयोक्ता विभाग की वेबसाइट देखते रहें।
(द)	परीक्षाओं के दौरान लोगों द्वारा छद्म रूप अभ्यर्थी बनने के उदाहरण देखे गए हैं। चूंकि आवेदनपत्र भरते समय लाइव फोटो खींची जाती है, इसलिए परीक्षा के दौरान आवेदनपत्र में फोटो की तुलना में अभ्यर्थी अलग नहीं दिखना चाहिए। परीक्षा स्थल के कर्मचारियों को किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को परीक्षा में बैठने की अनुमति न देने के लिए अधिकृत किया गया है। अतः अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे यह सुनिश्चित कर ले कि परीक्षा के दिन उनका चेहरा आवेदन में लगी फोटो से मेल खाता हो। किसी भी स्थिति में अभ्यर्थी को अपने पहले से लिए गए फोटो से फोटो नहीं खींचनी चाहिए। ऐसे सभी आवेदनों को निरस्त कर दिया जाएगा जिनमें अभ्यर्थी की पहले से ली गई फोटो से ही फोटो खींची गई हो। तथापि, जिन अभ्यर्थियों के आवेदन में आधार आधारित प्रमाणीकरण का विकल्प चुना गया है, उनके आवेदन उक्त आधार पर निरस्त नहीं किए जाएंगे।
ध	जिन अभ्यर्थियों ने स्वयं को आधार से प्रमाणित नहीं किया है, उन्हें परीक्षा आरंभ होने से दो घंटे पहले परीक्षा स्थल पर पहुंचना होगा। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश प्रमाणपत्र के अतिरिक्त पासपोर्ट आकार हाल ही के दो रंगीन फोटो और मूल रूप में वैध फोटो पहचानपत्र जिसमें प्रवेश प्रमाणपत्र में मुद्रित जन्मतिथि का साक्ष्य हो, मूलरूप में अपने साथ लाना चाहिए, जैसे- (i) आधार कार्ड/ई-आधार का प्रिंट आउट, (ii) ड्राइविंग लाइसेंस, (iii) पेन कार्ड, (iv) पासपोर्ट (v) विश्वविद्यालय/कॉलेज विद्यालय द्वारा जारी पहचान पत्र (vi) नियोक्ता पहचान पत्र (सरकारी/ सार्वजनिक उपक्रम) (vii) रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी भूतपूर्व सैनिक सेवानिवृत्ति पंजिका (viii) केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया फोटो पहचान पत्र

	अगर फोटो पहचान पत्र में जन्मतिथि अंकित नहीं है तो अभ्यर्थी को उनके जन्मतिथि के प्रमाण के लिए एक अतिरिक्त मूल प्रमाण पत्र (जैसे माध्यमिक प्रमाण पत्र, सिर्फ सीबीएसई/ आईसीएसई/ राज्य बोर्ड द्वारा जारी अंक पत्र, श्रेणी प्रमाण-पत्र) लाना अनिवार्य है। प्रवेश पत्र और जन्मतिथि के समर्थन में लाये गए फोटो पहचान पत्र/प्रमाण पत्र में उल्लिखित जन्मतिथि में मेल न होने पर अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दिव्यांगजन/ बेंचमार्क दिव्यांग अभ्यर्थी जो प्रलिपिक की सुविधा का उपयोग करेंगे, उन्हें पैरा 9.1, 9.2 और 9.3 में यथा उल्लिखित चिकित्सा प्रमाणपत्र/वचनपत्र/प्रलिपिक के फोटो पहचानपत्र की फोटो कॉपी लाना होगा। इन दस्तावेजों के बिना अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
(न)	किसी प्रतिष्ठित नाम/फोटो के दुरुपयोग से नकली/जाली आवेदन/ पंजीकरण करने के मामले में अभ्यर्थी/ साइबर कैफे को उत्तरदायी समझा जाएगा तथा उनके खिलाफ साइबर / आईटी अधिनियम के अंतर्गत उपयुक्त विधिक कार्रवाई की जाएगी।
(प)	सभी पद अखिल भारतीय सेवा दायित्व (आ.भा.से.दा) वाले हैं अर्थात् चयन होने पर अभ्यर्थी को देश के किसी भी स्थान पर सेवा करने के लिए कहा जा सकता है।
(फ)	उपरोक्त परीक्षा के लिए कोई प्रवेश प्रमाण पत्र डाक से नहीं भेजे जाएंगे। अभ्यर्थियों को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट से प्रवेश प्रमाण पत्र डाउनलोड करना होगा।
(ब)	ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र को सफलतापूर्वक जमा करने के पश्चात, अभ्यर्थियों को अपने रिकार्ड के लिए आवेदन प्रपत्र का प्रिंट आउट अवश्य लेना चाहिए। डीओपीटी द्वारा दिनांक 21.06.2016 को जारी का.ज्ञा.सं. 39020/1/2016-Estt.(B) के निर्देशों के अनुसार, अन्य एजेंसियों द्वारा अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता पर विचार किए जाने की संभावना को ध्यान में रखते हुए, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने आवेदन पत्रों और परीक्षा के अन्य आवश्यक दस्तावेजों को 03 वर्ष की अवधि के लिए सुरक्षित रखें।
(भ)	यदि किसी अभ्यर्थी का अंतिम रूप से चयन हो जाता है और परिणाम घोषित होने की तारीख से 03 माह के भीतर उसे आयोग अथवा संबंधित प्रयोक्ता विभाग से कोई पत्र प्राप्त नहीं होता है, तो उसे तत्काल संबंधित प्रयोक्ता विभाग से संपर्क करना चाहिए।
(म)	देय शुल्क: 100/- रु. (एक सौ रुपए मात्र)। महिला अभ्यर्थियों और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बेंचमार्क दिव्यांगजन और आरक्षण के हकदार भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क का भुगतान करने से छूट प्राप्त है।
(य)	अर्हताप्राप्त सभी अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन (डीवी) के लिए, संबंधित पद श्रेणी के प्रयोक्ता विभाग में दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित होना होगा।
(कक)	परीक्षाओं के दौरान लोगों द्वारा छद्म रूप अभ्यर्थी बनने के उदाहरण देखे गए हैं। चूंकि आवेदनपत्र भरते समय लाइव फोटो खींची जाती है, इसलिए परीक्षा के दौरान आवेदनपत्र में फोटो की तुलना में अभ्यर्थी अलग नहीं दिखना चाहिए। परीक्षा स्थल के कर्मचारियों को किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को परीक्षा में बैठने की अनुमति न देने के लिए अधिकृत किया गया है। अतः अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे यह सुनिश्चित कर ले कि परीक्षा के दिन उनका चेहरा आवेदन में लगी फोटो से मेल खाता हो।

(कख)	आवेदन पत्र के अंत में दी गई घोषणा पर विशेष ध्यान आकर्षित किया जाता है। घोषणा से सहमत होने / उस पर हस्ताक्षर करने से पहले अभ्यर्थियों को आवेदनपत्र में भरे गए विवरण और घोषणा की विषय-वस्तु को ध्यान से पढ़ लेना चाहिए और संतुष्ट होने पर इससे सहमत होना चाहिए / हस्ताक्षर करने चाहिए कि दी गई जानकारी सही है। किसी भी तरह के छुपाव / गलत बयानी / गलत घोषणा से अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।
(कग)	आयोग परीक्षा प्रक्रिया की अखंडता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक परीक्षा-पश्चात विश्लेषण करता है। इसमें लॉग विश्लेषण, फोटोग्राफ और बायोमेट्रिक सत्यापन और सीसीटीवी फुटेज समीक्षा के माध्यम से विस्तृत जांच शामिल होती है। आयोग की नीति के अनुसार, परीक्षा के किसी भी चरण के दौरान किसी भी प्रकार के कदाचार या अनुचित साधनों में शामिल पाए जाने वाले अभ्यर्थियों पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें उनकी अभ्यर्थिता रद्द करना और भविष्य की परीक्षाओं से वारित करना शामिल है।

27. पक्षप्रचार:

किसी भी रूप में पक्ष प्रचार करने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

28. अभ्यर्थी का अच्छा मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य

अभ्यर्थी का मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए तथा उसे ऐसे किसी भी शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जिससे सेवा के अधिकारी के रूप में उसके कर्तव्यों के कुशलतापूर्वक निष्पादन में बाधा पहुंचने की संभावना हो। जो अभ्यर्थी सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित किए गए चिकित्सा जांच में इन अपेक्षाओं को पूरा नहीं करेंगे उनकी नियुक्ति नहीं की जाएगी। केवल उन्हीं अभ्यर्थियों, जिनकी नियुक्ति पर विचार किया जाएगा, की चिकित्सा जांच की जाएगी।

टिप्पणी: दिव्यांग भूतपूर्व रक्षा सेवा कार्मिकों के मामले में रक्षा सेवा डिमोबिलाइजेशन मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदान किया गया स्वस्थता प्रमाण-पत्र नियुक्ति के प्रयोजन हेतु पर्याप्त माना जाएगा।

अवर सचिव, भारत सरकार

13 अप्रैल, 2026

परिशिष्ट-1

क्र.सं.	परिशिष्ट सं.	जाति/समुदाय/श्रेणी	सक्षम प्राधिकारी
1	अनुबंध-Iक	बेंचमार्क दिव्यांगजन (एक परीक्षार्थी के रूप लेखन बाधा के संबंध में)	सरकारी स्वास्थ्य देख-रेख संस्था के मुख्य चिकित्सा अधिकारी / सिविल सर्जन / चिकित्सा अधीक्षक
2	अनुबंध-Iख	बेंचमार्क दिव्यांगजन (अपने स्वयं के प्रलिपिक की सेवा लेने के लिए वचन पत्र)	आवेदक स्वयं
3	अनुबंध-IIक तथा अनुबंध-IIख	40% से कम दिव्यांगता वाले दिव्यांगजन (एक परीक्षार्थी के रूप में लेखन बाधा के संबंध में)	सरकारी स्वास्थ्य देख-रेख संस्था के मुख्य चिकित्सा अधिकारी / सिविल सर्जन / मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी / चिकित्सा अधीक्षक
4	अनुबंध-III	पदों की श्रेणियों का विवरण	
5	अनुबंध-IV तथा IV-क	एकबारगी पंजीकरण के लिए अनुदेश तथा नमूने	
6	अनुबंध-V तथा V-क	ऑनलाइनआवेदन पत्र भरने के लिए अनुदेश तथा नमूने	
7	अनुबंध-VI	अ.जा / अ.ज.जा	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के संबंध में जाति/जनजाति/समुदाय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए राज्यों/संघ प्रशासनों द्वारा निर्धारित प्राधिकारी सक्षम हैं।
8	अनुबंध-VII	अपिव	
9	अनुबंध-VIII	प्रपत्र-V प्रपत्र-VI	बेंचमार्क दिव्यांगजन
			चिकित्सा प्रमाण पत्र और यूडीआईडी कार्ड जारी करने के लिए सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी।
10	अनुबंध-IX	भू.पू.सै	कमांडिंग अधिकारी
11	अनुबंध-IX(क)		स्वयं आवेदक
12	अनुबंध-X	केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी	कार्यालय प्रमुख या विभाग का प्रमुख
13	अनुबंध-X(क)		स्वयं आवेदक
14	अनुबंध-XI		ईडब्ल्यूएस के संबंध आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के

		ईडब्ल्यूएस	लिए राज्यों/संघ प्रशासनों द्वारा निर्धारित प्राधिकारी सक्षम हैं।
15	अनुबंध-XII	आवेदन पत्र में स्वीकृत/ अस्वीकृत फोटोग्राफ के नमूने	
16	अनुबंध-XIII	प्रयोग किए गए संक्षिप्त नाम	
नोट: कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने अपने पत्र सं. 36039/1/2019- स्था. (आ.II) दिनांक 15.03.2024 के माध्यम से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जाति/जनजाति/समुदाय प्रमाण पत्र और ईडब्ल्यूएस आदि के लिए आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारियों के संबंध में संशोधित निर्देश जारी किए हैं। प्रयोक्ता विभाग दस्तावेजों की जांच और सत्यापन करते समय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें।			

परीक्षार्थी की लिखने संबंधी शारीरिक सीमाओं के संबंध में प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/सुश्री/श्रीमती(दिव्यांग अभ्यर्थी का नाम),
सुपुत्र/सुपुत्री , ग्राम/जिला/राज्य के निवासी हैं,
जोकि(दिव्यांगता प्रमाणपत्र में यथा- उल्लिखित दिव्यांगता का स्वरूप और उसकी
प्रतिशतता) से पीड़ित हैं, की जांच की है और उल्लेख करता हूं कि दिव्यांगता के कारण उनकी शारीरिक सीमाएं हैं
जिनसे उनकी लेखन क्षमताएं प्रभावित होती हैं।

हस्ताक्षर

सरकारी स्वास्थ्य संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक

नाम व पदनाम

सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य संस्थान का नाम एवं

मुहर

स्थान:

तारीख:

टिप्पणी: संबंधित विषय/दिव्यांगता (उदाहरण हेतु, दृष्टि दिव्यांगता- नेत्र विशेषज्ञ, गति विषयक दिव्यांगता- अस्थि रोग विशेषज्ञ/पीएमआर) के विशेषज्ञ द्वारा ही प्रमाण-पत्र दिया जाना चाहिए।

स्वयं के प्रलिपिक का उपयोग करने हेतु वचन-पत्र

मैं (दिव्यांगता का स्वरूप) दिव्यांगता से पीड़ित व्यक्ति हूं, जिसका..... (जिले का नाम) (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम) में स्थित(केंद्र का नाम) में अनुक्रमांक है। मेरी शैक्षिक योग्यता है।

2. मैं सूचित करता/करती हूं कि श्री/ सुश्री/ श्रीमती..... (प्रलिपिक का नाम) अधोहस्ताक्षरी को पूर्वोक्त परीक्षा में प्रलिपिक/रीडर/प्रयोगशाला सहायक की सेवा प्रदान करेंगे/करेंगी।

3. मैं वचन देता/ देती हूं कि उनकी शैक्षिक योग्यता है। यदि बाद में यह पता चलता है कि उनकी शैक्षिक योग्यता मेरे द्वारा घोषित योग्यता के अनुसार नहीं है और मेरी शैक्षिक योग्यता से अधिक है, तो मुझे इस पद और इससे संबंधित दावे का अधिकार नहीं होगा।

(दिव्यांग अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

स्थान:

तारीख:

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2 (एस) की परिभाषा के तहत कवर किए गए विशिष्ट दिव्यांगता से संबंधित व्यक्ति, परन्तु जो उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) की परिभाषा के तहत कवर नहीं किया गया है, अर्थात् 40% से कम दिव्यांगता और जिसे लिखने में कठिनाई हो, के लिए प्रमाणपत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि, हमने श्री/ सुश्री / श्रीमती(अभ्यर्थी का नाम), सुपुत्र / सुपुत्री, निवासी(ग्राम / डाकघर / थाना / जिला / राज्य), आयु वर्ष, (दिव्यांगता / स्थिति की प्रकृति) से पीड़ित व्यक्ति की जांच की है, और उल्लेख करते हैं कि उनकी उपर्युक्त स्थिति के कारण उनकी लेखन संबंधी सीमाएं हैं जिससे उनकी लेखन क्षमता बाधित होती है। उन्हें परीक्षा लिखने के लिए प्रलिपिक की सहायता की आवश्यकता है।

2. उपर्युक्त अभ्यर्थी प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स, हियरिंग एड(नाम निर्दिष्ट करें) जैसी सहायिकाओं और सहायक उपकरणों का उपयोग करता है, जो प्रलिपिक की सहायता से परीक्षा में बैठने हेतु अभ्यर्थी के लिए आवश्यक है।

3. यह प्रमाणपत्र केवल भर्ती एजेंसियों, और साथ ही शैक्षणिक संस्थानों द्वारा आयोजित लिखित परीक्षाओं में बैठने के उद्देश्य से जारी किया जाता है और (यह अधिकतम छह महीने या उससे कम की अवधि के लिए वैध है जैसा कि चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है) तक वैध है।

चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर

(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम))	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)
ऑर्थोपेडिक / पीएमआर विशेषज्ञ	नैदानिक मनोवैज्ञानिक / पुनर्वास मनोवैज्ञानिक/मनोचिकित्सक / विशेष शिक्षक	न्यूरोलॉजिस्ट (यदि उपलब्ध है)	व्यावसायिक चिकित्सक (यदि उपलब्ध है)	अध्यक्ष द्वारा मनोनीत अन्य विशेषज्ञ (यदि कोई है)
(हस्ताक्षर और नाम)				
मुख्य चिकित्सा अधिकारी / सिविल सर्जन / मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी अध्यक्ष				

मोहर के साथ सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य देखभाल केंद्र का नाम

स्थान:

तारीख:

अनुबंध-11ख

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2 (एस) की परिभाषा के तहत कवर किए गए विशिष्ट दिव्यांगता से संबंधित व्यक्ति, परन्तु जो उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) की परिभाषा के तहत कवर नहीं किया गया है, अर्थात 40% से कम दिव्यांगता और जिसे लिखने में कठिनाई हो, द्वारा वचनपत्र।

मैं _____, _____ (दिव्यांगता / स्थिति की प्रकृति) से पीड़ित अभ्यर्थी, _____ जिला, _____ (राज्य का नाम) में स्थित _____ (केंद्र का नाम), से _____ (परीक्षा का नाम) में बैठ रहा हूं, जिसका रोल नंबर _____ है। मेरी शैक्षिक योग्यता _____ है।

2. मैं एतद्वारा व्यक्त करता हूं कि _____ (प्रलिपिक का नाम) उपरोक्त परीक्षा देने के लिए अधोहस्ताक्षरी के लिए प्रलिपिक की सेवा प्रदान करेगा।

3. मैं एतद्वारा वचन देता हूं कि उसकी शैक्षिक योग्यता _____ है। यदि बाद में यह पाया जाता है कि उसकी शैक्षिक योग्यता मेरे द्वारा घोषित योग्यता के अनुसार नहीं है और उसकी योग्यता मेरी योग्यता से अधिक है, तो मैं पद या प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री और उससे संबंधित दावों पर अपना अधिकार खो दूंगा।

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

(यदि अभ्यर्थी अवयस्क है तो माता-पिता/अभिभावक द्वारा प्रतिहस्ताक्षर)

स्थान:

तारीख:

अनुबंध-III को इस विज्ञप्ति के अंत में देखा जा सकता है।

1. किसी भी पद श्रेणी का पूरा विवरण जैसे- अनिवार्य योग्यता, अपेक्षित अनुभव, कौशल परीक्षण, आयु-सीमा, नौकरी की आवश्यकता, दिव्यांग श्रेणियों/ उप श्रेणियों की उपयुक्तता आदि, परीक्षा चरण- XIV/2026/चयन पद और क्षेत्रीय कार्यालय का नाम जिससे वह विशेष पद संबंधित है, का चयन कर लिंक <https://ssc.gov.in/rhq-selection-post/rhq-post-details> के माध्यम से देखा जा सकता है।
2. आयोग किसी भी स्तर पर सभी रिक्तियों अथवा किसी भी रिक्तियों को संशोधन करने / परिवर्तन करने / रद्द करने/ वापस लेने का अधिकार रखता है। विज्ञप्ति में दर्शाई गई रिक्तियां अनंतिम हैं। पद (पदों) के निरस्तीकरण के मामले में, रद्द किए गए पद के लिए भुगतान किया गया आवेदन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा अथवा किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए समायोजित नहीं किया जाएगा।

ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया

परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया के दो भाग हैं:

- (क) एक बारगी पंजीकरण (OTR)
- (ख) परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरना

भाग -क (एक बारगी पंजीकरण)

1. कृपया ऑनलाइन 'एकबारगी पंजीकरण प्रपत्र' और 'आवेदन-पत्र' भरने से पहले परीक्षा विज्ञप्ति में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।
2. वर्तमान परीक्षा के लिए आधार आधारित प्रमाणीकरण लागू किया गया है। परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरते समय, एक बारगी पंजीकरण (ओटीआर) करने पर सभी अभ्यर्थियों के पास स्वयं को प्रमाणित करने के लिए आधार नंबर का उपयोग करने का विकल्प होगा। वे अभ्यर्थी जो आधार आधारित प्रणाली द्वारा स्वयं को प्रमाणित नहीं करना चाहते हैं, उन्हें अपने एक बारगी पंजीकरण (ओटीआर) को पूरा करने के लिए निर्धारित दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
3. एकबारगी पंजीकरण भरने से पहले निम्नलिखित सूचनाएं/दस्तावेज तैयार रखें:
 - क. मोबाइल नंबर (ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाना है)।
 - ख. ईमेल आईडी (ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाना है)।
 - ग. आधार संख्या। यदि आधार संख्या उपलब्ध नहीं है, तो कृपया निम्नलिखित आईडी नंबरों में से एक दें। (आपको बाद के चरण में मूल दस्तावेज को उपलब्ध कराना होगा।)
 - i. वोटर आईडी कार्ड
 - ii. पैन
 - iii. पासपोर्ट
 - iv. ड्राइविंग लाइसेंस
 - v. स्कूल/कॉलेज आई डी
 - vi. नियोक्ता आईडी (सरकारी/पीएसयू/प्राइवेट)
 - घ. बोर्ड, रोल नंबर और मैट्रिक (10वीं) की परीक्षा पास करने के वर्ष के बारे में जानकारी।
 - ड. दिव्यांगता प्रमाणपत्र संख्या, यदि आप किसी बेंचमार्क दिव्यांगता से पीड़ित हैं।
4. एक बारगी पंजीकरण (ओटीआर) के लिए, <http://ssc.gov.in> पर दिए गए 'Login or Register' बटन पर क्लिक करें।
5. एक बारगी पंजीकरण प्रक्रिया में निम्नलिखित सूचनाएं भरनी होंगी:
 - क. व्यक्तिगत विवरण
 - ख. पासवर्ड बनाना
 - ग. अतिरिक्त विवरण
 - घ. घोषणा।

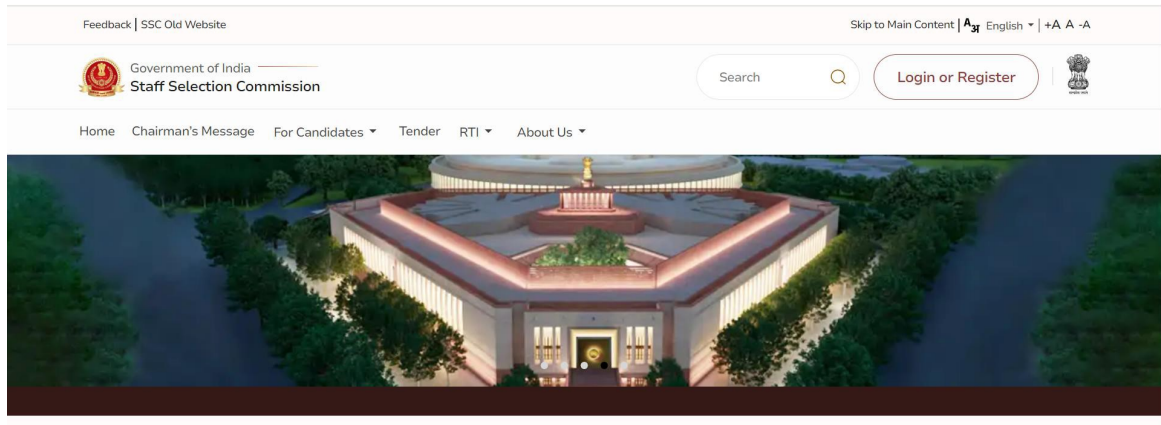
6. 'एक बारगी पंजीकरण प्रपत्र' भरने के लिए, कृपया निम्नलिखित चरणों का अनुसरण करें :

- क. सत्यापन के उद्देश्य से और किसी गलती से बचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण विवरणों (अर्थात आधार संख्या, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि इत्यादि) की प्रविष्टि पंजीकरण प्रपत्र के संगत कॉलमों में दो बार की जानी अपेक्षित है। यदि मूल डाटा और सत्यापन डाटा फील्ड (क्षेत्र) मेल नहीं खाते हैं तो इसका संकेत लाल रंग के पाठ में दिया जाएगा।
- ख. **क्रम संख्या- 1: आधार संख्या** के बारे में जानकारी प्रदान करें। यदि आपके पास आधार संख्या नहीं है तो आपको निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करने होंगे:-
- (i) **नाम के प्रमाण हेतु** नामतः आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी पहचान पत्र, सरकारी सेवा पहचान पत्र, पेंशन दस्तावेज
 - (ii) **जन्म तिथि के प्रमाण हेतु** नामतः जन्म प्रमाणपत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र, राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी जन्म तिथि का प्रमाणपत्र, आधार कार्ड,
 - (iii) **पते के प्रमाण हेतु** नामतः आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, आवेदक की सत्यापित फोटो के साथ बैंक स्टेटमेंट, रेंट एग्रीमेंट, आयकर असेसमेंट आदेश।
 - (iv) **फोटो।**
 - (v) **लिंग के प्रमाण हेतु** नामतः आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, जन्म प्रमाणपत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र।
- ग. **क्रम संख्या- 2: अपना नाम ठीक वैसा ही** भरें जैसा मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दिया गया है।
- घ. **क्रम संख्या- 3:** यदि मैट्रिकुलेशन के पश्चात आपने अपने नाम में कोई बदलाव किया है, तो कृपया इसका उल्लेख **क्रम संख्या 3क और 3ख** में करें।
- ङ. **क्रम संख्या- 4:** अपना लिंग दर्शाएं (पुरुष/महिला/ट्रांसजेंडर)।
- च. **क्रम संख्या- 5:** अपनी जन्मतिथि **ठीक वैसी ही** भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दी गई है।
- छ. **क्रम संख्या- 6:** अपने पिता का नाम **ठीक वैसा ही** भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दिया गया है।
- ज. **क्रम संख्या- 7:** अपनी माता का नाम **ठीक वैसा ही** भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दिया गया है।
- झ. **क्रम संख्या- 8 से क्रम संख्या- 10:** मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में निम्नलिखित शामिल है:
- i. शिक्षा बोर्ड का नाम
 - ii. रोल नंबर
 - iii. उत्तीर्ण होने का वर्ष

- ज. **क्रम संख्या- 11:** शैक्षणिक योग्यता का स्तर (उच्चतम)
- ट. **क्रम संख्या- 12:** आपका मोबाइल नंबर। यह एक सक्रिय मोबाइल नंबर होना चाहिए क्योंकि इसे 'वन टाइम पासवर्ड' (ओटीपी) के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। इस बात पर ध्यान दिया जाए कि कोई भी जानकारी जो आयोग संप्रेषित करना चाहता है, केवल इस मोबाइल नंबर पर ही भेजी जाएगी। यदि आवश्यक होगा तो पासवर्ड की पुनर्प्राप्ति के लिए भी आपका मोबाइल नंबर उपयोग किया जाएगा।
- ठ. **क्रम संख्या- 13:** आपका ईमेल आईडी। यह एक सक्रिय ईमेल आईडी होना चाहिए क्योंकि इसे ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। यह भी ध्यान दिया जाए कि आयोग जो भी जानकारी आपको देना चाहेगा, केवल इसी ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी। यदि आवश्यक होगा तो पासवर्ड / पंजीकरण संख्या की पुनर्प्राप्ति के लिए भी आपकी ईमेल आईडी का उपयोग किया जाएगा।
- ड. जब क्रम संख्या 1 से 13 में प्रदान किए गए मूल विवरण को सहेजा जाता है, तो आपको अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की पुष्टि करने की आवश्यकता होगी। पुष्टि होने पर, आपका डाटा सुरक्षित हो जाएगा और पंजीकरण संख्या आपके मोबाइल के स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी। आपकी पंजीकरण संख्या और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा।
- ढ. **आपको 14 दिनों के भीतर** पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी जिसमें विफल होने पर आपके अब तक के सहेजे गए पंजीकरण विवरण हटा दिए जाएंगे।
- ण. अपनी पंजीकृत संख्या को **उपयोगकर्ता नाम** और आपके मोबाइल और ईमेल पर आपको प्रदान किए गए ऑटो जेनरेटेड **पासवर्ड** का उपयोग करके लॉगइन करें।
- पासवर्ड बनाना**
- त. पहले लॉगिन पर संकेत मिलने पर अपना पासवर्ड बदलें।
- थ. पासवर्ड के सफलतापूर्वक परिवर्तन करने के बाद, बदले गए पासवर्ड का उपयोग करके आपको फिर से लॉगिन करना होगा।
- द. सफलतापूर्वक लॉगइन करने पर, आपके द्वारा अभी तक की 'प्रारंभिक सूचनाओं' के बारे में भरी गई जानकारी प्रदर्शित होगी। यदि आवश्यक हो तो इसमें संशोधन करें अथवा नीचे दिए गए 'Next' बटन को क्लिक करके पंजीकरण पूरा करने के लिए आगे बढ़ें।
- अतिरिक्त विवरण**
- ध. क्रम संख्या- 1: अपनी श्रेणी के बारे में जानकारी प्रदान करें।
- न. क्रम संख्या- 2: अपनी राष्ट्रीयता के बारे में जानकारी प्रदान करें।
- प. क्रम संख्या- 3: यदि आप भारतीय नागरिक के अलावा कोई अन्य हैं तो कृपया संपर्क विवरण प्रदान करें।

- फ. क्रम संख्या- 4: दृश्यमान पहचान चिह्न के बारे में जानकारी प्रदान करें। आपको परीक्षा के विभिन्न चरणों में उपरोक्त पहचान चिह्न दिखाना पड़ सकता है।
- फ. क्रम संख्या- 5: कृपया यदि कोई बैचमार्क दिव्यांगता हो तो उसकी जानकारी दें। यदि आप किसी बैचमार्क दिव्यांगता से पीड़ित हैं, जोकि सरकारी नौकरियों के लिए उपयुक्त हो, तो दिव्यांगता प्रमाणपत्र संख्या प्रदान करें।
- ब. क्रम संख्या- 6 से 7: अपना स्थायी और वर्तमान पते के बारे में जानकारी प्रदान करें। डाटा को सहेजें और पंजीकरण प्रक्रिया के अंतिम भाग को भरने के लिए आगे बढ़ें।
- भ. प्रदान की गई जानकारी को सहेजें। ड्राफ्ट प्रीव्यू का प्रिंट लें और 'Final Submit' से पहले, प्रदान की गई जानकारी की अच्छी तरह से समीक्षा करें।
- म. 'Final Submit' पर क्लिक करने पर आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर दो अलग-अलग ओटीपी भेजे जाएंगे। पंजीकरण प्रक्रिया पूरा करने के लिए आपको इन दो ओटीपी में से एक ओटीपी डालना होगा।
- कक. 'Declaration' को सावधानीपूर्वक पढ़ें और यदि आप उक्त घोषणा से सहमत हैं तो 'I Agree' पर क्लिक करें।
- खख. प्रारंभिक सूचनाएं प्रस्तुत करने के बाद, यदि पंजीकरण प्रक्रिया **14 दिनों के भीतर** पूरी नहीं की जाती है, तो आपका डाटा सिस्टम से हटा दिया जाएगा।
7. यद्यपि **आप** अपने एक बारगी पंजीकरण विवरण को संपादित/ संशोधित कर सकते हैं तथापि आपको एक बारगी पंजीकरण में जानकारी भरते समय अधिक सतर्क रहना चाहिए। गलत/त्रुटिपूर्ण जानकारी के कारण आपकी अभ्यर्थिता रद्द हो सकती है।
8. आपको पुनः सलाह दी जाती है कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, मैट्रिक परीक्षा का विवरण ठीक वैसा ही भरें जैसा कि आपके मैट्रिकुलेशन (10वीं कक्षा) प्रमाण-पत्र में दर्ज है। गलत/त्रुटिपूर्ण सूचनाएं देने पर आपकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकती है।

एकबारगी पंजीकरण के नमूने – चरण XIIIV/2026/चयन पद(वेब)



CandidateAdmin

Username (Registration Number) *

Registration Number

Password (SSC Registration Password) *

.....

Forgot Password

B8gBq

Refresh

Captcha *

Captcha

Login

New User ? Register Now

[Feedback](#) | [SSC Old Website](#)



Government of India
Staff Selection Commission

[Login or Register](#)



[← Homepage](#) > [One Time Registration](#)

New Candidate

One Time Registration



Personal Details
Candidate's Name,
Identification, Contact



Password Creation
Create New Password



Additional Details
Candidate's
Nationality, Address,
Education



Declaration
Candidate's Details,
Confirmation

Note

Candidates must be very cautious while filling up One Time Registration (OTR) details. Your candidature may get cancelled in case incorrect or wrong information is furnished.

Continue



Staff Selection
Commission

Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended
Willing Candidates

Useful links

[Archives](#)
[Disclaimer](#)
[Sitemap](#)
[Help](#)
[Website Policies](#)
[Web Information Manager](#)

Contact Us

[Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road
New Delhi](#)

© 2024 SSC. All Rights Reserved

Total Visitor Count: 124582382

Last updated on Feb 13, 2024

Feedback | SSC Old Website

Government of India

Staff Selection Commission

Search

Login or Register

Homepage > One Time Registration

One Time Registration

Personal Details

1. Do you have a Aadhaar Card ? *

Yes

No

1.1. Documents *
Please Upload Name Proof (Aadhaar card, Voter ID card, PAN card, Driving License, Government ID card, Government service identity card, Pension document.)

Choose File

No file chosen

Please Upload DOB Proof (Birth certificate, School leaving certificate, Certificate of date of birth issued by a Gazetted officer, Aadhar card)

Choose File

No file chosen

Please Upload Address Proof (Aadhaar card, Voter ID card, Driving License, A bank statement with an attested photograph of the applicant, Rent agreement, Income tax assessment order.)

Choose File

No file chosen

Please Upload Photo

Choose File

No file chosen

Please Upload Gender Proof (Aadhaar card, Voter ID card, Birth certificate, School leaving certificate.)

Choose File

No file chosen

2. Candidate Name (As per Matriculation Certificate) *

1. Candidate Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate.
2. Please enter name without any salutation (i.e. Shri/Shri/ Mrs/ Mrs/ Dr/ Prof).

a. Verify Candidate Name (As per Matriculation Certificate) *

3. Have you ever changed Name ? *

Yes

No

a. New Name / Changed Name

b. Verify New Name/Changed Name

4. Gender *

Select

a. Verify Gender *

Select

5. Date Of Birth (DD-MM-YYYY) *

dd-mm-yyyy

1. Date of Birth should be same as mentioned in Matriculation Certificate.
2. Please enter name without any salutation (i.e. Mr/ Shri/ Late/ Dr/ Prof etc).

a. Verify Date of Birth (DD-MM-YYYY) *

dd-mm-yyyy

6. Father's Name *

1. Father's Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate.
2. Please enter name without any salutation (i.e. Mr/ Shri/ Late/ Dr/ Prof etc).

a. Verify Father's Name *

7. Mother's Name *

1. Mother's Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate.
2. Please enter name without any salutation (i.e. Mrs/ Smt/ Late/ Dr/ Prof etc).

a. Verify Mother's Name *

8. Matriculation (10th class) Education Board *

Select

Education Board of Matriculation Examination.

a. Verify Matriculation (10th class) Education Board *

Select

9. Roll Number *

1. Roll Number should be same as mentioned in Matriculation Certificate.
2. Only / and - are allowed. (Please enter Roll number without any other special character(s).
3. If Roll Code is given in your Matriculation Certificate then enter "Roll Code - Roll No."

a. Verify Roll Number *

10. Year of Passing *

Select

a. Verify Year of Passing *

Select

11. Highest Level of Education Qualification *

Select

a. Verify Highest Level of Education Qualification *

Select

12. Candidate's Mobile Number *

OTP for verification will be sent to this mobile number

13. Candidate's Email ID *

OTP for verification will be sent to this Email ID

Note : At least one of mobile or email OTP validation is required to proceed further.

Save & Next

Staff Selection Commission

Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended
Waiting Candidates

Useful links

Archives
Disclaimer
Sitemap
Help
Website Policies
Web Information Manager

Contact Us

Block No.-12, CGO Complex, Lodhi Road
New Delhi

© 2024 SSC. All Rights Reserved

Total Visitor Count: 124592392

Last updated on Feb 13, 2024

61

Feedback | SSC Old Website



Government of India
Staff Selection Commission





Personal Details

Candidate's name, identification, contact



Password Creation

Create New Password



Additional Details

Candidate's nationality, address, education



Declaration

Candidate's details confirmation

← Homepage > One Time Registration

Dear Candidate, This is Your First Login !

Please Set a New Password

Registration Number *

10000000459

Old Password *

New Password *

Please Enter a Valid Password.

Note

- Password must be minimum 8 characters
- Include one or more uppercase letters
- Include one or more lowercase letters
- Include one or more number
- Include one or more special character
- Password must not contain spaces or tabs
- Password must not exceed 25 characters
- Use only allowed special characters: @ # \$ % ^ & + = ! * ? _ -
- Password must not contain repeated characters (e.g., aaa, 1111)
- Password must not be all numbers
- Password must not be all alphabets

Confirm Password *

Security Questions

Note

- Security Questions allow you to regain entry to your account if you have forgotten your password and no longer have access to the email or Mobile number associated with your account.

Security Question: 1 *

Select

Answer *

Security Question: 2 *

Select

Answer *

Reset

Save & Next



Staff Selection Commission

Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended
Willing Candidates

Useful Links

Archives

Disclaimer

Sitemap

Help

Website Policies

Web Information Manager

Contact Us

Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road
New Delhi

© 2024 SSC. All Rights Reserved

Total Visitor Count: 124582382

Last updated on Feb 13, 2024

63

Feedback | SSC Old Website



Government of India
Staff Selection Commission





Personal Details

Candidate's name, identification, contact



Password Creation

Create New Password



Additional Details

Candidate's nationality, address, education



Declaration

Candidate's details confirmation

← Homepage > One Time Registration

One Time Registration

Additional Details

1. Category *

EWS

a. Verify Category *

EWS

2. Nationality *

Citizen of India

3. Contact Details For Other Nationals

4. Visible Identification Marks *

MOLE ON NOSE

5. Are you Person With Benchmark Disability (PwBD)? *

☐ Yes ☒ No

a. Type of Disability

Note

VH : Blindness and Low vision

HH : Deaf and hard of hearing

OH : Locomotor disability, including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack, victims, & muscular dystrophy

Others : Autism, intellectual disability, specific learning disability & mental illness, multiple disabilities from amongst persons under the above mentioned clauses including deaf-blindness.

b. Disability Certificate Number

6. Permanent Address *

a. Address *

b. State/UT *

Select

c. District *

Select

d. Pin Code *

7. Is Present Address same as Permanent Address? *

☐ Yes ☒ No

a. Address *

b. State/UT *

Select

c. District *

Select

d. Pin Code *

Save & Next



Staff Selection Commission

Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended
Willing Candidates

Useful links

Archives

Disclaimer

Sitemap

Help

Website Policies

Web Information Manager

Contact Us

 Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road
New Delhi

© 2024 SSC. All Rights Reserved

Total Visitor Count: 124582382

Last updated on Feb 13, 2024

64

[Feedback](#) | [SSC Old Website](#)



Government of India
Staff Selection Commission





Personal Details

Candidate's name, identification, contact



Password Creation

Create New Password



Additional Details

Candidate's nationality, address, education



Declaration

Candidate's details confirmation

← [Homepage](#) > [One Time Registration](#)

One Time Registration

Declaration

1. I hereby declare that the information given by me in this form is true, complete and correct to the best of my knowledge and belief.

2. I understand that in the event of any information being found false or incorrect at any stage, my candidature/ appointment is liable to be cancelled/terminated.

☐ I Agree for the above Terms & Conditions

 [Preview OTR](#)

[Declare](#)



Staff Selection Commission

Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended
Willing Candidates

Useful links

[Archives](#)

[Disclaimer](#)

[Sitemap](#)

[Help](#)

[Website Policies](#)

[Web Information Manager](#)

Contact Us

 Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road
New Delhi

© 2024 SSC. All Rights Reserved

Total Visitor Count: 124582382

Last updated on Feb 13, 2024

65

भाग-ख (ऑनलाइन आवेदन पत्र):-

1. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू करने के पूर्व निम्नलिखित तैयारियां/विवरण/डाटा तैयार रखें:

क. ऑनलाईन आवेदन-पत्र में अभ्यर्थियों को मोबाईल डिवाइस/वेबकैम के माध्यम से अपना **लाइव फोटो** खींचना तथा अपलोड करना होगा। लाइव फोटो खींचने के लिए अभ्यर्थियों को निम्नलिखित सलाह दी जाती है:-

- (i) सादी पृष्ठभूमि तथा अच्छी रोशनी वाला स्थान ढूँढें
- (ii) फोटो लेने से पहले सुनिश्चित करें कि कैमरा आंखों के बिल्कुल सामने हो
- (iii) खुद को वेबकैम के सामने सीधे रखें और सीधे देखें
- (iv) अभ्यर्थियों को लाइव फोटो लेते समय टोपी, मास्क या धूप का चश्मा/ नजर का चश्मा नहीं पहनना चाहिए।

जो अभ्यर्थी वेबकैम/मोबाईल डिवाइस के माध्यम से अपना लाइव फोटोग्राफ खींचने में असमर्थ हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे मोबाईल डिवाइस के माध्यम से अपनी लाइव फोटो खींचने हेतु प्ले स्टोर से ऐप्लिकेशन को डाउनलोड करने के लिए **Upload Documents** के क्रम सं. 2 में दिए गए **क्यूआर(QR) कोड** का उपयोग करें। फोटो बिना टोपी पहने, बिना चश्मा लगाए होनी चाहिए और चेहरे के सामने का भाग दिखाई देना चाहिए। खराब, छोटी फोटो एवं धुंधली फोटो/ तिरछे दृश्यमान फोटो वाले आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा। **अस्वीकृत फोटोग्राफ के नमूने अनुबंध-XII में दिए गए हैं।**

ख. जेपीईजी/जेपीजी फॉर्मेट में स्कैन किए गए हस्ताक्षर (10 से 20 केबी)। हस्ताक्षर छवि का आयाम लगभग 4.0 सेमी (चौड़ाई) X 2.0 सेमी (ऊँचाई) होना चाहिए। **धुंधले हस्ताक्षर वाले आवेदनों को निरस्त कर दिया जाएगा।** दिव्यांग (ट्ट.दि.) अभ्यर्थियों के लिए अंगूठे के निशान की भी अनुमति दी गई है।

- 2. अपनी '**पंजीकरण संख्या**' और पासवर्ड के माध्यम से ऑनलाइन सिस्टम में लॉगइन करें।
- 3. "लाइव परीक्षा" टैब के अंतर्गत खंड "चरण-XIV/2026/चयन पद परीक्षा" में 'Apply' लिंक पर क्लिक करें।
- 4. क्रम संख्या 1 से 18 कॉलम में जानकारी स्वचालित रूप से आपके एक बारगी पंजीकरण डाटा से भर जाएगी जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यदि आप इस डाटा में कोई सुधार करना चाहते हैं तो 'candidate dashboard' के दाहिने शीर्ष कोने पर दिए गए "**Edit Registration Details**" बटन पर क्लिक करें और अपने एक बारगी पंजीकरण डाटा को यथोचित रूप से संपादित करें।
- 5. क्रम संख्या- 19: यदि आप सैन्य सेवाकर्मी या भूतपूर्व सैनिक हैं, तो आवश्यक जानकारी भरें। सैनिकों / भूतपूर्व सैनिकों के पारिवारिक सदस्यों को भूतपूर्व सैनिक नहीं माना जाता है।
- 6. क्रम संख्या- 19.1: क्रम संख्या- 19: में यदि 'Yes' का चयन किया है तो कृपया सशस्त्र बल में नियुक्ति की तारीख दर्ज करें।
- 7. क्रम संख्या- 19.2: कृपया सशस्त्र बल से कार्यमुक्ति की तारीख/ संभावित कार्यमुक्ति की तारीख दर्ज करें।

8. क्रम संख्या 19.3: क्रम संख्या 19.1 और 19.2 में भरे गए डाटा के आधार पर सेवा की अवधि स्वतः (auto populated) भर जाएगी।
9. क्रम संख्या 19.4: कृपया विकल्प चुनें कि क्या आप भूतपूर्व सैनिक (ईएसएम) के लिए दिए गए आरक्षण का लाभ उठाकर पहले से ही सिविल पद पर कार्यरत हैं। जानकारी के लिए कृपया विज्ञप्ति के पैरा संख्या 7.4 को देखें।
10. क्रम संख्या- 20: यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं अर्थात केंद्र सरकार के विभाग या राज्य सरकार के विभाग में कार्यरत हैं, तो उपयुक्त विकल्प का चयन करें।
11. क्रम संख्या- 20.1: यदि क्रम संख्या 20 में 'Yes' का चयन किया गया है तो कृपया मंत्रालय/विभाग/संगठन का नाम बताएं।
12. क्रम संख्या- 21: परीक्षा केंद्रों के लिए अपनी वरीयता दें। कृपया ध्यान दें कि पहले ऑनलाइन आवेदन पत्र में एक बार चुना गया क्षेत्र, शेष सभी क्षेत्रों में सभी आगामी आवेदनों के लिए स्थिर हो जाएगा, चाहे पद-श्रेणी का स्तर जो भी हो।
13. क्रम संख्या- 22.1: यदि आपकी दिव्यांगता, दृ. दि. श्रेणी में 40% से अधिक है तो कृपया हां का चयन करें। ये विकल्प केवल उन अभ्यर्थियों के लिए प्रदर्शित किए जाएंगे जिन्होंने एक बारगी पंजीकरण (ओटीआर) में अपने विवरण के अनुसार, अपनी श्रेणी संबंधी स्थिति में पीडब्ल्यूबीडी का चयन किया है। संबंधित प्रमाणपत्र (अनुबंध-VIII/दिव्यांगता प्रमाणपत्र) भी अपलोड करें।
14. क्रम संख्या- 22.2: यदि आपकी दिव्यांगता, अ. दि. श्रेणी (दो.बा.- दोनों बांह प्रभावित अथवा अ. दि.- प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात) में 40% से अधिक है तो कृपया हां का चयन करें। ये विकल्प केवल उन अभ्यर्थियों के लिए प्रदर्शित किए जाएंगे जिन्होंने एक बारगी पंजीकरण (ओटीआर) में अपने विवरण के अनुसार, अपनी श्रेणी संबंधी स्थिति में पीडब्ल्यूबीडी का चयन किया है। संबंधित प्रमाणपत्र (अनुबंध-VIII/दिव्यांगता प्रमाणपत्र) भी अपलोड करें।
15. क्रम संख्या- 22.3: यदि लेखन हेतु आपकी शारीरिक सीमाएं हैं और आपको प्रलिपिक की आवश्यकता है, तो उल्लेख करें। अधिक जानकारी के लिए कृपया परीक्षा की विज्ञप्ति का पैरा 9.2 अथवा 9.3 देखें। संबंधित प्रमाणपत्र (अनुबंध-Iक/ अनुबंध-IIक एवं IIख/ दिव्यांगता प्रमाणपत्र) भी अपलोड करें।
16. क्रम संख्या- 22.4: यदि प्रलिपिक की आवश्यकता है, तो कृपया उल्लेख करें।
17. क्रम संख्या- 22.5: क.च.आ./ आयोग द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले प्रलिपिक अथवा स्वयं के प्रलिपिक के विकल्प हेतु कृपया अपना विकल्प दें।
18. क्रम संख्या- 23: कृपया प्रलिपिक की भाषा के बारे में इंगित करें (अंग्रेजी/हिंदी)। (कृपया पैरा 15.4 देखें)
19. क्रम संख्या- 24: उस क्षेत्र के नाम का चयन करें जिससे वह पद संबंधित है जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं।
20. क्रम संख्या- 25: उस पद कोड का चयन करें जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं।

21. क्रम संख्या- 26 एवं 27: आपके द्वारा चयनित पद कोड के आधार पर पदनाम और पद का स्तर स्वतः प्रदर्शित हो जाएगा।
22. क्रम संख्या- 28.1: कृपया अधिसूचना के अनुसार कट-ऑफ तिथि तक अर्जित अपनी **उच्चतम शैक्षणिक योग्यता** का विवरण दें।
23. क्रम संख्या- 28.2: पद से संबंधित अपनी **उच्चतम शैक्षणिक योग्यता** का विवरण भी प्रदान करें।
24. क्रम संख्या- 29: आपके द्वारा चयनित पद कोड के आधार पर अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता स्वतः प्रदर्शित हो जाएगी और आपकी **पुष्टि (आगे बढ़ने के लिए ✓ चेक बॉक्स को टिक करें)** कि पद से संबंधित आवश्यक योग्यता/अनुभव आदि आपके द्वारा पढ़ लिया गया है।
25. क्रम संख्या- 29.1: कृपया पद के लिए अपेक्षित अनिवार्य योग्यता रखने का संकेत देने के लिए उपयुक्त बॉक्स चुनें।
26. क्रम संख्या- 29.2: कृपया पद की आवश्यकता के अनुसार कार्य अनुभव रखने का संकेत देने हेतु उपयुक्त बॉक्स चुनें। **यदि चयनित पद के लिए अनुभव की आवश्यकता नहीं है, तो 'Not Applicable' विकल्प का चयन किया जा सकता है।**
27. क्रम संख्या- 30: यदि आप आयु में छूट चाहते हैं तो Yes/No का चयन करें।
28. क्रम संख्या- 30.1: उचित छूट श्रेणी/कोड का चयन करें।
29. क्रम संख्या- 31: यदि पद के लिए कौशल-परीक्षा निर्धारित है तो कृपया कौशल-परीक्षा का माध्यम चुनें।
30. उपर्युक्त क्रम सं. 1(क) के अनुसार निर्दिष्ट अपनी लाइव फोटो अपलोड करें।
31. उपर्युक्त क्रम सं.1(ख) के अनुसार निर्दिष्ट अपने **स्कैन किए गए हस्ताक्षर** अपलोड करें। धुंधले हस्ताक्षर वाले आवेदनों को रद्द कर दिया जाएगा। यदि दिव्यांग(दृ.दि.) अभ्यर्थी अपने अंगूठे का निशान अपलोड कर रहे हैं तो यह सुनिश्चित करें कि अंगूठे का निशान स्पष्ट रूप से अपलोड किया गया है।
32. आवेदन का पूर्वावलोकन करते समय, कृपया जांच करें कि आपके द्वारा दर्ज किए गए सभी विवरण सही हैं एवं उल्लिखित विज्ञप्ति में विभिन्न स्थानों पर फोटो / हस्ताक्षर से संबंधित दिए निर्देशों का विधिवत पालन हो रहा है।
33. "I Agree" चेक बॉक्स पर क्लिक करके और कैप्चा कोड भरकर अपनी घोषणा को पूरा करें।
34. जैसाकि पूर्वावलोकन में प्रदर्शित है अपने आवेदन में भरे गए डाटा/विवरण की शुद्धता का सत्यापन करने पर आवेदन "Submit" कर आगे बढ़ें।
35. यदि आपको शुल्क के भुगतान से छूट नहीं दी गयी है तो शुल्क भुगतान करने के लिए आगे बढ़ें।
36. शुल्क का भुगतान भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग, वीसा, मास्टर कार्ड, मैस्ट्रो, रूपे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का उपयोग करके ऑनलाइन के माध्यम से किया जा सकता है।
37. शुल्क के भुगतान हेतु और अधिक जानकारी के लिए परीक्षा की विज्ञप्ति के पैरा-12 का संदर्भ लें।

38. जब आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट किया जाएगा, तो इसे 'अनंतिम रूप से' स्वीकार किया जाएगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीई) होने के बाद यथा अपेक्षित होने पर आयोग में जमा करने के लिए और अपने स्वयं के रिकॉर्ड के लिए अभ्यर्थी को आवेदन पत्र का प्रिंट-आउट लेना/रखना चाहिए।
39. डीओपीटी द्वारा दिनांक 21.06.2016 को जारी का.ज्ञा.सं. 39020/1/2016-Estt.(B) के निर्देशों के अनुसार, अन्य एजेंसियों द्वारा अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता पर विचार किए जाने की संभावना को ध्यान में रखते हुए, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने आवेदन पत्रों और परीक्षा के अन्य आवश्यक दस्तावेजों को 03 वर्ष की अवधि के लिए सुरक्षित रखें।

आवेदन प्रारूप नमूना- चरण XIV/2026/चयन पद

Feedback | SSC Old Website

Government of India
Staff Selection Commission

Application Form
Selection Post Phase XIV, 2026

Instructions to follow

- Read the [notice of examination](#) carefully.
- Please be careful and provide correct details in the application form.
- For applying, the candidate is not required to have a pre-existing photograph of himself / herself. The application module has been designed to capture a photograph of the candidate filling up the application form. For this purpose, the candidate has to stand / sit before the camera when prompted by the application module and follow the instructions.
- The photograph can be captured using a webcam or smartphone.
- The candidate should also have a scanned copy of his / her signature in JPEG / JPG format (10 to 20 KB). Image dimension of the signature should be about 6.0 cm (width) x 2.0 cm (height). Applications with blurred/miniature signature will be rejected.
- Fee can be paid only through online payment modes, namely BHIM UPI, Net Banking, or by using Visa, MasterCard, Maestro, or RuPay, Debit card.

- कृपया परीक्षा-विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
- कृपया सावधानी बरतें और आवेदन में सही जानकारी दें।
- आवेदन करने हेतु, अभ्यर्थी को उसके पहले से खींचे गए फोटो की आवश्यकता नहीं है। आवेदन मॉड्यूल को आवेदनपत्र भरने वाले अभ्यर्थी का फोटो लेने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस प्रयोजनार्थ अभ्यर्थी को मॉड्यूल द्वारा संकेत दिए जाने पर कैमरे के सामने खड़े होना/ बैठना होगा और निर्देशों का पालन करना होगा।
- फोटो वेबकैम अथवा स्मार्टफोन का प्रयोग कर खींचा जा सकता है।
- अभ्यर्थी को जेपीईजी / जेपीजी प्रारूप (10 से 20 केबी) में अपने हस्ताक्षर की स्कैन की हुई प्रति भी रखनी चाहिए। हस्ताक्षर की छवि का आयाम लगभग 6.0 सेमी (चौड़ाई) X 2.0 सेमी (ऊँचाई) होना चाहिए। धुंधले/लघु हस्ताक्षर वाले आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
- शुल्क का भुगतान ऑनलाइन भुगतान मोड के ज़रिए, यथा भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग अथवा वीजा, मास्टरकार्ड, मेस्ट्रो अथवा रूपे, डेबिट कार्ड का प्रयोग करके ही किया जा सकता है।

Fill Form >

Staff Selection Commission

Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended Willing Candidates

Useful links
Archives
Disclaimer
Sitemap
Help
Website Policies
Web Information Manager

Contact Us
Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road
New Delhi

© 2024 SSC. All Rights Reserved

Total Visitor Count: 124587762

Last updated on Jun 13, 2025

Feedback | SSC Old Website

Government of India
Staff Selection Commission

Candidate Dashboard > Personal Details

Personal Details

Note: Information in columns at S No-1 to 18 will be filled automatically from your One-time Registration Data which is non-editable. However, if you want to modify any of the One-time Registration details, click on 'Edit Registration Details' button provided at the righthand top corner of 'Candidate Dashboard' and make suitable corrections before proceeding further.

1. Candidate's Name: (As per the Matriculation Certificate)

2. New / Changed Name:

3. Father's Name:

4. Mother's Name:

5. Date of Birth (DD/MM/YYYY) (As per the Matriculation Certificate):

6. Age as on 01/08/2025:

7. Gender:

8. Category:

9. Whether a Person with Benchmark Disability (PwBD)?:

undefined

9.1. If Yes, Type of Disability:

10. Nationality:

11. Visible Mark of Identification:

12. Matriculation (10th Class) Examination Board:

13. Matriculation (10th Class) Year of Passing

14. Matriculation (10th Class) Roll No.:

15.1. Permanent Address:

15.2. State:

15.3. District:

15.4. PIN Code:

16.1. Correspondence Address:

16.2. State:

16.3. District:

16.4. PIN Code:

17. Email:

18. Mobile Number:

Next

Feedback
SSC Old Website


Government of India
Staff Selection Commission




Candidate Dashboard > Additional Information-I

Additional Information-I

Note: Candidate may carefully note that the details filled on this page in the very first online application shall be frozen for all subsequent applications, irrespective of the level of post(s).

19. Whether you are an Ex-Servicemen (ESM) or serving in the Armed Forces? *

☒ Yes ☐ No

19.1. Date of Joining the Armed Forces (DD/MM/YYYY): *

dd-mm-yyyy

19.2. Date of Discharge/ Likely Date of Discharge from the Armed Forces (DD/MM/YYYY): *

dd-mm-yyyy

19.3. Length of service in the Armed Forces:

19.4. Have you already joined a civil post by availing benefit of reservation for Ex-Serviceman (ESM)?

Please refer to the Notice of Examination, Para No. 7.4

☐ Yes ☐ No

19.5. Date of Joining to Civil Post (DD/MM/YYYY):

dd-mm-yyyy

20. Are you a Government Employee? (Central Government/ State Government)? *

☒ Yes ☐ No

20.1. Name of the Ministry/ Department/ Organisation:

Go Back Save & Next


Staff Selection Commission

Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended Willing Candidates

Useful links
Archives
Disclaimer
Sitemap
Help
Website Policies
Web Information Manager

Contact Us
Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road
New Delhi

© 2024 SSC. All Rights Reserved

Total Visitor Count: 124587762

Last updated on Jun 13, 2025

Feedback
SSC Old Website


Government of India
Staff Selection Commission




Candidate Dashboard > Additional Information-II

Additional Information-II

21. Preference of Examination Centres: *

Note: Candidates may carefully note that the choice for the Computer-Based Examination center and Scribe option, once opted for in the very first online application for any category of post, shall be frozen for all subsequent applications across locations, irrespective of the level of post(s).

Please refer to the Notice of Examination, Para No. 14

Preference 1

Select

Preference 2

Select

Preference 3

Select

22.1. Are you a person with benchmark disabilities (40% or more) in the category of blindness (VH)?:

Please refer to the Notice of Examination, Para No. 9.1

☐ Yes ☐ No

22.2. Are you a person with benchmark disabilities (40% or more) in the category of Both Arms Affected (BA) or Cerebral Palsy (CP)?

Please refer to the Notice of Examination, Para No. 9.1

☐ Yes ☐ No

22.3. Do you have a Physical limitation to write as per para 9.2 or 9.3 of the notice (Certificate to this effect from competent authority as per format at Annexure-IA/ (Annexure-IIA & Annexure-IIB) to the notice of Examination would be required at the time of Examination & Document Verification)?:

☐ Yes ☒ No

22.4. Whether scribe is required?:

Please refer to the Notice of Examination, Para No. 9

☐ Yes ☒ No

23. Medium of CBE: *

English

Verify Medium of CBE: *

English

Go Back

Save & Next

Feedback | SSC Old Website



Government of India
Staff Selection Commission



1 Candidate Information

Personal Details

2 Additional Information

Additional Information-I

Additional Information-II

Post Details

3 Upload Documents

4 Preview Form

5 Submit Form

Candidate Dashboard > Post Details

Post Related Details

24. Region to which the Post belongs: *

Select

25. Post Code: *

Select

26. Post Name: *

27. Level of Post: *

28. Candidate's Qualification *

28.1 Highest Educational Qualification: *

Select

28.2 Indicate details of any other educational qualification relevant to the post, if acquired by you:

73

29. Essential Qualification for the Post: *

☐ I have read the above post related requirements (EQ/ Experience, etc). Any incomplete or false information provided by me will result in the cancellation of my candidature.

29.1. Do you possess required Essential Qualification for the Post?: *

☒ Yes ☐ No

29.2. Do you possess required Experience for the Post?: *

☒ Yes ☐ No ☐ Not Applicable

Details of Experience:

Note: Candidate will be required to submit experience certificate(s) as filled below. No other experience certificate will be entertained at the time of scrutiny of applications/ document verification.

Organisation *

Designation *

Nature of Duty(ies)*

Period of Service From*

Period of Service To*

dd-mm-yyyy

dd-mm-yyyy

Add More

30. Whether seeking Age Relaxation?: *

☒ Yes ☐ No

30.1. If Yes, Age Relaxation Code: *

Select

31. Medium of Skill Test: *

Select

Confirm Medium of Skill Test: *

Select

Go Back

Save & Next

Feedback SSC Old Website

Government of India

Staff Selection Commission

1

Candidate Information

Personal Details

2

Additional Information

Additional Information-I

Additional Information-II

Post Details

3

Upload Documents

4

Preview Form

5

Submit Form

Candidate Dashboard > Upload Photograph & Signature

Upload Photograph & Signature

To download the app from the play store, scan the below QR code

1. Face Authentication Status : Pending

Process to complete Face Authentication:

- Log In to Mobile Application (myssc).
- Go to Dashboard
- Go to My Application.
- Click Continue Button for the respective Examination.
- Go to **Aadhar Auth Verification** page to complete the Face Authentication.

2. Capture Your Photograph

Instructions:

- Find a place with good light and plain background.
- Ensure the camera is at your eye level before capturing the photo.
- Position yourself directly in front of camera and **look straight**.
- Ensure that your **face is fully inside the red rectangular area** delineated by the camera and that it is neither too close nor too far. It should cover the area fully and no part of the face should be outside the rectangle.
- Candidates **shouldn't wear a cap, mask or glasses / spectacles** while capturing the photo.
- In no case should the candidate capture the photographs of his/her pre-existing photograph. All such applications where the photographs of his/her pre-existing photograph is captured will be rejected.
- Do not wear earphones or any device while capturing photo.**

Capture Live Photo

3. Upload Your Signature *

Instructions:

- Please read the advisory to Candidates with respect to photo and signature and common causes of rejection.
- [Click here to read](#)
- Allowed image size: 10 KB to 20 KB in JPEG / JPG format.
- Image dimensions: about 5.0 cm (width) X 2.0 cm (height) at a resolution of 300 DPI.
- Application with blurred / miniature signature will be rejected.
- Signature should be horizontally aligned.

Upload Signature

Go Back

Save & Next

Feedback / SSC Old Website



Government of India
Staff Selection Commission



1

Candidate Information

2

Additional Information

3

Upload Documents

4

Preview Form

5

Submit Form

Personal Details

Additional Information-I

Additional Information-II

Post Details

Upload Documents

Preview Form

Submit Form

Declaration

1. I have read the Notice of Examination and accept all the Terms & Conditions mentioned therein.

2. I hereby declare that all the statements made in this application are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found suppressed / false or incorrect at any stage or ineligibility being detected before or after the Examination, my candidature / appointment is liable to be cancelled. I am willing to serve anywhere in India.

3. I agree to authorize SSC to use my Aadhaar data for verification purpose (Verification will be subject to authorization from a competent authority).

☐ I agree

jVEDB

Refresh

Captcha *

Captcha

Go Back

Submit



Staff Selection
Commission

Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended Willing
Candidates

Useful links

Archives

Disclaimer

Sitemap

Help

Website Policies

Web Information Manager

Contact Us

Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road
New Delhi

© 2024 SSC. All Rights Reserved

Total Visitor Count: 124587762

Last updated on Jun 13, 2025

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र का प्रारूप

जो अभ्यर्थी किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा करते हैं, उन्हें अपने दावे के समर्थन में नीचे दिए गए प्रपत्र पर जिलाधिकारी या परगनाधिकारी या उस जिले जिसमें उनके माता-पिता (या जीवित माता-पिता) सामान्यतः रहते हों, के नीचे दिए गए किसी भी अधिकारी, जिसे संबंधित राज्य सरकार द्वारा ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकृत किया गया हो, से प्राप्त प्रमाणपत्र की एक अनुप्रमाणित/सत्यापित प्रति जमा करनी चाहिए। यदि उसके माता-पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो, तो प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी उस जिले का होना चाहिए जिसमें अभ्यर्थी अपनी शिक्षा के उद्देश्य के अतिरिक्त सामान्यतः रहता हो। जहां कहीं फोटोग्राफ प्रमाणपत्र का आवश्यक अंग है, वहां आयोग ऐसे प्रमाणपत्रों की केवल प्रमाणित फोटो प्रतियां ही स्वीकार करेगा न कि कोई अन्य प्रमाणित या सही प्रतिलिपि।

(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी*.....
 पुत्र/पुत्री.....निवासीग्राम/कस्बा*
 जिला/संभाग*.....राज्य/संघ राज्य
 क्षेत्र*.....के
 जाति/जनजाति से संबंधित हैं जो निम्नलिखित आदेश के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त है:-

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950.....
 संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950.....
 संविधान (अनुसूचित जाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951*.....
 संविधान (अनुसूचित जनजाति)संघ राज्य क्षेत्र आदेश,1951*.....

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूची (परिशोधन) आदेश,1956 बम्बई पुनर्गठन अधिनियम,1960 और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम,1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम,1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित।

संविधान(जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956.....

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन अधिनियम) 1976* द्वारा यथा संशोधित संविधान

(अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959

संविधान(दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962

संविधान(दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962@

संविधान(पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964@

संविधान(अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967@

संविधान(गोवा, दमन एवं दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968@

संविधान(गोवा, दमन एवं दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968@

संविधान(नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970@

संविधान(सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978@

संविधान(सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978@

संविधान(जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989@

संविधान(अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990@

संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1991@

संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1991@

संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1996@

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन) अधिनियम, 2002@

संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002@

संविधान(अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002@

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2007 @

%2. यह उन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के मामले में लागू है जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्रवास कर गए हैं।

यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी*के
माता/पिता श्री/श्रीमती.....निवासी ग्राम/कस्बा*.....
.....जिला/संभाग*.....दिनांक.....
.....को जारी किए गए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र के
आधार पर जारी किया जाता है

**%3. श्री/श्रीमती/कुमारी.....और/या* उनका परिवार सामान्यतः
ग्राम/कस्बा*.....जिला/संभाग*.....राज्य/संघ राज्य क्षेत्र.....में
रहता है।**

हस्ताक्षर.....

स्थान.....

दिनांक.....

****नाम एवं पदनाम****
(कार्यालय की मुहर सहित)

*जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें।

@राष्ट्रपति के विशिष्ट आदेश का उल्लेख करें।

% जो अनुच्छेद लागू न हो उसे काट दें।

टिप्पणी:- यहां प्रयुक्त शब्द सामान्यतः रहते हैं का वही अर्थ होगा जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा-20 में दिया है।

****जाति/जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों की सूची :-**

- (i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/क्लेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/डिप्टी क्लेक्टर/प्रथम श्रेणी के वैतनिकमजिस्ट्रेट/सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त/तालुका मजिस्ट्रेट/एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट।
- (ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट
- (iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार रैंक के नीचे का न हो।
- (iv) क्षेत्र का सब डिविजनल अधिकारी जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्यतः रहता है।

टिप्पणी :- तमिलनाडु राज्य के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को केवल राजस्व मंडलीय अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

**भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों द्वारा प्रस्तुत
किए जाने वाल प्रमाणपत्र का प्रपत्र**

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी
..... पुत्र/ पुत्री
ग्राम/ कस्बा जिला/ संभाग राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के
..... समुदाय से संबंधित हैं जो दिनांक-----संकल्प सं.-----
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है।*

श्री/श्रीमती/कु. तथा/या उनका परिवार सामान्यतः
..... राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के जिला/संभाग
में रहता/रहते हैं।

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय
ज्ञापन सं.36012/22/93-स्था.-(एससीटी), दिनांक 8.9.1993** की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित
व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हैं।

दिनांक:

मुहर :

जिलाधीश/ उपायुक्त आदि।

*प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के उस संकल्प के ब्यौरे का उल्लेख करना होगा
जिसमें अभ्यर्थी की जाति का अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में उल्लेख है।

** समय समय पर यथा संशोधित

टिप्पणी : यहां प्रयुक्त “सामान्यतः” शब्द का वही अर्थ होगा जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम,
1950 की धारा-20 में दिया है।

भारत सरकार का लोगो	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का लोगो	संबंधित केंद्र शासित प्रदेश राज्य का लोगो
--------------------	------------------------------------	---

प्रपत्र-V

निःशक्तता प्रमाण पत्र

(एकल निःशक्तता के मामले में)

[नियम 18(1) देखें]

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता)

दिव्यांगजन का हाल ही का पासपोर्ट आकार का अनुप्रमाणित फोटो (केवल चेहरे का)

प्रमाणपत्र/यूडीआईडी सं

जारी करने की तिथि:

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने / हमने <आवेदक का नाम> सुपुत्र/ पत्नी/सुपुत्री <अभिभावक/माता/पिता का नाम> जन्मतिथि <दि./म./व.>, लिंग <पुरुष/महिला/ट्रांसजेन्डर> पंजीकरण संख्या <यूडीआईडी अनुक्रमांक>, स्थायी आवास <दिव्यांग का पता> की सावधानीपूर्वक जांच की है, जिनका ऊपर फोटो चिपकाया गया है एवं मैं/ हम संतुष्ट हैं कि:-

(क) उनका मामला (निम्नलिखित में से कोई एक दिव्यांगता):

- i. गतिविषयक विकलांगता
- ii. पेशी संबंधी कुपोषण
- iii. अभिसाधित कुष्ठ
- iv. बौनापन
- v. प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात
- vi. तेजाब हमले के पीड़ित
- vii. अल्प दृष्टि
- viii. नेत्रहीनता
- ix. श्रवण दिव्यांगता
- x. वाक् एवं भाषा संबंधी दिव्यांगता
- xi. बौद्धिक दिव्यांगता

- xii. विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता
- xiii. ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार
- xiv. मानसिक बीमारी
- xv. चिरकालिक तांत्रिक संबंधी विकार
- xvi. मल्टीपल स्लेरोसिस
- xvii. पार्किन्सन बीमारी
- xviii. हेमोफिलिया
- xix. थेलेसेमिया
- xx. सिकल सेल डिजीज़

(ख) शरीर के प्रभावित भाग का नाम :

(ग) उनके मामले मेंनिदान किया गया है।

(घ) वे _____%((आंकड़ों में) _____ प्रतिशत (शब्दों में) विकलांगता है और प्रमाण पत्र का स्वरूप {स्थायी/अस्थायी और (दिदि/मामा/वववव) तक वैध है}, जैसा कि भारत सरकार द्वारा दिनांक < दिदि/मामा/वववव > को जारी <अधिसूचना संख्या> के अनुसार, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत शामिल किसी व्यक्ति में निर्दिष्ट विकलांगता की सीमा का आकलन करने के उद्देश्य से दिशानिर्देशों में उल्लिखित है।

दिव्यांगत व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप :

अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी सदस्य (सदस्यों) के हस्ताक्षर:

हस्ताक्षर

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता)

भारत सरकार का लोगो	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का लोगो	संबंधित केंद्र शासित प्रदेश राज्य का लोगो
--------------------	------------------------------------	---

प्रारूप-VI

दिव्यांगता प्रमाण पत्र

(बहु निःशक्तता संबंधी मामलों में)

[नियम 18(1) देखें]

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता)

दिव्यांगजन का हाल ही का पासपोर्ट आकार का अनुप्रमाणित फोटो (केवल चेहरे का)

प्रमाणपत्र/यूडीआईडी सं

जारी करने की तिथि:

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने / हमने <आवेदक का नाम> सुपुत्र/ पत्नी/सुपुत्री <अभिभावक/माता/पिता का नाम> जन्मतिथि <दि./म./व.>, लिंग <पुरुष/महिला/ट्रांसजेन्डर> पंजीकरण संख्या <यूडीआईडी अनुक्रमांक>, स्थायी आवास <दिव्यांग का पता> की सावधानीपूर्वक जांच की है, जिनका ऊपर फोटो चिपकाया गया है एवं मैं/ हम संतुष्ट हैं कि:-

(क) उनका मामला **बहु निःशक्तता** का है। भारत सरकार द्वारा दिनांक (दिदि/मामा/वववव) को जारी <अधिसूचना संख्या> के माध्यम से अधिसूचित दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत शामिल किसी व्यक्ति में निर्दिष्ट निःशक्तता दिव्यांगता की सीमा का आकलन करने के उद्देश्य से जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, निम्नलिखित दिव्यांगताओं के लिए उनकी शारीरिक निःशक्तता/दिव्यांगता की सीमा का मूल्यांकन किया गया है:

क्र. सं.	दिव्यांगता	शरीर के प्रभावित अंग	निदान	दिव्यांगता प्रतिशतता
1.	गति विषयक दिव्यांगता			
2.	पेशी संबंधी कुपोषण			
3.	अभिसाधित कुष्ठ			
4.	बौनापन			
5.	प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात			
6.	ऐसिड हमले के पीड़ित			
7.	अल्प दृष्टि			
8.	नेत्रहीनता			
9.	श्रवण दिव्यांगता			
10.	वाक् एवं भाषा संबंधी दिव्यांगता			
11.	बौद्धिक दिव्यांगता			
12.	विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता			
13.	ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार			
14.	मानसिक बीमारी			
15.	चिरकालिक तंत्रिका संबंधी विकार			
16.	मल्टीपल स्लेरोसिस			
17.	पार्किन्सन बीमारी			
18.	हेमोफिलिया			
19.	थेलेसेमिया			
20.	सिकल सेल डिजीज			

(नोट: केवल निदान की गई विकलांगताओं को ही सूचीबद्ध किया जाएगा)

(ख) उन्हें कुल मिलाकर _____% (अंकों में) _____ (शब्दों में) विकलांगता है और प्रमाण पत्र का स्वरूप {स्थायी/अस्थायी है (दिदि/मामा/वववव) तक वैध है}

दिव्यांगत व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप :

अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी सदस्यों के हस्ताक्षर:

हस्ताक्षर:

प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता:

अनुबंध-IX

सेवारत रक्षा कार्मिकों के लिए प्रमाणपत्र का प्रपत्र

(कृपया परीक्षा की विज्ञप्ति के पैरा 7 तथा 7.8 देखें)

मैं एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता हूं कि मेरे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार
..... (नंबर) (रैंक)

..... (नाम)..... (दिनांक).....

(दिदि/मामा/वववव) को सशस्त्र सेना में अपनी नियुक्ति की विनिर्दिष्ट अवधि पूरी कर लेंगे।

स्थान: _____

दिनांक: _____

(कमांडिंग अधिकारी के हस्ताक्षर)

कार्यालय की मुहर:

भूतपूर्व सैनिक द्वारा प्रदान की जाने वाली वचन बद्धता

(कृपया परीक्षा की विज्ञप्ति का पैरा 7 और 7.8 देखें)

मैं , अनुक्रमांक.....
.....परीक्षा, 2026 के दस्तावेज सत्यापन में उपस्थित हुआ हूँ एतद्वारा वचनबद्ध हूँ
कि :

- (क) मैं समय समय पर यथा संशोधित केंद्रीय सिविल सेवा और डाक नियम, 1979, में भूतपूर्व सैनिकों के पुनः रोजगार के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को अनुमत लाभों का/की हकदार हूँ।
- (ख) मैंने सिविल क्षेत्र (जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकाय / सांविधिक निकाय, राष्ट्रीयकृत बैंक, आदि सम्मिलित हैं) में भूतपूर्व-सैनिकों को पुनः रोजगार के लिए दिए गए आरक्षण का लाभ उठाते हुए समूह 'ग' तथा 'घ' पदों की सरकारी नौकरी में नियमित आधार पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया है ; अथवा
- (ग) मैंने सिविल क्षेत्र में सरकारी नौकरी पाने के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठाया है। मैंने दिनांकको कार्यालय मेंपद पर कार्यभार ग्रहण किया है। मैं एतद्वारा वचनबद्ध हूँ कि वर्तमान सिविल रोजगार में शामिल होने से पहले वर्तमान नियोक्ता को उन सभी आवेदनों के बारे में स्व-घोषणा / वचन पत्र प्रस्तुत किया है जिनके लिए मैंने आवेदन किया है; अथवा
- (घ) मैंने सिविल क्षेत्र में सरकारी नौकरी पाने के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठाया है। मैंने दिनांकको कार्यालय मेंपद पर कार्यभार ग्रहण किया है। इसलिए, मैं केवल आयु में छूट पाने के लिए पात्र हूँ;

मैं एतद्वारा घोषणा करता /करती हूँ कि उपरोक्त विवरण जहां तक मुझे पता है तथा विश्वास है यथार्थ, पूर्ण और सही हैं। मैं समझता हूँ कि किसी भी स्तर पर किसी भी जानकारी के झूठा या गलत पाए जाने पर मेरी अभ्यर्थिता / नियुक्ति निरस्त/ समाप्त समझा जाएगा।

हस्ताक्षर:

नाम:

अनुक्रमांक:

दिनांक:

सशस्त्र बलों में नियुक्ति की तिथि:

कार्यमुक्ति की तिथि:

अंतिम इकाई / कोर:

मोबाइल नंबर:

ईमेल आईडी:.....

आयु में छूट चाहने वाले केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाणपत्र

का प्रपत्र

(कृपया विज्ञप्ति का पैरा 3.5 देखें)

(उस विभाग या कार्यालय के अध्यक्ष द्वारा भरा जाए जहां अभ्यर्थी कार्यरत है)

यह प्रमाणित किया जाता है कि *श्री/श्रीमती/कुमारी _____ केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी हैं जो _____ रु. के वेतनमान में _____ के पद पर दिनांक 04.05.2026 के अनुसार इस ग्रेड में तीन (03) वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हैं।

2. चरण-XIV/ 2026 / चयन पद परीक्षा में उनके बैठने में कार्यालय को 'कोई आपत्ति नहीं' है।

हस्ताक्षर _____

नाम _____

कार्यालय की मुहर _____

स्थान:

दिनांक:

(* कृपया जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें)

**केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों (सीजीसीई) की घोषणा सहित सभी सेवारत आवेदकों द्वारा प्रस्तुत
किया जाने वाला घोषणा पत्र**

(कृपया विज्ञप्ति का पैरा -3.5 देखें)

मैं घोषणा करता/ करती हूं कि मैंने अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को पहले ही लिखित में सूचित किया है कि मैंने **चरण- XIV/ 2026 / चयन पद परीक्षा** के लिए आवेदन किया है तथा आवेदन जमा करने की तिथि तक मेरे खिलाफ न तो कोई सतर्कता निकासी लंबित है अथवा अवेक्षित है।

2. मैं इसके अतिरिक्त निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत कर रहा / रही हूं :

- i नियुक्ति की तिथि
- ii वर्तमान धारित पद तथा वेतनमान
- iii नियोजक का नाम एवं पता (दूरभाष सं./फैक्स/ई-मेल के साथ):.....

स्थान

तारीख.....

आवेदक का पूरा हस्ताक्षर

..... सरकार
(प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम और पता)
आय और संपत्ति संबंधी प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या _____

दिनांक _____

वर्ष 2026-2027 के लिए मान्य

यह प्रमाणित किया जाना है कि श्री/श्रीमती/कुमारी _____ पुत्र/पुत्री/पत्नी
_____ स्थायी निवासी _____ गाँव/गली _____ डाकघर
_____ जिला _____ राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र
_____ पिन कोड _____ जिनकी फोटो नीचे सत्यापित की गयी है, आर्थिक रूप
से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) से हैं क्योंकि वित्त वर्ष _____ के लिए उनकी /उनके 'परिवार' ** की
कुल वार्षिक आय* 8 लाख (केवल आठ लाख रुपये) से कम है। उनके/उसके परिवार के पास निम्नलिखित
में से कोई संपत्ति नहीं है ***:

- I. 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि ;
- II. 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक का आवासीय फ्लैट;
- III. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड;
- IV. अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी _____ का संबंध _____ जाति से है जिसे
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (केंद्रीय सूची) के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है।

कार्यालय की मुहर के साथ हस्ताक्षर.....

नाम

पदनाम.....

आवेदक का हाल का पासपोर्ट
आकार का अभिप्रमाणित फोटो

*टिप्पणी 1: आय के सभी साधन शामिल अर्थात वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा आदि।

**टिप्पणी 2: इस उद्देश्य के लिए 'परिवार' शब्द में वह व्यक्ति शामिल है, जो आरक्षण का लाभ लेता है, उसके/उसकी माता-पिता और 18 वर्ष से कम उम्र के भाई-बहन और साथ ही उसके/उसकी जीवनसाथी और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे

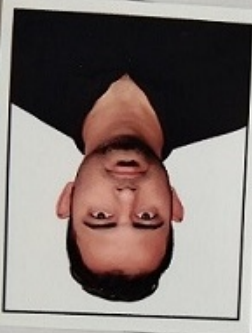
*** टिप्पणी 3: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की स्थिति का निर्धारण करने के लिए भूमि या संपत्ति स्वामित्व का आकलन करते समय "परिवार" द्वारा भिन्न स्थानों या भिन्न जगहों/ शहरों में धारित संपत्ति को इकट्ठा कर दिया गया है।

फोटोग्राफ के नमूने

(क)स्वीकृत



(ख)अस्वीकृत

1	2	3	4
			
बहुत छोटी	अत्यधिक रंगीन	बहुत नजदीक	उल्टी तस्वीर
5	6	7	8
			
धूप के चश्मे के साथ	धुंधली फोटो	धुंधली फोटो	धुंधली फोटो

9	10	11	12
			
अत्यधिक गहरा रंग	तिरछी दृश्यमान फोटो	चश्मे के साथ	टोपी के साथ

प्रयुक्त संक्षिप्तियाँ :

एआईएसएल	अखिल भारतीय सेवा दायित्व
बीएल	दोनों पैर प्रभावित
सीजीसई	केन्द्रीय सरकार सिविलियन कर्मचारी
डी / ओ	विभाग
डीवी	दस्तावेज सत्यापन
ईक्यू	अनिवार्य योग्यता
ईएसएम	भूतपूर्व सैनिक
ईडब्ल्यूएस	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
जीईएन	सामान्य
एचएच	श्रवण दिव्यांग
आईपी	प्रारंभिक पोस्टिंग
जेआर	नौकरी की आवश्यकताएं
एलवी	अल्प दृष्टि
एम / ओ	मंत्रालय
एन/ए	लागू नहीं
ओ/ओ	का कार्यालय
ओए	एक बांह प्रभावित
ओबीसी	अन्य पिछड़ा वर्ग,
ओएच	अस्थि दिव्यांग
ओएल	एक पैर प्रभावित
पीडी	आंशिक बधिर
पीडब्ल्यूडी	दिव्यांगजन
पीडब्ल्यूबीडी	बेचमार्क दिव्यांगजन
एससी	अनुसूचित जाति,
एसएससी	कर्मचारी चयन आयोग
एसटी	अनुसूचित जनजाति
यूआर	अनारक्षित
वीएच	दृष्टि दिव्यांग